

सतगुरुदेव की दया

करौंथा काण्ड का रहस्य

लेखक :

भक्त विजय दास

—: प्रकाशक :—

बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट (3955)
गांव—करौंथा, जिला रोहतक (हरियाणा)।

फोन : +91-9812026821, +91-9812142324, +91-9812166044

Visit us at : www.jagatgururampalji.org

e-mail : jagatgururampalji@yahoo.com

मूल्य : पढ़ो और पढ़ाओ

संत रामपाल दास महाराज

सतलोक आश्रम

बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट (रजि. 3955),
रोहतक झज्जर रोड़, करौंथा, जि. रोहतक (हरि०) भारत।

सतलोक आश्रम, दौलतपुर रोड़, बरवाला, जि. हिसार (हरि०) भारत।

☎ +91-9992600801, +91-9992600802, +91-9992600803,
+91-9812166044, +91-9812151088, +91-9812026821,+91-9812142324

e-mail : jagatgururampalji@yahoo.com

visit us at - www.jagatgururampalji.org

मुद्रक : मिलेनियम ऑफ़सैट वर्क्स, अहीरवाड़ा, ओल्ड फरीदाबाद

दो शब्द

प्रिय पाठकजनों ! इस पुस्तक के छपने की देरी की वजह यह रही है कि हमारे आश्रम के सारे सिस्टम को उपद्रवियों ने प्रशासन की मदद से तहस-नहस कर डाला था व मुख्य सेवकों को जेल में डाल दिया तथा शेष बचे हुए सेवकों पर पुलिस द्वारा तंग करवाकर दबाव बनाये रखा।

हमारे गुरुदेव व आश्रम पर कुछ लोगों द्वारा धिनौने किस्म के लांछन लगाये गये जो कि बेबुनियाद व झूठे हैं। जबकि हम बार-बार सी.बी.आई. की जाँच करवाने की माँग करते रहे हैं। समाचार पत्र में लिखने वाला एक व्यक्ति होता है और पढ़ने वाले लाखों, करोड़ों व्यक्ति होते हैं। जब तक स्वयं आंखों से देख न लें और कानों से सुन न लें, किसी एक व्यक्ति की बात पर विश्वास करना न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि यदि कोई एक पक्ष की झूठी व मनघड़ंत खबर को सुनकर विश्वास कर लेता है और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनता है तो भी न्यायसंगत नहीं है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दोनों पक्षों के विचार सुनकर फैसला लें।

जैसे कि रात्रि में एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, उसके शोर को सुनकर दूसरे कुत्तों ने भी भौंकना शुरू कर दिया। क्या कुत्तों के शोर को सुनकर आदमी भी कुत्तों के साथ ही भौंकना शुरू कर देगा ? जबकि कुत्तों के शोर को सुनकर बुद्धिमान आदमी को घर से निकल कर यह देखना चाहिए कि कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। भौंकने की वजह जाननी चाहिए। जिन समाचार पत्रों ने झूठे समाचार देकर जनता को गुमराह किया है उनके खिलाफ हमने कानूनी नोटिस भेज रखे हैं और आगे कार्यवाही जारी है।

जबकि पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, सच्चाई सामने आ चुकी है कि आश्रम में ऐसी कोई आपत्तिजनक/अवैद्य वस्तु नहीं मिली। फिर भी हम सी.बी.आई. जांच करवाकर समाज के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं।

कृपया पाठकजन इस पुस्तक को पढ़कर सच्चाई को जानें और स्वयं सोचे कि सच्चाई क्या है ?

विषय सूची

1.	करौंथा काण्ड का रहस्य	-	1
2.	आंखों देखी कानों सुनी	-	3
3.	झूठी अफवाहें फैलाने का कारण	-	7
4.	करौंथा काण्ड का कारण	-	9
5.	जरा सोचिए	-	38
6.	षडयंत्र	-	55
7.	दयानन्द सरस्वती जी की जन्म पत्री	-	64

करौंथा काण्ड का रहस्य

वेदों, गीता जी आदि पवित्र सद्ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब-जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत, महंत व गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है। फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परमज्ञानी संत को भेज कर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। वह भक्ति मार्ग को शास्त्रों के अनुसार समझाता है। उसकी पहचान होती है कि वर्तमान के धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहेब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि -

जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावै (बतावै), वाके संग सभि राड़ बढ़ावै।

या सब संत महंतन की करणी, धर्मदास मैं तो से वर्णी।।

कबीर साहेब अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को इस वाणी में ये समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे। ये उसकी पहचान होगी।

दूसरी पहचान वह संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में - सतगुरु के लक्षण कहूं, मधूरे बैन विनोद। चार वेद षट शास्त्र, कहै अठारा बोध।। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25, 26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात् सांकेतिक शब्दों व एक चौथाई श्लोकों को पुरा करके विस्तार से बताएगा व तीन समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा वह जगत का उपकारक संत होता है।

तीसरी पहचान तीन प्रकार के मंत्रों (नाम) को तीन बार में उपदेश करेगा जिसका वर्णन कबीर सागर ग्रंथ पृष्ठ नं. 265 बोध सागर में मिलता है व गीता जी के अध्याय नं. 17 श्लोक 23 व सामवेद संख्या नं. 822 में मिलता है।

एक प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नैस्त्रेदमस था। उसने चार सौ वर्ष पूर्व कहा था कि "सन् 2006 में एक हिन्दू संत विश्व विख्यात होगा। उसका ज्ञान सर्व से भिन्न होगा। पूरे संसार में उसी के ज्ञान का लोहा चलेगा। वह भारत का रहने वाला होगा। उसका पूरे विश्व पर शासन होगा। उस समय (सन् 2006 में) उस संत की आयु 50 से 60 के बीच होगी। उसकी महीमा आसमानों से भी पार होगी। पूरे जीवन में उसे हराने वाला कोई नहीं होगा।" उपरोक्त सर्व लक्षण सर्व के समक्ष हैं। वो दिन दूर नहीं है कि पूरा विश्व एक होगा तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेगा।

पूर्व का इतिहास गवाह है कि जब भी इस धरती पर पीर, पैगम्बर, देव, अवतार आदि पैदा होते हैं, वर्तमान के धर्म के ठेकेदार उनको अपने जैसा ही ज्ञानहीन जान कर विरोध करते रहते हैं और उनको डर रहता है कि यदि जनता को सच्चाई का पता लग गया तो तुम्हारी धर्म की आड़ में चलने वाली रोजी रोटी

बंद हो जाएगी। फिर उनके परलोक जाने के बाद आगे आने वाली पीढ़ियां मूर्ति बना कर उनके आगे सिर रगड़ते रहते हैं। जिसका कोई फायदा नहीं होता है। हमारे सतगुरुदेव में उपरोक्त सर्व गुण विद्यमान हैं। इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर वर्तमान के धर्म गुरुओं ने करौंथा आश्रम में आक्रमण करवाकर इस घटना को अंजाम दिया।

पूर्व समय में साधु संत ऋषिजन एकांत स्थान पर वनों में अपनी साधना तथा धार्मिक यज्ञ (अनुष्ठान) किया करते थे। असुर लोग उनके अनुष्ठानों को भंग किया करते थे और साधु, संतों, ऋषियों को परेशान किया करते थे। त्रेतायुग में ऋषि विश्वामित्र जी ने अयोध्या नरेश दशरथ जी से प्रार्थना की कि हे राजन्! असुर लोग हमें वन में परेशान करते हैं। हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को भंग करते हैं। हमें मारते-पीटते हैं। आप हमारी सुरक्षा करें। राजा दशरथ अपने दो पुत्रों श्री रामचन्द्र जी तथा श्री लक्ष्मण जी को ऋषि के साथ ऋषियों की सुरक्षा के लिए भेजा। तब ऋषियों के धार्मिक अनुष्ठान सम्पूर्ण हुए। वर्तमान में वन नहीं रहे। संतजन अपने धार्मिक अनुष्ठान अपने आश्रम बना कर करते हैं। सतलोक आश्रम करौंथा जिला रोहतक हरियाणा में प्रत्येक पूर्णमासी को तीन दिन धार्मिक अनुष्ठान होता था। असुरों को वह सहन नहीं हुआ। बारह जुलाई 2006 के दिन शांति पूर्वक तरीके से पूर्णमासी वाला अनुष्ठान सतलोक आश्रम में चल रहा था। हजारों की संख्या में उपद्रवकारियों ने अचानक आक्रमण कर दिया। पुलिस व उपद्रवियों के बीच झगड़ा हुआ। कुछ उपद्रवी घायल हुए और एक मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर पुलिस भी दूर हट कर केवल मूक दर्शक बनी रही। उपद्रवकारियों को नहीं रोक सकी। श्रद्धालुओं ने अपनी रक्षा तथा आश्रम में उपस्थित बच्चों, औरतों तथा वृद्धों की रक्षा के लिए हवाई फायरिंग की। वर्तमान के राजा ने संतों, भक्तों को भगा दिया। कुछ को जेल में डाल दिया। उपद्रवकारियों को आर्थिक सहायता (ग्रांट) दे कर पीठ थप-थपाई कि बहुत अच्छा कार्य किया श्रद्धालुओं को मारने के लिए आश्रम पर आक्रमण करके उन पर कोई केस भी दर्ज नहीं किया। अपनी गलती को छुपाने के लिए तथा उपद्रवकारियों को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पहले झूठी खबरें दी फिर उनका खण्डन किया।

बारह जुलाई 2006 वाली घटना ने सौ वर्ष पुराना इतिहास ताजा कर दिया जिस समय भारत पर अंग्रेज लोग राज्य करते थे। उस समय एक खाप (एक गोत्र का समूह) दूसरी खाप (एक गोत्र का अन्य समूह) पर ऐसी ही आक्रमण करती थी। अंग्रेज शासक भी उन्हीं का पक्ष लेते थे जो जनसंख्या में अधिक होती थी तथा छोटी खाप वालों को मारती-पीटती थी और उनके घर व पशुओं को लूट ले जाती थी। क्योंकि अंग्रेज शासक चाहते थे कि यह आपस में लड़ते-मारते रहें और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे। कमजोर पक्ष की सुनवाई व सहायता अंग्रेज अन्याई शासक नहीं करते थे। आज भारतवर्ष में प्रजातंत्र है फिर भी वही अन्याय वर्तमान में प्रत्यक्ष है। क्या आश्रम में जाने वाले भारत के नागरिक नहीं, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है ? कृप्या करौंथा काण्ड के विषय में लोगों की आंखों देखी व कानों सुनी निम्न :-

आँखों देखी कानों सुनी

रोहतक बस स्टैंड पर एक व्यक्ति ने एक पुलिस अधिकारी को आवाज लगाई और कहा कि जनाब आप तो सतलोक आश्रम करौंथा में ड्यूटी पर थे, क्या कुछ मिला तलाशी में ? यह आवाज सुन कर मैं (लेखक) भी उनके निकट खड़ा हो गया। कुछ दो-चार व्यक्ति भी निकट आ गए। उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाई उस आश्रम में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई। मैं पूरी तलाशी में साथ रहा हूँ। इन समाचार पत्र वालों ने व्यर्थ का बवंडर बना रखा है। मीडिया अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों का मीडिया से विश्वास उठ जाएगा। एक अन्य व्यक्ति बोला कि साहब या दूनिया रूके मारें और अखबार वाले कहवें। आपकी बात कैसे मानें कि आश्रम में कोई अवैद्य वस्तु नहीं थी। अखबार वालों ने तो नोटों के फोटो तक दिए हैं। वह पुलिस अधिकारी बोला कि अखबार वालों ने कहीं और से फोटो लिए हैं। कोरी बकवाद, झूठे समाचार लिखे हैं। वह अधिकारी बोला मैं आश्चर्य में था कि जो अफवाहें आश्रम के विषय में सुनी गई थी वह तो एक भी सत्य नहीं पाई। न तो कोई अण्डर ग्राऊंड कमरे, न अवैद्य शराब, न तीस किलो सोना, न सतरह बोरी नोटों की, न कोई कण्डोम, न अश्लील विडियो सी.डी.। उन सीडिज को चला कर देखा तो वे सत्संग की थी। मैं अपने गांव गया। आस-पास के व्यक्ति मेरे पास आए। मेरे से पूछा कि आश्रम में क्या-२ मिला ? मैंने बताया कि उस सतलोक आश्रम की पूरी तलाशी मेरे सामने हुई है। उसमें कुछ भी नाजायज वस्तु नहीं मिली जो अखबारों में छपी हैं। यह सुन कर मेरे पिता जी गुस्से में आकर बोले - अरै निकम्मे, क्यों झूठ बोलें सै, रामपाल का प्रसाद खा लिया दिखै सै। सारी दूनिया कहन लगरी, वे सब के झूठ बोलें सैं। तब मैंने अपने पिता जी से कहा कि पिता जी मैं न तो रामपाल महाराज को जानता था और न ही उनका शिष्य हूँ। आप अपने बेटे पर तो विश्वास नहीं कर रहे हो। दूनियां के उन व्यक्तियों की बातों पर विश्वास कर लिया जिन्होंने आश्रम में झांक कर भी नहीं देखा। तब मेरे पिता जी कुछ नरम हुए। बोले बेटा - ये झूठी खबरें किस लिए छापी जा रही हैं। तब मैंने कहा कि यही कारण मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे अफवाहें फैलाने वालों का क्या स्वार्थ है। मेरे पिता जी ने अन्य ग्रामवासियों को बताया कि मेरा लड़का आश्रम की तलाशी में साथ था। उस आश्रम में कोई गलत वस्तु नहीं पाई। कई पड़ोसी मेरे पिता जी से रूष्ट हो गए कि तू भी बिक गया दिखे सै। जब मैं दूसरी बार गांव गया तो कई व्यक्तियों को मैंने सत्य बात बताई तब कुछ सोचने पर विवश हुए।

इतनी बातें होने के पश्चात् वह पुलिस अधिकारी एक बस में बैठ कर चला गया। वहां उपस्थित शेष व्यक्तियों में से एक ने कहा कि लगता है यह पुलिस वाला भी रामपाल का चेला है। तब वह व्यक्ति जिसने उस अधिकारी से पूछा था वह बोला क्या बात करता है। यह तो सत्संग वालों से बहुत कटता है। पूरा ईमानदार

आदमी है। अन्य व्यक्ति बोला कि मैं बताता हूँ कि क्या मामला है ? संत रामपाल का और आर्य समाज के नेताओं का ज्ञान का झगड़ा चल रहा था। समाचार पत्रों में भी लेख आया करते थे। संत रामपाल जी तो नम्रता के साथ लेख लिखते थे। सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास तथा पृष्ठ संख्या भी लिखते थे। मेरे पास भी सत्यार्थ प्रकाश है मैंने भी जांच की। सच्चमुच सत्यार्थ प्रकाश में बहुत गलत व्याख्या है। उसको छुपाने के लिए आर्य समाज वालों ने झगड़ा करवाया है। तीसरा व्यक्ति बोला कि भाई अब मुख्यमंत्री भी आर्य समाजी है। अब ये धरती पर पैर ना रखें। किसी पर भी झूठा कंस बनवा देते हैं। चौथा बोला कि जो करौंथा काण्ड में मरा है उसको प्रशासन ने पांच लाख रूपए दिए हैं। एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और घायलों को इक्यावन-२ हजार रूपए दिए हैं। उन्हीं में से एक बोला कि वे आश्रम में धार लेने गए थे। किसी के घर पर कोई जाकर उपद्रव करेगा तो कौन सहन करेगा ? आश्रम में बहन बेटियां भी थी उनको ग्रांट देकर प्रशासन ने उग्रवाद को जन्म दे दिया। कोई किसी को मारने जाएगा तो वह घायल हो जाता है या मर जाता है उसे ग्रांट मिलेगी, एक नौकरी मिलेगी। फिर मानस (मनुष्य) मारने जाने में क्या घाटा है ? इससे तो समाज में आग लगेगी। एक बोला कि आश्रम करौंथा वालों ने जाम लगा दिया था इसलिए डीघल और करौंथा के व्यक्ति चिड़ गए थे। वे झगड़ा करने आए थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा कि दूनियां जाम लगाती है। प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। कोई नहीं जाता किसी जाम लगाने वालों से पूछने कि यह जाम तुमने क्यों लगाया है ? यदि सरकार नहीं सुनेगी तो कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि आपकी बात मानें कि डीघल करौंथा वाले चिड़ गए थे तो रिटौली, कबुलपुर, सांपला, पीलुखेड़ा आदि गांव के किस लिए आए थे लठ लेकर। यही बात आगे देखें कि 9 जुलाई 2006 से 12 जुलाई 2006 तक डीघल व करौंथा में जाम लगाए रखा। यह सारी कहानी सोची समझी थी। आर्य समाज वाले व्यक्तियों का नाश किया हुआ है। ये लोग मुख्यमंत्री को बदनाम करके छोड़ेंगे। मुशिकल से रोहतक का मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री इन आर्य समाज के लोगों की बहुत मानता है। इसने लेकर डूबेंगे। यदि 12 जुलाई 2006 को झगड़े में बीस-तीस व्यक्ति मर जाते तो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता। इन आर्य समाज वालों ने तो मुख्यमंत्री के साथ शत्रु वाला काम किया था। इसके भाग अच्छे थे कि बात ठीक सुलझ गई।

मेरा मौसा जी रिटायर्ड हैड मास्टर एम.ए.बी.एड है। वह भी उस सतलोक आश्रम में जाता है। वह तो कहता था कि महाराज रामपाल तो शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह समझाता है। मैं जैसे ही नहीं जाता वहां पर। ये अफवाएं चली थी उस समय मैं अपने मौसा जी के पास गया। मैंने कहा कि इब तो पाटगी आपके महाराज रामपाल की पोल। क्या अब भी जाओगे उस पाखण्डी के पास। मेरा मौसा जी बोला कि अब और अधिक जाऊंगा। संत रामपाल जी पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। कुछ समय में सच्चाई ऊपर आएगी। मेरा मौसा भी बोला कि तू मुझे कैसा व्यक्ति मानता है ?

क्या मैं ऐसे स्थान पर जा सकता हूँ जहाँ पर समाचारों में सुनी बकवाद होती हो। मैंने कहा कि आप तो बहुत बाल की खाल उतारने वाले शिक्षित हो, आप तो ठीक हैं। परंतु आपके महाराज ठीक नहीं हैं। मौसा जी बोले कि मेरे महाराज मेरे से सौ गुणा अच्छे हैं। मैं कोई बालक नहीं हूँ जो आंखे बंद करके लकीर का फकीर बना हूँ। वह भक्त बोला कि भाईयों इसलिए मुझे भी इस पुलिस अधिकारी की बात ठीक जची। इसे क्या लेना-देना था आश्रम से।

एक व्यक्ति बोला कि गलती आश्रम वालों की यह थी कि उन्होंने छुड़ानी वाले बाबा के आश्रम वालों के साथ मार-पीट की थी। इसलिए लोग इक्ठे होकर बदला लेने आए थे। एक अन्य व्यक्ति बोला कि छुड़ानी वाले दोनों आश्रमों में कई वर्षों से जाता रहा हूँ। मेरी आयु 61 वर्ष है। मैं 25 वर्ष का जाने लगा था। उन दोनों आश्रम वालों का कई बार झगड़ा हुआ। एक-दूसरे को बुरी तरह से पीटते थे। तब कोई नहीं गया किसी के पक्ष में लड़ाई करने। बात कुछ और है। आर्य समाज वालों ने ही कुछ गड़बड़ की है। पहले तो समाचार आया कि तीस किलो सोना, सतरह बोरी नोटों की मिली। ए.के. 47 बंदूक भी मिली। फिर तीसरे दिन एस.पी. रोहतक की स्टेटमेंट थी कि आश्रम में कोई अवैद्य हथियार नहीं मिला तथा सभी हथियार लाईसेंस वाले हैं। न तीस किलो सोना मिला, न नोटों की बोरियां मिली। दो-तीन व्यक्ति एक स्वर में बोले कि आश्रम वालों ने पुलिस को पैसे ज्यादा दे दिए, मामला रफा-दफा करवा दिया। उनकी बात सुन कर वह व्यक्ति बोला कि भाई सुनो, आश्रम की तलाशी में सैकड़ों व्यक्ति थे। सर्व प्रथम दिल्ली से सी.आर.पी. ने तलाशी ली है फिर पुलिस को सौंपा है। आपकी बात बिल्कुल गलत है। मैं भी पुलिस में हूँ। मुझे सारी स्थिति का पता है। एक-दो व्यक्ति के बीच बात होती तो मान जाते। वहाँ डी.जी.पी. तक आश्रम तक पहुंचे थे। पैसे लेन-देन वाली बात आप गलत कह रहे हो। तब वे बोले कि भाई, तेरी बात में भी दम है। फिर अखबार वालों ने उल्टी-सीधी खबर क्यों छापी?

एक बोला अखबार वालों का क्या दोष है? जिसने जैसी खबर दी उन्होंने छाप दी। दो व्यक्ति बोले कि क्या आश्रम वालों से नहीं पूछना चाहिए था। उनका कोई ब्यान नहीं आया। चाहिए तो था उनसे भी पूछना। परंतु भाई मुख्यमंत्री तक आश्रम वालों के विरुद्ध बताते हैं फिर कौन टोकने वाला है? फिर बोले कि एक बात तो है कि जो खबर बुरी थी - सोना मिला, नोट मिले, ए.के. 47 हथियार मिले, बहुत अवैद्य सामग्री मिली। वह पूरे हरियाणा पृष्ठ पर अखबार वालों ने छापा और खण्डन वाली खबर कि - कुछ नहीं मिला, वह केवल रोहतक वाले अखबार में छापी। अखबार वाले भी डाण्डी मार गए (अर्थात् पक्षपात किया)। यह सब राजनीति का प्रभाव था। अन्य ने जवाब दिया। एक बोला कि वहाँ जमीन के नीचे (अंडर ग्राऊंड) आठ कमरे थे। वह पुलिस वाला बोला कि आपने इनका खण्डन नहीं पढ़ा। दूसरा बोला कि पढ़ा तो था। अन्य जो कह रहा था कि मैं पच्चीस वर्ष का छुड़ानी जाने लगा था बोला कि वहाँ कोई अंडर ग्राऊंड कमरा नहीं था। यह समाचार छपा था।

यदि अंडर ग्राऊंड कमरे बने भी हों तो क्या अपराध है ? उनमें कोई अवैद्य वस्तु तो होनी चाहिए। वह खण्डन समाचार पत्रों में आप सबने पढ़ा ही था। दिल्ली में देख लो अंडर ग्राऊंड बनी है। कई जगह रेल तक अंडर ग्राऊंड चलती है। उन्हीं में से एक बोला कि वहां प्रत्येक कमरे में ए.सी. लगे हैं। एक बोला कि अपने घर में कोई कितने ए.सी. लगाए ? आपने कोई दान दिया है वहां पर। अन्य बोला कि मैं तो चवन्नी भी दान न दूं। फिर वह समझदार व्यक्ति बोला कि आप क्यों परेशान हुए कि वहां प्रत्येक कमरे में ए.सी. लगे हैं। मैंने तो सुनी है इसलिए कहा है। पहले वाला बोला कि यदि दान देने वाले एतराज करे तो बात ठीक है। “ब्यावै भेद किण्छे मिंढा”। भावार्थ है कि गर्भवती भेद बच्चा उत्पन्न करे तो वह जोर लगाए (कण्छे) तो ठीक है। उसे देख कर नर भेद (मिंढा) जोर लगाए (कण्छे) तो व्यर्थ की बकवाद है। दान देने वाले किसी ने कहा कि हमारा पैसा खराब कर दिया। मेरे तेरे जैसे व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। वहां लाखों व्यक्ति जाते हैं। वे नहीं कह रहे कि वहां पर कोई गलत कार्य होता था। करौंथे वाले महाराज का एक भी शिष्य डगमग नहीं हुआ। मेरे गांव में लगभग सौ व्यक्ति उस महाराज के शिष्य हैं। किसी को बोलने नहीं देते। कहते हैं कि हमारे महाराज रामपाल जी निर्दोष हैं। उन्हींने अपने बाल-बच्चे भी त्याग रखे हैं। दूनिया का उद्धार कर रहे हैं। दिन में बीस-बीस घण्टे मेहनत की है, सत्संग करते हैं, फिर भक्तों से मिलते हैं, सब के दुःख-सुख को बड़े प्यार से पूछते हैं तथा उसका समाधान बताते हैं। जो पैसा आता है भक्तों के सामने आश्रम व्यवस्था में लगाते हैं। हम कोई अंधे नहीं है। यदि वहां जरा सी त्रुटि होती तो लाखों व्यक्ति नहीं जाते। एक व्यक्ति कुछ समय पहले आया था हमारे पास। वह बोला कि यह बात आपकी सही है। हमारे गांव में लगभग पंद्रह परिवार हैं वे आज भी करौंथे वाले महाराज के गुण गाते-२ नहीं थकते। वे तो मानने को तैयार ही नहीं है कि उस आश्रम में कुछ गलत होता था। एक बात तो हमारा सारा गांव कह रहा है कि जितने भी करौंथा वाले महाराज के चेले हैं सभी मौज में हैं। पहले कई तो शराब पीते थे, पूरा गद्दर मचाते थे, पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके थे। अब तीन वर्ष में सब सुविधा कर ली तथा मोटर साईकिल खरीद ली। शाम को पूरा परिवार पूजा-पाठ करता है। तीसरा व्यक्ति बोला कि फिर इतनी कहानी कैसे हुई ? क्या कारण है झूठी अफवाहें फैलाने का ? इतनी बातें करके सभी अपने-२ रास्ते चले गए। सज्जन पाठक कृप्या पढ़े झूठी अफवाहें फैलाने का कारण।



झूठी अफवाहें फैलाने का कारण

हम एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। प्रत्येक आत्मा परमात्मा की खोज में लगी है। प्रभु महिमा का ज्ञान धर्म गुरुओं से सुना जाता है। प्रत्येक धर्म गुरुजन अपने-२ पवित्र सद्ग्रन्थों को प्रमाण रूप में लेकर ज्ञान प्रचार करते हैं। पूर्व समय में मानव समाज शिक्षित नहीं था। केवल कुछ व्यक्ति ही संस्कृत भाषा को जानने वाले थे। जिन्हें पण्डित (विद्वान) कहा जाता था। पंडित जन नगर-२, गांव-२ जाकर धर्म का प्रचार करते थे तथा पवित्र वेदों तथा पवित्र पुराणों व पवित्र गीता जी को आधार बता कर सत्संग किया करते थे। उन विद्वानों ने जैसा भी सद्ग्रन्थों को समझा उसी आधार से ज्ञान जनता को दिया। जिन सद्ग्रन्थों का प्रमाण ले कर जनता को ज्ञान बांटा गया वे आज भी विद्यमान हैं। उन्हीं सद्ग्रन्थों में लिखा ज्ञान यदि अन्य संत या विद्वान प्रचार करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में सब सद्ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध है। यदि शंका हो तो उन सद्ग्रन्थों से तुलना की जा सकती है। पूर्व पंडितों, महर्षियों व संतों द्वारा अपने अनुभव की लिखी पुस्तकों से पता चल जाता है कि उन्होंने सद्ग्रन्थों अनुसार अपना अनुभव लिखा है या नहीं। वर्तमान में कोई संत विद्वान सद्ग्रन्थों को बता कर ज्ञान प्रचार करता है तथा उसका ज्ञान पूर्व वाले महर्षियों व पंडितों तथा संतों के विचारों से भिन्न हैं तो सत्य या असत्य का निर्णय सद्ग्रन्थों से ही करना चाहिए न की लड़ाई झगड़ा करके। झगड़ा-लड़ाई आदि उपद्रव वे लोग करते या करवाते हैं जिनको यह पता लग जाता है कि तुम्हारा ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है। यदि अनुयाईयों को पता चल गया तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। अनुयाई उनको छोड़ कर पूर्ण संत के पास न चले जाएं। तुम्हारी धर्म की आड़ में चल रही दुकान बंद न हो जाए। वे लोग जनता को धर्म की आड़ में मरने व मारने को प्रेरित करते हैं। इसी का परिणाम "करौंथा काण्ड" है। इतना रक्तपात तो शायद विश्व युद्ध में नहीं हुआ होगा जितना स्वार्थी संतों, ऋषियों, गुरुओं, आचार्यों, काजी व मुल्लाओं ने धर्म की आड़ में करा दिया।

संत रामपाल महाराज जी ने उन्हीं पवित्र सद्ग्रन्थों को आधार मान कर अन्य संतों, पंथों व समाजों व महर्षियों के ज्ञान की तुलना की। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व प्रथम कबीर परमेश्वर (काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे) के ज्ञान की पवित्र सद्ग्रन्थों के तुलना की जो सर्व सद्ग्रन्थों के अनुसार सत्य पाया। अन्य पंथों व आर्यसमाज प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के ज्ञान की तुलना भी सद्ग्रन्थों व संत कबीर जी की वाणी से तुलना की तो महर्षि दयानन्द जी का ज्ञान का पूर्ण रूप से सद्ग्रन्थों (वेदों व गीता आदि) व कबीर संत जी की वाणी के विरुद्ध पाया।

आर्य समाज प्रवर्तक श्री दयानन्द सरस्वती जी ने अपने अनुभव से एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है 'सत्यार्थ प्रकाश'।

संत रामपाल जी महाराज ने 'सत्यार्थ प्रकाश' को पढ़ा जिसमें कोरा अज्ञान भरा है। जिसकी जानकारी समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा तथा विडियो सीडिज व ऑडियो सीडिज व कैसेट्स द्वारा जनता तक पहुँचाई। वास्तविकता से परीचित होकर शिक्षित व्यक्तियों ने आर्य समाज के वर्तमान प्रधान व अन्य पदाधिकारियों से प्रश्न किए कि आप किस निन्द्रा में सो रहे हो ? यह 'सत्यार्थ प्रकाश' क्या आपने कभी नहीं पढ़ा जिसमें कोरी बकवाद भरी है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान व महामंत्री व अन्य आचार्यों को वह तथ्य दिखाए जो संत रामपाल जी महाराज (संचालक सतलोक आश्रम करौंथा) ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों में समुल्लास व पृष्ठ संख्या अंकित की थी। इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार से तो सभ्य समाज में आग लग जाएगी। दूनिया आपस में लड़ मरेगी, महाभारत के युद्ध से भी अधिक जन-हानि हो जाएगी। क्या उपरोक्त विवाह व नियोग के नियमों का पालन आर्य समाज के व्यक्ति कर सकते हैं। नहीं, नहीं,। तो किस लिए बेहुदे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच कर भोली जनता को ठगा जा रहा है। कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश वेद ज्ञान आधार से रचा है। परंतु पूरा विवरण वेद ज्ञान विरुद्ध है। प्रिय पाठकगण आगे पढ़ें इसी पुस्तक में आश्चर्य जनक त्रुटियाँ जो सत्यार्थ प्रकाश में विद्यमान हैं। ऐसी सच्चाई का आर्य समाज के मुखियाओं के पास उतर नहीं था। उन्होंने अपने अनुयाईयों को संत रामपाल जी के विरुद्ध अन्य आरोप लगा कर भड़काया तथा संत रामपाल को जान से मारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं सूझा। जिस कारण से करौंथा काण्ड किया और करवाया।



करौंथा काण्ड का कारण

सतलोक आश्रम करौंथा के संस्थापक सतगुरु संत रामपाल जी का जन्म 8 सितम्बर सन् 1951 में गांव धनाना जिला सोनीपत, हरियाणा राज्य के एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री नन्दलाल जी है। संत रामपाल जी गृहस्थी हैं जिनके दो लड़के तथा दो लड़कियां संतान रूप में हैं। सन्त रामपाल जी महाराज अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (जे.ई.) के पद पर तैनात हुए। सन्त रामपाल जी की बचपन से ही भगवत भक्ति में रूचि रही है। सन् 1988 में सन्त रामपाल जी अपने कबीर पन्थी गुरु स्वामी रामदेवानन्द जी के सम्पर्क में आए और उनसे नाम उपदेश लिया। स्वामी रामदेवानन्द जी ने सन्त रामपाल जी को कबीर साहेब के मार्ग का पूर्ण ज्ञान करवा कर उनको आगे नाम उपदेश देने का आदेश दे दिया। अपने आपको भक्ति में पूरी तरह लिप्त करने के लिए सन्त रामपाल जी ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया जो हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत है और घर को भी पूर्ण परमात्मा के प्रचार-प्रसार करने के लिए छोड़ दिया। स्वामी रामदेवानन्द जी महाराज गांव छुड़ानी में स्थित गरीबदास महाराज के आश्रम में आया करते थे इसलिए सन्त रामपाल जी ने भी अपने गुरु के दर्शन करने जाते थे तथा वहां पर सत्संग करना प्रारम्भ कर दिया। छुड़ानी में सन्त रामपाल जी के सत्संग के दौरान सत्संग सुनने के लिए काफी संख्या में शिष्यों की भीड़ इकट्ठी होने लगी जिससे छुड़ानी आश्रम के महन्तों व संतों को ईर्ष्या होने लगी। सन्त रामपाल जी की लोकप्रियता से नाराज होकर छुड़ानी आश्रम के महन्तों व सन्तों के आदेश से उनके लोगों ने संत रामपाल महाराज के सत्संगों में विघ्न डालना प्रारम्भ कर दिया और कई बार तो सत्संग के दौरान पत्थर भी फेंके गये। सन्त रामपाल जी ने यह सोचकर कि कोई तनाव पूर्ण स्थिति पैदा न हो जाए छुड़ानी में सत्संग करना बन्द कर दिया और गाँव-गाँव और घर-घर जाकर गरीबदास जी महाराज तथा परमेश्वर कबीर जी की अमृत वाणी का पाठ व सत्संग करना प्रारम्भ कर दिया। नाम उपदेश, पाठ और सत्संग से लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ हुए और इस कारण हजारों की संख्या में लोग सन्त रामपाल जी के शिष्य बन गए।

सन् 1999 में शिष्यों ने सतगुरु सन्त रामपाल जी से प्रार्थना की कि वह एक अपना अलग से आश्रम बनाएं ताकि भक्तों को दर्शन और भक्ति के लिए एक सार्वजनिक स्थल उपलब्ध हो सके। शिष्यों ने गाँव करौंथा जिला रोहतक में एक जमीन के टुकड़े का प्रबन्ध किया और महाराज जी से अनुरोध किया कि आप वहाँ पर एक आश्रम बनाएं। सर्वसंगत के सहयोग से गांव करौंथा में सतलोक आश्रम का निर्माण हुआ और उसका प्रबन्धन 'बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट' के हवाले किया। जब आश्रम का निर्माण हो ही रहा था तो छुड़ानी आश्रमों के महन्तों को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सतलोक आश्रम में गड़बड़ी करवाने के लिए असामाजिक

तत्त्वों को भोजना शुरू कर दिया उन्होंने पैसा मांगना और दूसरे गैर वाजिब माँगें करनी शुरू कर दी जिन बातों से सन्त रामपाल जी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छुड़ानी आश्रम के महन्तों ने डीघल गाँव के 40-50 बदमाशों को पुर्णिमा सत्संग के दौरान बदनीयत से सतलोक आश्रम में भेजा। सन् 2001 में बदमाशों ने कच्चे पहन कर और शरीर पर तेल लगाकर आश्रम पर आक्रमण किया। सतलोक आश्रम के भक्तों ने पाँच-छह बदमाशों को पकड़ा और उनके खिलाफ थाना सदर रोहतक में केस दर्ज करवाया। पुलिस महकमें ने सुरक्षा का खतरा देखते हुए सन्त रामपाल जी और आश्रम की सुरक्षा के लिए दो गनमैन तैनात किये। सन्त रामपाल जी ने उसके पश्चात कबीर साहेब के ज्ञान का प्रचार-प्रसार जोर शोर के साथ प्रारम्भ कर दिया और उनके द्वारा विभिन्न पाखण्डी पन्थों और तथाकथित सामाजिक संगठनों की कमियों का भंडाफोड़ हुआ। इससे तथाकथित संतों और महन्तों के द्वारा दिये गए ज्ञान के खोखलापन का भी लोगों को ज्ञान हुआ तथा सतलोक आश्रम करौंथा में पहुँच कर उपदेश ग्रहण करके शिष्य बनने लगे। कबीर परमेश्वर जी की वाणी तथा शास्त्रों में प्रमाणित तथ्यों से अन्य संतों के विचारों की तुलना संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई। उन तथाकथित संतों, महंतों व महर्षियों के विचार सद्ग्रन्थों के विपरीत थे। जिन्हें प्रत्यक्ष देख कर शिक्षित भक्त समाज उन नकली ज्ञान बताने वाले पन्थों, संतों व महर्षियों के समूह से निकल कर संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ग्रहण करने के लिए आने लगे। कुछ ही वर्षों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयाईयों में अद्वितीय वृद्धि हुई। जिसकी वजह से ये सभी तथाकथित संत, महन्त, सामाजिक संगठन इत्यादि सन्त रामपाल जी की जान के दुश्मन बन गए। लेकिन इसके साथ-साथ सन्त रामपाल जी के शिष्यों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई और उनके तत्व ज्ञान को समझकर उनके शिष्यों की संख्या लाखों में पहुँच गई। सन्त रामपाल जी ने सन् 2003 में आस्था तथा साधना चैनलों के माध्यम से सतज्ञान देना शुरू किया और पाखण्डी सन्त महात्माओं द्वारा दिये गए ज्ञान का पर्दाफाश किया क्योंकि सन्त रामपाल जी के उपदेशों का मुख्य आधार कबीर वाणी, गरीबदास वाणी, दादू साहेब वाणी और गुरुनानक वाणी तथा वेद और श्री मद्भगवत् गीता और पुराण हैं जिससे सभी प्रकार के पाखण्डों और भ्रमित करने वाले ज्ञान की त्रुटियाँ उजागर होती हैं। सन्त रामपाल जी ने अपनी पुस्तक 'गहरी नजर गीता में' यथार्थ रूप से गीता ज्ञान का टीकाकरण किया। इसी प्रकार सन्त रामपाल जी ने 'परमेश्वर का सार संदेश' नामक पुस्तक में कबीर वाणी और शास्त्रों के आधार पर सद्ज्ञान दिया। आस्था चैनल पर दिये गए उपदेश सन्त रामपाल जी ने 'परिभाषा प्रभु की' के शीर्षक से एक पुस्तक भी समाज के सामने रखी। इस तत्व ज्ञान के उजागर करने से सन्त रामपाल जी के दुश्मन और बढ़ गए और उनको धमकियों भरे पत्र और टेलीफोन आने लगे जिसके बारे में पुलिस को भी सूचना भेजी गयी और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के जरिये भी सुरक्षा बढ़ाने की मांग

की गई। उच्च न्यायालय ने अदायगी के आधार पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा देने के आदेश भी पारित किये। इसके अतिरिक्त अपने शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का पर्दाफाश होने का खतरा भांपते हुए तथाकथित सन्तों और महन्तों ने आस्था और साधना चैनलों पर सन्त रामपाल जी के प्रवचनों का प्रसारण बन्द करवा दिया। इसके पश्चात् सन्त रामपाल जी ने अपने ज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए बड़े-बड़े शहरों में विशाल सत्संग करने शुरू कर दिए जिसके द्वारा कबीर साहेब द्वारा दिए गए सच्चे ज्ञान का जोर शोर से प्रचार-प्रसार किया और अपने सदग्रन्थों में छुपी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। इन सत्संगों को सुनकर और सच्चाई को समझकर सन्त रामपाल जी के शिष्यों में भारी संख्या में वृद्धि होती गई जिससे तथाकथित सन्त और विशेष कर आर्यसमाजी ज्यादा ही परेशान हो गए और उन्होंने सत्संगों में विघ्न डालना शुरू कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप जुलाई, 2004 में यमुनानगर में चल रहे सत्संग पर आक्रमण करवाया गया जिसमें सन्त रामपाल जी और उनकी संगत बाल-बाल बची। इसके पश्चात् सन्त रामपाल जी ने खुले स्थानों पर सत्संग करना बन्द कर दिया और अपने आश्रमों और समाचार पत्रों के माध्यम से सत्संग करना शुरू कर दिया।

संत रामपाल जी महाराज द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पर की गई समिक्षा कृप्या निम्न पढ़ें :---

संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मैंने न तो आर्य समाज को बुरा बताया है क्योंकि हमारी आपस में रिश्तेदारियां हैं। मामा, फूफी के भाई बहने हैं और न ही महर्षि दयानन्द जी को बुरा बताया है। बुरा बताया है 'सत्यार्थ प्रकाश' के ज्ञान को जो वास्तव में व्यर्थ विवरण है तथा इसका नाम 'मिथ्यार्थ प्रकाश' होना चाहिए।

जिन व्यक्तियों ने हमारे बीच में दरार पैदा करने की कुचेष्टा की है वे कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति हैं जो आर्य समाज की आड में आर्य प्रतिनिधि सभा बना कर उसके अधिकारी बन कर प्रभुता बनाए हुए हैं। उनके पास ज्ञान का उत्तर नहीं था। इसलिए उपद्रव करवाकर आपस में जनता को लड़वा कर अपनी पदवी बनाए रखना ही उद्देश्य है। आर्य समाज की एक सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली में भी है जो पूरे भारतवर्ष की संचालक है उन्होंने इस सत्यज्ञान का विरोध नहीं किया। क्योंकि वे सत्य से परिचित हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान व्यर्थ है।

आर्य समाज की परिभाषा : आर्य का अर्थ श्रेष्ठ तथा समाज का अर्थ समुदाय। वह समुदाय जो शराब, मांस, तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं का सेवन न करता हो। चोरी, जारी, झूठ, कपट से दूर हो वह समुदाय आर्य समाज कहलाता है तथा जो आर्य समाज के दस नियमों का पालन करता हो जिनमें चौथा नियम है - सत्य का ग्रहण करो, असत्य का परित्याग करो। जो अपने आपको आर्य समाजी कहते हैं वे आंखों देख कर भी सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे कि वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान वेद ज्ञान विरुद्ध तथा मिथ्या आलोचनाओं का पुलंदा है। वे कथित आर्य

समाजी हैं जो वास्तव में आर्य हैं। वे सत्य को जान कर चुप हैं। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी रहते हैं। वहां पृथ्वी की तरह सभी पदार्थ हैं। वहां सूर्य पर इन्हीं वेदों को पढ़ा जाता है। यह विवरण सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है तो भी समाचार पत्रों में लेख लिख कर कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश में कहीं नहीं लिखा है कि सूर्य पर मनुष्य आदि अन्य प्राणी रहते हैं। विचार करें कि जो व्यक्ति सत्य का ग्रहण न करते हों तो क्या वे आर्य हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने आर्य समाज के चौथे नियम का उल्लंघन किया है। स्वामी दयानन्द जी को कौन सा प्रमाण पत्र प्राप्त था कि वह सर्व की आलोचना कर गया। अब उसकी झूठ की पोल को कोई खाले तो उसे मार डालो। क्या दयानन्द जी कोई सांड छोड़ रखा था कि वह किसी भी सभ्य समाज व धर्म प्रवर्तक के विषय में जो मन में आया लिख दिया। क्या उसके विषय में कोई नहीं लिख सकता ? भारत में प्रजातंत्र शासन है। प्रत्येक व्यक्ति को लिखने व बोलने का अधिकार है। यदि मेरे द्वारा लिखी व्याख्या गलत है तो न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है या लेख-प्रतिलेख लिख कर अपना पक्ष रखा जा सकता है। कृपया निम्न पढ़ें स्वामी दयानन्द द्वारा आधार हीन व अभद्र कटाक्ष जो अन्य धर्मों तथा महापुरुषों के विषय में लिखे हैं।

स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ 342 समुल्लास 12 की अनुभूमिका में लिखा है - "जब तक वादी-प्रतिवादी हो कर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाए तब तक सत्य-असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। इस लिखे सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ (के लिए) मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य की उन्नति कभी नहीं हो सकती।" (लेख समाप्त)

मैंने (संत रामपाल जी महाराज ने) भी यही उपकार किया है। समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से लेख लिख कर सत्यार्थ प्रकाश की त्रुटियों को उजागर किया है जो मानव मात्र के कल्याणार्थ है। आर्य समाज के आचार्यों ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न दे कर मुझ (रामपाल दास) पर बेहुदे आरोप लगाए हैं तथा मारने का षडयंत्र रचा ताकि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के अज्ञान की पोल न खुल जाए।

मुझ दास (रामपाल दास) द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए किए प्रयत्न को आर्य समाज के आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया, उल्टा मेरा झोंपड़ा (आश्रम) ही नष्ट करने तथा मुझे जान से मारने की ठान ली। जैसे बन्दी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि -

कबीर सीख वाकुं दीजिए, जांकु सीख सुहाय। सीख दई थी वानरा, बैय्या का घर जाय।

एक समय सर्दी में हुई वर्षा से एक वानर उसी वृक्ष पर ठीतुर रहा था जिस पर एक बैय्या पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था जिसमें वर्षा का जल प्रवेश नहीं

होता था तथा शीतल वायु प्रवेश न करने से बैय्या पक्षी आराम से बैठा था। उस पक्षी ने वानर को कहा कि - हे भाई ! आपको परमात्मा ने मनुष्य की तरह हाथ दिए हैं। आप भी मेरे की तरह अपना घर बना ले। जिससे तेरी दुर्दशा न हो। देखो मैं कैसे सुख से अपने घर विराजमान हूँ। वानर ने कहा कि तू छोटा सा पक्षी मुझे शिक्षा देता है, अभी करता हूँ तेरा कल्याण। यह कह कर वानर ने बैय्या पक्षी के घोंसले को उखाड़ फेंका। पक्षी ने उस दुर्बुद्धि वानर की कुनियत जान कर उड़ कर जान बचाई।

इसी प्रकार मुझ दास (रामपाल दास) ने आर्य समाज के कथित आर्य समाजी आचार्यों से प्रार्थना की थी कि यह सत्यार्थ प्रकाश पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध व समाज कल्याण विरुद्ध व्याख्याओं से भरा है। कृपया इसमें झांक कर देखो। आप शिक्षित हो। जब उन आर्य समाज के वर्तमान ठेकेदारों, आचार्यों व आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के पदाधिकारियों ने देखा कि वास्तव में यह सत्यार्थ प्रकाश तो किसी काम का नहीं है। इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह तो पूरा ही अज्ञान से भरा है। तब कुछ और उपाय न देख कर मुझे जान से मारने व प्रचार बंद कराने का निर्णय लिया। यह विनाश जो 12 जुलाई 2006 को किया व कराया है यही दुष्ट कर्म 2 जनवरी 2005 को करना था। उस समय रोहतक प्रशासन के अनुभवी अधिकारियों ने समय पर उचित कार्यवाही करके आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा सुनियोजित विनाशकारी दुष्कर्म करने के लिए किया जाने वाला कथित सम्मेलन पर रोक लगा दी तथा करौथा गांव की सीमा में धारा 144 लगा दी तथा उनको प्रवेश नहीं होने दिया। जैसा पाठकों ने ऊपरलिखित स्वामी दयानन्द जी के विचार पढ़े कि वाद-विवाद व लेख-प्रतिलेख प्रेम पूर्वक अवश्य करना चाहिए जो मानवमात्र की भलाई के लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने आर्य समाज प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी द्वारा लिखित पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' के ज्ञान को यथावत् लिख कर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया तथा सभ्य समाज से प्रार्थना की कि यह 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक न तो समाज सुधार में खरी है, न ही वेदों के ज्ञान के अनुसार खरी है, न ही व्यवहारिक, राष्ट्रवादी व आधुनिक विज्ञान पर आधारित है। 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक को भोली जनता में बेच कर उनकी धन-हानि, ज्ञान-हानि, सामाजिक सभ्यता की हानि तथा समाज बिगाड़ किया जा रहा है। उपरोक्त विचार संत रामपाल जी के हैं।

सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में पूरी जुलाहा जाति (धाणक समाज) को मूर्ख व नीच कहा है :-

संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि 'सत्यार्थ प्रकाश' (प्रकाशक - वैदिक यतिमण्डल दयानन्द मठ, दीनानगर (पंजाब), मुद्रक आचार्य प्रीटिंग प्रैस दयानन्द मठ, गोहाना रोड़, रोहतक, हरियाणा) के ग्यारहवें समुल्लास में पृष्ठ 306 पर पूरी जुलाहा जाति को नीच तथा मूर्ख लिखा है। स्वामी दयानन्द ने कहा है कि कबीर

तम्बूरे लेकर गाता था। कुछ मूर्ख नीच जुलाहा आदि लोग उसके जाल में फंस गए। सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी को मूर्ख कहा है तथा व गुरु ग्रंथ साहेब पर अभद्र कटाक्ष किया है :-

पृष्ठ 307 से 309 तक समुल्लास 11 में सिक्ख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी को मूर्ख, (दम्भी) ढांगी, अभिमानी लिखा है तथा श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी को मिथ्या गपोड़ों का संग्रह लिखा है कि उसमें लिखा ज्ञान अविद्वानों का है। श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी को पवित्र सिक्ख समाज के करोड़ों व्यक्ति अपनी जान से भी अधिक आदरणीय व प्रिय मानते हैं। ऐसे धर्म के धार्मिक व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं पर कपटयुक्त कुठाराघात किया गया है। जिसके कभी भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक जो स्वामी दयानन्द जी द्वारा लिखी है पर प्रतिबंध लगाया जाए।

इसाई धर्म पर अभद्र कटाक्ष :-

सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास तेरह में पृष्ठ 414, 425, 428, 429, 418, 426, 436 पर ईसा जी तथा इसाई धर्म पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। ईसा जी व इसाईयों के ईश्वर को इसाईयों जैसा दूसरों के धन को हड़पने वाला कहा है तथा ईसा जी के अनुयाईयों को जंगली व्यक्ति कहा है।

स्वामी दयानन्द जी की कथनी व करनी में अंतर :-

सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास तेरह में लिखा है कि ईसा को फांसी लगा कर मर जाना चाहिए था।

1. स्वामी दयानन्द जी (आर्य समाज प्रवर्तक) ने हजरत ईसा-मसीह को (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 13 पृष्ठ 436 पर) राय दी है कि जैसे ईसा जी कृश किए गए, भयंकर पीड़ा दे कर मारे गए। ऐसी दुर्दशा से मृत्यु सजा पाने से अच्छा तो स्वयं फांसी लगाकर (झूलकर) या समाधी चढ़ा कर या किसी अन्य कारणों से आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। परंतु बुद्धि बिना विद्या (पढ़ाई) के कहां से ईसा जी में उपस्थित हो अर्थात् ईसा-मसीह जी अज्ञानी थे, जिस कारण उनको ज्ञान नहीं हुआ कि क्रश होने से अच्छा तो आत्महत्या करना उचित था। क्योंकि ईसा-मसीह जी को दीवार के साथ खड़ा करके दोनों हाथों को ऊपर फैलाके हथेलियों में लोहे की मंख (मोटी लम्बी कीलें) गाड़ी गई थी। जिस कारण ईसा जी ने तड़फ-र कर प्राण त्यागे थे। पुस्तक 'श्रीमद् दयानन्द प्रकाश' में स्वामी दयानन्द जी की 'जीवनी' में (जो पुस्तक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा छपाई है उसके पृष्ठ 437 से 451 तक) लिखा है कि 59 वर्ष की आयु में स्वामी दयानन्द जी बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य कई दिनों से ढीला चल रहा था। प्रतिदिन की तरह अपने रसोईया से दूध ले, पी कर सो गए। रात्री में तबीयत अत्याधिक खराब हो गई। सुबह वैद्य बुलाया, दवाई खाई, औषधि ने विपरीत काम किया। कोई दवाई

लाभ नहीं दे पाई। स्वामी दयानन्द जी के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। जीह्या (जीभ) पर छाले, मुंह में छाले, माथे पर छाले, मुख पर छाले, पूरा शरीर गल गया। कुछ भी खाया-पीया नहीं जा रहा था। बुरी तरह तड़फते थे। स्वांस-प्रस्वांस की क्रिया भी तेज हो गई थी। स्वामी दयानन्द जी का मल-मूत्र भी समय-कुसमय वस्त्रों में निकल जाता था। इस प्रकार एक महीने तक तड़फ-२ कर स्वामी दयानन्द जी महाकष्ट पाए और 59 वर्ष की आयु में अकाल मृत्यु हुई।

विचार करें : स्वामी दयानन्द जी तो अपने आपको विद्वान मानते थे। उनके पास तो बुद्धि उपस्थित थी। स्वामी जी ने एक महीना घोर कष्ट भोगा। आत्महत्या क्यों नहीं की, फांसी पर क्यों न झूले, समाधी क्यों नहीं चढ़ाई ? इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानन्द जी ने अन्य महापुरुषों की केवल मिथ्या आलोचना की है। स्वामी दयानन्द जी की कथनी व करनी में अंतर था।

दूसरा उदाहरण : स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 13 पृष्ठ 426, 430 पर हजरत ईसा-मसीह जी पर कटाक्ष किया है कि ईसा जी ने स्वयं माता-पिता की सेवा नहीं की, क्योंकि ईसा-मसीह जी ने युवा अवस्था में घर त्याग दिया था। कुछ शिष्य भी उनके साथ (अविवाहित रह कर घर त्याग कर) रहा करते थे। स्वामी दयानन्द जी ने कहा है कि ईसा जी ने स्वयं भी माता-पिता की सेवा नहीं की तथा अन्य अनुयाईयों को भी माता-पिता की सेवा नहीं करने दी। जिस पाप के कारण ईसा जी चिरंजीव (लम्बी आयु तक जीवित) नहीं रहे। स्वामी दयानन्द जी की जीवनी में लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी बाईस वर्ष की आयु में घर त्याग कर चले गए थे। दोबारा आजीवन घर नहीं गए। स्वामी जी के पिता जी ने उनकी बहुत खोज की परंतु निष्फल रहे। इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानन्द जी ने भी माता-पिता की सेवा नहीं की, शायद इसीलिए 59 वर्ष की अल्पआयु में प्राण त्यागे अर्थात् स्वामी दयानन्द जी भी चिरंजीव (लम्बी आयु तक जीवित) नहीं रहे। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि स्वामी जी का अन्य महापुरुषों की केवल आलोचना करना ही उद्देश्य रखते थे। स्वयं आचरण नहीं करते थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर था।

तीसरा उदाहरण : स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 4 पृष्ठ 115 पर लिखा है कि जो सन्यासी (घर त्याग कर प्रचार के लिए निकला व्यक्ति) आवश्यकता से अधिक धन रखेगा तो उसके चोरी होने पर दुःख उठाएगा। उसमें मोह हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा है कि जो विद्वान होगा वह कभी अधिक धन रख कर मोह आदि में नहीं फंसता। स्वामी दयानन्द जी की जीवनी में उपरोक्त पुस्तक 'श्रीमद् दयानन्द प्रकाश' पृष्ठ 436 पर लिखा है कि स्वामी दयानन्द के पास 700 (सात सौ) रूपए थे जिनको स्वामी दयानन्द जी का नौकर चुरा कर भाग गया। जिस कारण से स्वामी दयानन्द जी धन चोरी के कारण पीड़ित हुए। वर्तमान सन् 2007 से लगभग 120 वर्ष पूर्व एक अच्छी गाय की कीमत दस रूपए की होती थी। उस समय स्वामी दयानन्द जी द्वारा किए संग्रह धन (700 रूपए) की 70 गाय

खरीदी जा सकती थी। वर्तमान (सन् 2007) में एक गाय का औसतन मूल्य दस हजार रूपए है। जिनकी कीमत 70 गुणा 10000 = 700000 (सात लाख रूपए) बनती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानन्द जी की कथनी और करनी में अंतर था।

चौथा उदाहरण : सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 3 पृष्ठ 44 पर लिखा है कि जो व्यक्ति बचपन से 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी आयु चार सौ (400) वर्ष तक बढ़ जाती है। साधक रोग रहित रह कर मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे ही तुम भी बढ़ाओ। स्वामी दयानन्द जी की मृत्यु 59 वर्ष में असाध्य रोग द्वारा हुई थी। इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानन्द जी अखण्ड ब्रह्मचारी नहीं थे, अन्यथा कम से कम सौ वर्ष तो जीवित रहते और अरोग्य रहते। स्वामी दयानन्द जी की जीवनी पुस्तक 'श्रीमद् दयानन्द प्रकाश' के पृष्ठ 75 पर लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी कई प्रकार की भस्में खाते थे। उनमें एक भस्म अभ्रक भी थी। आयुर्वेद में अभ्रक भस्म अति उत्तेजनात्मक गुण युक्त लिखी है। स्वामी जी की जीवनी में यह प्रश्न भी उठाया है कि अभ्रक भस्म जो आप खाते हो यह तो तुफान मचाने वाली स्तम्भन है अर्थात् कामदेव को उत्तेजित करने (स्त्री इच्छा उत्पन्न करने) वाली है, आप कैसे रूके हो ? स्वामी जी ने कहा कि हमने अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त की है।

विचार करें कि यदि स्वामी जी ब्रह्मचारी होते तो रोगी नहीं होते तथा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। स्वामी जी की जीवनी पुस्तक 'श्रीमद् दयानन्द प्रकाश' में पृष्ठ 138 पर लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी तम्बाकू सूंघते थे। विचार करें - तम्बाकू सूंघना भी एक नशा है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानन्द जी की कथनी व करनी में अंतर था।

ईसाई धर्म की अन्य आलोचना :-

स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 13 पृष्ठ 444 पर ईसाईयों की पुस्तक 'बाइबल' के अध्याय 'योहन रचित सुसमाचार' पर समीक्षा संख्या 125 में कहा है कि इसमें देखिए लम्बे-चौड़े गपोड़ हैं कि एक स्त्री ने स्वर्ग में सूर्य पहने थे, चांद उसके पांव तले आदि लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 8 पृष्ठ 197-198 पर स्वामी दयानन्द जी ने भी इसी गपोड़ का बड़ा भाई गपोड़ लिखा है कि 'सूर्य' पर पृथ्वी की तरह मनुष्य आदि अर्थात् मनुष्य तथा अन्य जीव-जंतु, पशु, पक्षी रहते हैं। सूर्य पर पृथ्वी की तरह बाग-बगीचे, नदियां, झरने आदि पदार्थ हैं। सूर्य आदि लोकों पर इन्हीं वेदों को पढ़ा जाता है। स्वामी दयानन्द जी ने अपने घोर अज्ञान को नहीं देखा। अन्य महापुरुषों की आलोचना की है। "जैसे काले रंग की भैंस काले रंग की छोटी सी छत्तरी (छाता) से फड़क कर भाग जाती है अर्थात् उसे बुरी मान कर डरती है परंतु अपना रंग नहीं देखती कि मैं स्वयं सारी ही काली हूं।" स्वामी दयानन्द जी ने अपने आपमें झांक कर नहीं देखा कि तेरा ज्ञान पूर्ण रूप से व्यर्थ है, अन्य की आलोचना किस लिए कर रहा है ?

स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 13 पृष्ठ 429 पर समीक्षा संख्या 80 में कहा है कि यह बात झूठ है कि ईसा जी आर्शीवाद से व्याधियों अर्थात् रोगों को ठीक करते थे। बिना औषधी के रोग (ज्वर आदि रोग) ठीक नहीं हो सकते।

विचार करें कि यदि स्वामी दयानन्द जी को वेद ज्ञान होता तो यह आलोचना नहीं करते क्योंकि ऋग्वेद मण्डल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में लिखा है कि यदि रोगी का जीवन शेष न रहा तो, रोग (व्याधि) कितना ही भयंकर व असाध्य हो परमात्मा अपने साधक का रोग समाप्त करके उसे सौ वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। दूसरी बात स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास प्रथम पृष्ठ 19-20 पर लिखा है कि परमात्मा अपने साधक के तीनों ताप समाप्त कर देता है। जो उपासक शांति पाठ करता है। परमात्मा उसका ज्वर (बुखार) आदि रोग की पीड़ा से उत्पन्न कष्ट को बिना औषधी के समाप्त कर देता है। परमात्मा उपासक के सर्प आदि विषैले जन्तुओं के विष को भी बिना औषधी के समाप्त कर देता है।

विचार करें : स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि परमात्मा बिना औषधी के साधक के रोग नष्ट कर देता है। फिर ईसा जी की आलोचना किस लिए की है ? इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानन्द जी जरूर किसी नशे का प्रयोग करते होंगे क्योंकि उन्हें स्वयं नहीं पता कि मैंने पूर्व समुल्लासों (अध्यायों) में क्या लिखा है ? अपनी ही व्याख्याओं का स्वयं विरोध किया है। सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य व अन्य प्राणी रहते हैं, पृथ्वी की तरह ही सर्व पदार्थ हैं जो सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 8 पृष्ठ 197-198 पर लिखा है जो बिना नशा किए व्यक्ति कभी भी नहीं लिख सकता। उसकी जीवनी में भी लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी तम्बाकू सूंघते थे, कई प्रकार की भस्में खाते थे।

मुसलमान धर्म के विषय में अभद्र कटाक्ष :-

सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास चौदह में मुसलमान धर्म तथा हजरत मुहम्मद जी को मूर्ख, जंगली बताया है। सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 14 के पृष्ठ नं. 455, 477, 480, 483, 485 तथा 467 पर कहा है कि मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमझ है। पृष्ठ 470 पर समुल्लास चौदह में ही कहा है कि मुहम्मद साहेब ने अज्ञानियों को फंसाया है। फिर पृष्ठ 472 पर कहा है कि जब मुसलमानों का खुदा ही धोखेबाज है तो मुसलमान धोखेबाज क्यों न हों ? पृष्ठ 492, 493, 498, 499 पर समुल्लास चौदह में ही मुहम्मद जी को विषयी (भोग विलास करने वाला ऐश्याई है) तथा कुरान शरीफ के ज्ञान को व्यर्थ ज्ञान, मुहम्मद जी पैगम्बर नहीं थे, कुरान में वर्णित परमात्मा - परमात्मा नहीं है आदि अभद्र तर्क युक्त तथ्य रहित आलोचना की है जो बहुत बड़े विवाद को उत्पन्न कर सकती है तथा जन-हानि भी हो सकती है। इसलिए 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

“मुसलमान धर्म व कुरान की झूठी आलोचना का प्रमाण”

सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 14 पृष्ठ 473 व 486 पर समीक्षा संख्या 118 व

संख्या 75 में लिखा है कि जो 'कुरान' पुस्तक में पाप क्षमा करने की बात लिखी है कि परमात्मा साधक के पाप (अपराध) नाश (क्षमा) करता है तो यह पुस्तक ईश्वर कृत नहीं है। भावार्थ है कि जिस पुस्तक में पाप क्षमा करने की बात हो वह न तो (ज्ञान कहने वाला) ईश्वर है तथा न वह पुस्तक किसी विद्वान द्वारा बनाई है। उसमें कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता।

विचार करें : स्वामी दयानन्द जी चारों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद) को परमात्मा कृत मानते हैं। कहा है चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने चार ऋषियों के अन्दर जीवस्थ रूप में प्रवेश करके बोला है। (सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 पृष्ठ 172 से 174 तथा 176 पर) यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्वामी जी ने स्वयं हिन्दी अनुवाद किया है। उसमें छः बार लिखा है कि - हे सबके उपकार करने वाले मित्र (मित्र का अर्थ परमात्मा जाने, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास प्रथम पृष्ठ 18 पर कहा है कि परमेश्वर का अर्थ मित्र है) आप दान देने वाले के अपराध (पाप) को नाश (क्षमा) करने वाले हो। साधक के अपने किए या अन्य कोई भी पाप करे उन सबके किए हुए पाप (अपराध) के नाश (क्षमा) करने वाले हो। हे परमात्मा ! आप (एनसः एनसः) अपराध के अपराध अर्थात् घोर अपराध (पाप) के नाश (क्षमा) करने वाले हो।

विचार करें : क्या वेद भी परमात्मा कृत नहीं है। क्या वेद ज्ञान कहने वाला ईश्वर नहीं है वा विद्वान नहीं है? इससे सिद्ध हुआ कि स्वामी दयानन्द जी को वेद ज्ञान नहीं था। यदि वेद ज्ञान होता तो सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 पृष्ठ 155 व 163 पर नहीं लिखते कि परमात्मा उपासक के पाप (अपराध) क्षमा (नाश) नहीं करता। ऐसी -2 अनेक मिथ्या व्याख्याओं से यह सत्यार्थ प्रकाश भरा पड़ा है। स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश में अन्य धर्मों व महापुरुषों की मिथ्या तर्क युक्त तथ्य रहित आलोचनाएं की हैं। स्वामी दयानन्द जी द्वारा लिखी 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' नामक पुस्तक के पृष्ठ 213 पर यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र 15 का अनुवाद किया है। उसमें लिखा है कि परमात्मा सर्व पापों के नाश (क्षमा) करने हारा है।

विचार करें कि फिर तो स्वामी दयानन्द जी भी विद्वान नहीं थे क्योंकि उन्होंने ही ऊपर कहा है कि जिस पुस्तक में पाप नाश (क्षमा) करने की बात है वह लेखक विद्वान नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में कोरा अज्ञान भरा है। इसलिए इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगवाया जाए।

सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास आठ पृष्ठ 197-198 पर स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है : सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य पशु-पक्षी आदि सर्व प्राणी रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर सर्व पदार्थ बाग-बगीचे, झरने आदि हैं वैसे ही खाने-पीने के सर्व पदार्थ सूर्य पर हैं। जिन वेदों को पृथ्वी पर पढ़ा जाता है उन्हीं को सूर्य पर भी पढ़ा जाता है। अन्य नक्षत्रों, तारों तथा गृहों व चाँद पर भी पृथ्वी की तरह प्रजा रहती है। वाह रे महर्षि दयानन्द जी वाह ! तेरा अध्यात्मिक ज्ञान। मूर्ख से मूर्ख भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं तथा अन्य सर्व पदार्थ पृथ्वी की तरह हैं।

समाज सुधार का दावा करने वाले प्रमुखों की समाज सुधार की विधि ऐसी है। जैसे कोई घण (एक लोहा कूटने का मोटे सिरों वाला हथोड़ा होता है) से वृक्ष काटने का प्रयत्न करता है जो अति असंभव है।

उदाहरण : आर्य समाज के सुधारकों ने एक रट लगाई कि शराब के ठेके बंद हों। सरकार के साथ बहुत संघर्ष किया। सरकार को पता था कि यदि शराब के ठेके बंद कर दिए तो शराब ब्लैक में बिकेगी तथा जनता अधिक पैसे से शराब खरीद कर पीयेगी। जिससे उनकी मालिय हालत और बिगड़ जाएगी। परंतु आर्य समाज के समाज सुधारकों को समझाना तो ऊँट को रेलगाड़ी में चढ़ाना है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात मान कर शराब के ठेके हरियाणा में बंद कर दिए। यह तो फिर वही बात हुई, बीस रूपए की शराब सौ रूपए में खरीद कर उपभोक्ताओं ने प्राप्त की। नौजवान बच्चे शराब का अवैद्य धंधा करके अपराधी बन गए। उस समय ये आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा अन्य पदाधिकारी बिलों में घुस गए। उस समय क्यों नहीं गए गांव-२ में, क्यों नहीं समझाया जनता को ? सरकार ने शीघ्र ही शराब को फिर से चालू करना पड़ा। अब ये समाज सुधार के ठेकेदार धरने दे रहे हैं कि अश्लीलता पर प्रतिबंध लगे। इनसे कोई पूछने वाला हो कि अपने 'सत्यार्थ प्रकाश' समुल्लास चार पर भी झांक कर देख लें। उसके अनुसार तो घर-२ में वैश्यावृत्ती के अड्डे बन जाएंगे।

संत रामपाल जी महाराज ने जनता की विचारधारा को बदला है, सत्संग सुनाए हैं। जिस कारण से लाखों व्यक्तियों ने सर्व नशीली वस्तुओं का परित्याग कर दिया है। टेलिविजन में अश्लील पिकचरों को देखना बंद कर दिया है। यह समाज सुधार हो रहा है जो इन प्रभुता के भूखों को एक आंख सहन नहीं हो रहा है अर्थात् बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों ने तो समाचार पत्रों में अपने फोटो खिंचवाने तथा अपना नाम छपवाने से मतलब है। चाहे हुक्के में डिककड़े तोड़ कर प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए वह भली मानते हैं। समाज सुधार से कोई लेना-देना नहीं है। अब नहीं कहते कि शराब के ठेके बंद हों। क्या अब शराब गुणकारी हो गई। कृप्या पढ़ें समाज सुधार के ठेकेदारों के मुख्य शास्त्र 'सत्यार्थ प्रकाश' में महर्षि दयानन्द जी के कलम तोड़ समाज सुधार के विचार।

“सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास चार में समाज बिगाड़ की झलक”

सत्यार्थ प्रकाश (प्रकाशक - वैदिक यतिमण्डल दयानन्द मठ दीनानगर पंजाब, मुद्रक - आचार्य प्रिंटींग प्रैस दयानन्द मठ गोहाना रोड़ रोहतक, हरियाणा) समुल्लास चार में कोरी बेहुदी व्याख्या भरी है जो निम्नलिखित है :-

पृष्ठ 69 पर लिखा है कि जो कन्या माता की छः पीढियों में न हो तथा पिता के गोत्र में न हो उससे विवाह करना चाहिए। पृष्ठ 70 पर लिखा है कि उस पूरे कुल (खानदान/वंश) के लड़के व लड़की से विवाह न करें जिस कुल में किसी एक सदस्य को भी बवासीर, दमा, खांसी, क्षय (टी.बी.) आमाशय की बिमारी अर्थात् पेट

खराब रहता हो, मिरगी व कुष्ठ (कोढ) रोग हो, जो कुल वेद न पढते हों, किसी के शरीर पर बड़े-२ लोम (बाल) हों।

विचार करें कि क्या महर्षि दयानन्द सरस्वती जी द्वारा लिखे इन उपरोक्त नियमों का पालन किया जा सकता है। एक कुल में सैकड़ों परिवार होते हैं। महर्षि दयानन्द जी के बताए नियमानुसार यदि उन सैकड़ों परिवारों में किसी एक व्यक्ति को उपरोक्त रोग हो तो उन सैकड़ों परिवारों की कन्या व लड़के से विवाह न करो। इस नियम के अनुसार तो सब कंवारे ही रहेंगे। मान लें कि कोई छंट कर विवाह कर लाए फिर उस कन्या या लड़के को उपरोक्त बीमारी हो जाए तो वह पूरा कुल भी गया काम से। इससे सिद्ध है कि 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक जो महर्षि दयानन्द जी द्वारा लिखित है पूर्ण रूप से अज्ञान से भरी है। यह पुस्तक पूर्ण रूप से त्यागने योग्य है।

पृष्ठ 71 पर स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि जो लड़की पुरुष से अधिक लम्बी-चौड़ी, जिसके बाल (लोम) न हों या अधिक लोम हों, भूरे नेत्र हों (कैरी आंखों वाली हो) उस कन्या से विवाह न करें। जिन लड़कियों के नाम गंगा, जमुना, पार्वती, काली आदि हो उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। जिनके नाम सुखदा, यशोदा आदि हों तथा हंस और हथनी जैसी चाल हो, दांतों वाली हो, सूक्ष्म लोम (बाल) हों वैसी स्त्री से विवाह होना चाहिए।

पृष्ठ 71 पर ही लिखा है विवाह की आयु :-

(क) सोलह वर्ष की कन्या तथा पच्चीस वर्ष के पुरुष का विवाह समय तो निकृष्ट अर्थात् घटिया है।

(ख) अठारह बीस वर्ष की स्त्री तथा तीस, पैंतीस व चालीस वर्ष के पुरुष का विवाह समय मध्यम है (काम चलाऊ है)।

(ग) चौबीस वर्ष की स्त्री तथा अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह समय उत्तम है।

पृष्ठ 73 पर लिखा है कि चाहे लड़का लड़की पूरी उमर कुंवारे रह जाएं परंतु इस समय से पहले तथा अन्य नियमों का उलंघन करके विवाह न करें।

विचार करें : एक कुल में लगभग सैकड़ों परिवार होते हैं। महर्षि दयानन्द जी के अनुसार यदि उन सैकड़ों परिवारों में किसी एक को दमा, खांसी, मिरगी, आमाशय में गड़बड़ (पेट रोग) बवासीर आदि उपरोक्त रोग हैं तो उस पूरे कुल(सैकड़ों परिवार के समूह) के लड़कों व लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। क्या संभव है ? यदि विवाह के पश्चात् उन लड़कों या लड़कियों को उपरोक्त रोग हो जाए तो फिर क्या समाधान है ? उस अगले पूरे कुल को भी त्याग दो। क्या इस प्रकार विवाह होना संभव है, कभी नहीं। क्या महर्षि दयानन्द जी द्वारा बताया विवाह का समय ठीक है ? कौन चौबीस वर्षीय लड़की अड़तालीस वर्ष के वृद्ध से विवाह करना चाहेगी ? क्या महर्षि दयानन्द जी के अनुयाई (आर्य समाजी) उपरोक्त नियमों का पालन कर रहे हैं या कोई अन्य सभ्य नागरिक उपरोक्त

नियमों का पालन करेगा ? फिर किस कारण से इस शास्त्र (सत्यार्थ प्रकाश) को भोली जनता में बेचा जा रहा है जिससे धन-हानि, ज्ञान-हानि तथा उन बेटियों की मान-हानि जिनके नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, पार्वती, काली आदि हैं। जिनके विषय में कहा है कि इन नाम वाली लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

पृष्ठ 96-97 पर पुनर् विवाह को मना किया है तथा उसके स्थान पर नियोग करने को कहा है।

पृष्ठ 96-97 पर पुनर्विवाह के दोष : पुनर्विवाह से उस स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। (पृष्ठ 97) परंतु वह स्त्री नियोग करे तथा लिखा है कि नियोग ग्यारह पुरुषों तक कर सकती है। (पृष्ठ 101)

पृष्ठ 101 पर - इसी प्रकार पुनर्विवाह करने से पुरुष का स्त्री व्रत धर्म नष्ट हो जाता है। (पृष्ठ 97) वही पुरुष जिसकी स्त्री मर गई है ग्यारह स्त्रियों तक नियोग कर सकता है। (पृष्ठ 101)

पृष्ठ 97 पर लिखा है पुनर्विवाह और नियोग में भेद : लिखा है कि पुनर्विवाह में तो स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं परंतु नियोग में स्त्री-पुरुष केवल मिलन समय मिलते हैं। फिर अपने-२ घर पर कार्य करते हैं। अकेली स्त्री बच्चों का पालन-पोषण करती है।

विचार करें : यह नियोग तो पशु तुल्य कर्म हुआ। जैसे कुत्ता कुत्तिया से नियोग करके चला जाता है। कुत्तिया बच्चों का समूह लिए फिरती रहती है। सभ्य मानव समाज में यह कैसे संभव हो सकता है। यह तो समाज सुधार के स्थान पर समाज बिगाड़ हो जाएगा। वाह रे ! सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता महर्षि दयानन्द सरस्वती जी।

पृष्ठ 97 पर - पुरुष-स्त्री नियोग करके दो-२ संतान उत्पन्न कर सकते हैं अधिक नहीं। विधवा स्त्री नियुक्त पुरुष के लिए दो संतान उत्पन्न करके दो-तीन वर्ष पाल-पोषण कर उस नियुक्त पुरुष को दे दे। जो गैर पुरुष से संतान उत्पन्न होवे वह विवाहित पति की ही मानी जाएगी। विवाहित पति का ही गोत्र माना जाएगा। एक मृत स्त्री पुरुष (विदुर/रंडवा) दो अपने लिए तथा दो-चार विधवाओं के लिए उत्पन्न कर सकता है।

विचार करें : एक विधवा स्त्री अकेली कैसे संतान का पालन-पोषण करेगी ? प्रसव के समय व गर्भ अवस्था में स्त्री कार्य करने में असमर्थ होती है। तीन वर्ष तक तो बच्चा अपने आप कपड़े भी नहीं पहन सकता। विधवा स्त्री कैसे दो बच्चों का तीन वर्ष तक पालन-पोषण कर उस नियुक्त पुरुष को दे सकेगी। वाह रे स्वामी दयानन्द जी तेरे समाज सुधार के विचार। कैसी असंभव बात भर रखी हैं।

पृष्ठ 100 पर देवर का अर्थ बताया है पति का छोटा या बड़ा भाई तथा दूसरा पति भी देवर कहलाता है।

पृष्ठ 101 पर एक विधवा स्त्री ग्यारह पुरुषों तक नियोग कर सकती है। इसी प्रकार मृत स्त्री पुरुष (विदुर/रंडवा) भी ग्यारह विधवाओं के साथ नियोग (पशु तुल्य कर्म) कर सकता है। परंतु पुनर्विवाह से उनका पतिव्रता व पत्नीव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। (पृष्ठ 97)

पृष्ठ 102 पर महर्षि दयानन्द जी का नियोग नियम यहां पर बदल गया है। पृष्ठ 97 पर कहा है कि जैसे विवाह कुमार व कुमारी का होता है इसी प्रकार नियोग विधवा स्त्री तथा स्त्री मृत पुरुष (विदुर/रंडवा) का ही होता है। यहां पृष्ठ 102 पर लिखा है कि जिस स्त्री का पति धर्म के लिए दूर देश गया हो तो आठ वर्ष बाट देख कर किसी अन्य पुरुष से नियोग करके संतान उत्पन्न कर ले। वह संतान विवाहित पति की ही मानी जाएगी। विद्या व कीर्ति के लिए गया हो तो छः वर्ष, धन कमाने (रोजगार) के लिए गया हो तो तीन वर्ष बाट देख कर किसी अन्य पुरुष से नियोग करके संतान उत्पन्न कर ले तथा पति घर लौटने पर उस गैर पुरुष को त्याग दे। पृष्ठ 103 पर लिखा है कि गर्भ रहने के पश्चात् स्त्री-पुरुष एक वर्ष तक मिलन न करें। यदि पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा के पास चला जाए। उसके नियोग करके संतान उत्पन्न कर दे। (वाह रे ! महर्षि दयानन्द जी समाज सुधारक)।

पृष्ठ 102 पर लिखा है कि यदि किसी का पति दीर्घ रोगी (लम्बे समय तक रोगी) हो तो वह अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के पास भेज कर अपने लिए संतान उत्पन्न करा ले। (स्वामी दयानन्द जी के कहने का भावार्थ है कि अपनी पत्नी को किसी अन्य से गर्भवती करवा ले अर्थात् अपनी पत्नी को नए दूध करवा ले जैसे पशुओं को कराते हैं)। इसी प्रकार पत्नी दीर्घ रोगी हो जाए तो वह अपने पति को कहे कि आप किसी अन्य औरत के पास जाओ। महर्षि दयानन्द जी का भावार्थ है कि किसी औरत को नए दूध अर्थात् गर्भवती कर आओ। फिर वह औरत तीन वर्ष उस संतान को पाल-पोष कर उस व्यक्ति को देवे परंतु पुनर् विवाह नहीं करना। यह है स्वामी दयानन्द जी समाज सुधारक का कलम तोड़ उपदेश तथा आदेश। क्या सभ्य समाज इस नियोग (पशु तुल्य कर्म) को अपनाएगा, क्या 125 वर्ष से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ रहे व्यक्तियों ने इस नियम का पालन किया है? उत्तर --- ?

पृष्ठ 102 पर - किसी की स्त्री के आठ वर्ष तक संतान न हो तो आठवें वर्ष तथा संतान हो कर मर जाए तो दशवें तथा केवल लड़की होती हो तो ग्यारहवें वर्ष तथा जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो अर्थात् लड़ाई-झगड़ा करती हो तो तुरंत (सद्यः) उसको तथा ऊपर लिखी को छोड़ कर दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले।

पृष्ठ 102 पर - इसी प्रकार यदि किसी स्त्री का पति दुःखदायी (मारता-पीटता) हो तो उसे तुरंत छोड़ कर दूसरे पुरुष से नियोग करके संतान उत्पन्न कर ले अर्थात् किसी अन्य पुरुष के पास जाकर पशु की तरह नए दूध (गर्भवती) हो आवे, रहे अपनी पति के घर। परंतु नियोग दुष्कर्म किसी अन्य पुरुष के पास जा कर करले, वह गैर पुरुष से संतान विवाहित पुरुष की दांयभागी (हक्कदार संपत्ति) मानी जाएगी। महर्षि दयानन्द जी कहते हैं कि इस समुल्लास चार में जो विवाह व नियोग नियम लिखे हैं ऐसा करके अपने-२ कुल की उन्नति करें।

विचार करें : महर्षि दयानन्द जी द्वारा लिखे नियोग विधि से कुल के कुल लड़ मरेंगे। उन्नति के स्थान पर विनाश हो जाएगा। वाह रे महर्षि दयानन्द जी ! धन्य है तेरा समाज कल्याण सुझाव। उपरोक्त सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान की पोल खुलने से क्षुब्ध होकर आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों ने अपने अनुयाईयों को भड़का कर संत रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को हथियाने और पोल-खोल प्रचार बंद करने के लिए करौथा काण्ड किया तथा करवाया।

संत रामपाल जी के विचार :- यदि उपरोक्त मिथ्या ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है और संत रामपाल जी ने झूठा लिखा है तो न्यायालय में अभियोग चलाया जा सकता है। स्वयं कानून हाथ में ले कर उपद्रव करना सुरों (भद्र पुरुषों) का काम नहीं, असुरों का होता है। संत रामपाल जी महाराज के सात लाख पचास हजार अनुयाई हैं। यदि वे भी इसी तरह उपद्रव करते तो बहुत जन-हानि हो जाती। वे सर्व साधु संत हैं। यही पहचान होती है सुर तथा असुरों की। कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने झूठे आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगा कर जनता को भ्रमित किया ताकि जनता उन स्वार्थियों के साथ लग कर संत व श्रद्धालुओं को जान से मार डाले तथा सत्यार्थ प्रकाश के थोथे ज्ञान का पर्दाफाश होने से बच जाए। उनको पता चल गया है कि सत्यार्थ प्रकाश में कोरी बकवाद भरी है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को लड़ा मारने की चाल चली। कुछ समय के लिए यही मान लें कि सतलोक आश्रम करौथा में कोई आपत्तिजनक कार्य होता था तो उसकी सूचना प्रशासन (सरकार) को दी जानी चाहिए थी। प्रशासन कार्यवाही करता। आश्रम की तलाशी ले सकता था। मीडिया को साथ ला कर सर्व के समक्ष वास्तविकता को प्रस्तुत किया जा सकता था। उस समय आश्रम वाले भी उपस्थित होते तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करते। अब केवल संत रामपाल जी महाराज तथा आश्रम को बदनाम करने के उद्देश्य से एक तरफा निराधार सूचना मीडिया के माध्यम से दी गई फिर बाद में खण्डन किया गया। आक्रमण करके आश्रम के संचालक तथा उपस्थित श्रद्धालुओं को जान से मारने के लिए जो व्यक्ति गए। जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाईं। उन्हीं को सरकार ने वित्ति सहायता (ग्रांट) दी। उन आतंक फैलाने वालों का हौंसला बुलंद किया। ऐसा अन्याय शायद भारत पर शासन करने वाले क्रूर शासक माने जाने वाले अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। जिन्होंने निर्दोष श्रद्धालुओं को मारने का प्रयत्न किया। उन पर अभियोग दर्ज करने के स्थान पर इनाम दिया गया तथा निर्दोषियों पर मुकदमा बना कर जेल में बंद कर दिया। क्या आश्रम में जाने वाले भारतवर्ष के नागरिक नहीं हैं? वास्तविकता यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के औच्छे ज्ञान की पोल खोल दी जिस सत्यार्थ प्रकाश को सृष्टि की सर्वोत्तम पुस्तक बता कर जनता में बेचा जा रहा था। जिससे भोली जनता का धन शोषण करके कोरे अज्ञान युक्त पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' को बेचा जा रहा था। एक प्रकाशक ने लिखा है कि आज तक 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक की सात लाख बासठ हजार प्रतियां छप चुकी हैं।

विचार करें : 'सत्यार्थ प्रकाश' के पूरे भारतवर्ष में कई सैकड़ों प्रकाशक हैं। यदि सौ संस्था भी मान कर चलें तो भी आज 2007 से चार वर्ष पूर्व 2003 तक सात करोड़ बासठ हजार प्रतियां सत्यार्थ प्रकाश की समाज में प्रवेश हो चुकी हैं जिनमें कोरा अज्ञान भरा है। जिससे जनता को वेदों के अनुसार ज्ञान का दावा करने वालों ने वेद विरुद्ध ज्ञान जनता को दे कर बहुत बड़ा धोखा किया है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक तथा प्रकाशकों व मुद्रकों पर धोखाधड़ी का अभियोग चलाया जाना चाहिए।

किसी पुस्तक को ग्रहण करने के पीछे उसका विशेष उद्देश्य होता है। जैसे कोई औषधि की पुस्तक क्रय की जाती है। उसका उद्देश्य होता है कि घर का कोई सदस्य रोगी हो जाए तो उस पुस्तक को पढ़ कर औषधि तैयार की जाए। उस पुस्तक में एक जगह लिखा है कि दवाई रोग काटती है। फिर लिखा है कि दवाई से रोग नहीं कटता, तो पाठक संशय में हो जाएगा। फिर वास्तविक औषधि के स्थान पर व्यर्थ का नुस्खा लिखा है जो वास्तविक औषधि से मेल नहीं खाता तो उस पुस्तक को खरीद कर रखना ही व्यर्थ है। उस पर लगाया पैसा भी व्यर्थ हुआ। यही दशा स्वामी दयानन्द द्वारा लिखी पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' के ज्ञान की है। लिखा है कि साधक के पाप क्षमा (नाश) नहीं होते। यजुर्वेद अध्याय आठ मंत्र तेरह में लिखा है कि साधक के पाप नाश (क्षमा) हो जाते हैं। वेद ज्ञान ठीक है, स्वामी दयानन्द जी का 'सत्यार्थ प्रकाश' वाला ज्ञान व्यर्थ है।

उदाहरण : सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 पृष्ठ 155, 163 (प्रकाशक - वैदिक यतिमण्डल दयानन्द मठ दीना नगर पंजाब, मुद्रक आचार्य प्रीटिंग प्रेस, दयानन्द मठ गोहाना रोड़ रोहतक) पर स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि उपासना करने वाले उपासक के पाप (अपराध) परमात्मा क्षमा (नाश) नहीं करता। स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 4 पृष्ठ 104 पर लिखा है कि वेद के विरुद्ध चाहे किसी के भी वचन हैं वे मान्य नहीं हैं अर्थात् गलत हैं।

स्वामी दयानन्द जी ने यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 का हिन्दी अनुवाद किया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हे सबका उपकार करने वाले मित्र (परमात्मा) आप दान करने वाले के अपराध के नाश (क्षमा) करने वाले हो। साधारण मनुष्यों के, पिता के, अपने किए पाप के नाश (क्षमा) करने वाले हो। आप (एनसः एनसः) अपराध के अपराध अर्थात् घोर पाप के भी नाश (क्षमा) करने वाले हो। (मित्र का अर्थ परमात्मा है समु. 1 पृष्ठ 18 पर स्वामी जी ने स्पष्ट किया है)।

उपरोक्त प्रमाण से सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सत्य है तथा सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान वेद विरुद्ध अर्थात् गलत है। इस 'सत्यार्थ प्रकाश' का नाम 'मिथ्यार्थ प्रकाश' होना चाहिए।

स्वामी दयानन्द जी को वेदों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। केवल संस्कृत भाषा को जानते थे। यदि वेद ज्ञान होता तो वेद ज्ञान विरुद्ध विवरण सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लिखते। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुण (महिमा) लिखे हैं जो वेदों में लिखे

प्रभु के गुणों के विरुद्ध बताता है तो वह व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक गुण (महिमा) से परिचित नहीं है। फोकट विद्वान की छाप लगाए हुए है। वेदों में भगवान के गुण लिखे हैं कि परमात्मा उपासक के पाप क्षमा (नाश) कर देता है। परंतु स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा पाप क्षमा (नाश) नहीं करता। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानन्द जी को वेद ज्ञान नहीं था।

उदाहरण : 1. जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े का मैल नाश कर देता, अर्थात् मैल छुड़ा देता है। इसके विपरीत कोई कहे कि साबुन कपड़े का मैल नाश नहीं करता, यथावत् रहने देता है। क्या वह व्यक्ति साबुन से परीचित है? उत्तर नहीं। यही दशा स्वामी दयानन्द जी की है। वे परमात्मा से परीचित नहीं थे।

2. कोई कहे कि औषधि खाने से रोगी स्वस्थ नहीं होता अर्थात् औषधी खाने वाले का रोग औषधी नाश नहीं करती, यथावत् रखती है। क्या वह वैद्य हो सकता है? उत्तर नहीं। यही दशा स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक व 'सत्यार्थ प्रकाश' के लेखक की है।

वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा उपासक के पाप नाश (क्षमा) कर देता है, पाप छुड़ा देता है। स्वामी दयानन्द जी ने कहा है कि परमात्मा उपासक के पाप क्षमा (नाश) नहीं करता, यथावत् रखता है। क्या स्वामी दयानन्द सरस्वती जी विद्वान थे। उत्तर नहीं। फिर महर्षि की उपाधी किस आधार से प्राप्त हुई? गहन शंका है।

सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 8 पृष्ठ 197-198 पर लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु रहते हैं। वहां पर पृथ्वी की तरह ही सर्व पदार्थ हैं जैसे बाग-बगीचे, नदियां, झरने आदि।

उपरोक्त ज्ञान तो ऐसा धोखे वाला व शरारत पूर्ण है जैसे कोई सिंह (शेर) की गुफा के अन्दर शीतल जल का झरना बताए तथा वहां सिंह की गुफा में काजू, किशमिश, सेब, संतरों के ढेर लगे हैं। कोई अनजान यात्री उस शरारती की बात पर विश्वास करके गुफा में प्रवेश कर जाए तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। ऐसा ही ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का है, जो लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य आदि रहते हैं वहां सर्व पदार्थ भी पृथ्वी की तरह हैं। उपरोक्त विवरण से समझदार व्यक्ति ऐसे समझ जाएंगे जैसे पात्र में पक्क रहे चावलों में से एक या दो चावल निकाल कर देख लेते हैं, पक्क चुके हैं या कच्चे हैं।

अन्य उदाहरण : जैसे कोई व्यापारी हजारों बोरी गेहूं खरीदता है तो प्रत्येक बोरी से कुछ गेहूं निकाल कर जांच कर लेता है। इसी प्रकार उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से पाठकगण समझ जाएंगे कि स्वामी दयानन्द जी ज्ञानी थे या अज्ञानी।

विचार करें : स्वामी दयानन्द जी ने समुल्लास 3 पृष्ठ 51 पर 'प्रत्यक्ष' की परिभाषा बताई है। कहा है कि किसी ने किसी से कहा कि जल लाना। उसने जल ला कर रख दिया। जो 'जल' लाया गया वह प्रत्यक्ष है अर्थात् जो साकार वस्तु

जल दिखाई दे रहा है वह प्रत्यक्ष है। 'जल' दो अक्षर तो शब्द प्रमाण है जो दिखाई देता है वह 'जल' साकार वस्तु प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ स्वामी दयानन्द जी अनुसार स्पष्ट हुआ कि जो साकार वस्तु दिखाई देती है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यहां पूर्वोक्त समुल्लास 7 पृष्ठ 153 वाली व्याख्या में कहा कि जीवात्मा शुद्ध अन्तःकरण से जब समाधिस्थ होता है तथा आत्मा और परमात्मा का विचार करता है तब आत्मा और परमात्मा दोनों जीवात्मा (युक्त योगी) को प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् दिखाई देते हैं। विचार करें जीवात्मा (युक्त योगी) ने समाधी में आत्मा और परमात्मा दोनों देखे। परमात्मा प्रत्यक्ष हुआ (देखा) तो सही है। परंतु आत्मा प्रत्यक्ष हुआ (देखा) तो देखने वाला तीसरा कौन है? वह दयानन्द सरस्वती होगा।

दूसरी बात स्वामी दयानन्द परमात्मा को निराकार कहते हैं। यहां प्रमाण कर रहे हैं कि समाधी में परमात्मा प्रत्यक्ष होता है अर्थात् दिखाई देता है। वाह रे ऋषि दयानन्द सरस्वती जी, देखा तेरा सत्यार्थ प्रकाश का अज्ञान। लाखों श्रद्धालुओं का जीवन व्यर्थ कर गया।

सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास 7 पृष्ठ 153 पर ही इसी के सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि सृष्टि को देख कर सृष्टा (सृष्टि रचनहार) का अनुमान होता है। भावार्थ है कि सृष्टि दिखाई देती है यह परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं है। परंतु रचना परमात्मा द्वारा की गई है। अनुमान की परिभाषा समुल्लास 3 पृष्ठ 52 पर लिखी है - जैसे पर्वत पर धूम (धूँ) को देखने से अग्नि का अनुमान होता। परंतु धूँ अग्नि नहीं है। वह प्रत्यक्ष वस्तु अग्नि पर्वत पर जाने पर ही देखी जा सकती है।

स्वामी दयानन्द जी की व्याख्या से सिद्ध हुआ कि सृष्टि तो धुँआ है, परमात्मा वह अग्नि नहीं है। अग्नि अर्थात् परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए अर्थात् देखने के लिए समाधिस्थ हो कर प्रयत्न करना होता है। तब परमात्मा प्रत्यक्ष होता है अर्थात् दिखाई देता है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। उसी की रचना संसार रूपी धूँ है। दूसरी बात यह है कि स्वामी दयानन्द जी परमात्मा को सर्व व्यापक, निराकार आदि कहते हैं तो परमात्मा साधक के साथ समाधी से पहले ही अभेद था। फिर साधना से प्राप्त होने का प्रमाण भी गलत सिद्ध हुआ। यह भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है क्योंकि वह समाधि में प्रत्यक्ष हुआ अर्थात् दिखाई दिया। स्वामी दयानन्द जी परमात्मा को निराकार कहते हैं। यहां पर परमात्मा निराकार वाली बात भी स्वयं गलत सिद्ध कर दी।

सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 7 पृष्ठ 154 पर लिखा है कि परमात्मा निराकार है। पृष्ठ 155 पर लिखा है कि उपासना (समाधी आदि लगाने) से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परब्रह्म से मिलन होता है। अपनी व्याख्या आप ही झूठी सिद्ध कर दी है। निराकार का साक्षात्कार नहीं होता। जैसे उपरोक्त जल का उदाहरण है कि साकार वस्तु प्रत्यक्ष होती है। यदि कोई कहे कि समाधी में निराकार परमात्मा (ब्रह्म) का आभास होता है। इसलिए स्वामी दयानन्द जी ने ब्रह्म (ईश्वर)

का साक्षात्कार होना लिखा है। यह भी विचार गलत है क्योंकि स्वामी दयानन्द जी ने सम्मुलास 11 पृष्ठ 250 पर स्पष्ट किया है कि 'ब्रह्म का आभास नहीं हो सकता क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असंभव है अर्थात् आभास साकार का होता है निराकार का नहीं।'

समुल्लास सात पृष्ठ 167, 159 तथा 153 पर कहा है कि उपासना करके समाधी लगा कर साधक परमात्मा समीप पहुँचता है। परमात्मा को प्रत्यक्ष करता है। समुल्लास बारह पृष्ठ 347 तथा 348 पर 'सोत्रान्तिक तथा 'वैभाषिक' के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुए स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि -- जैसे घड़ा प्रत्यक्ष है, अनुमेय नहीं है। वैभाषिक मानते हैं कि बाह्य पदार्थ ही प्रत्यक्ष हैं। वह भी ठीक नहीं क्योंकि आत्मा में सबका प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष वस्तु बाहर साकार है। जैसे घड़ा उसी का आकार आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। स्वामी दयानन्द जी के कहने का भावार्थ है कि जब योगी समाधिस्थ होता है तो उसको बाहर रखा घड़ा ही उसी आकार(तदाकार) में आत्मा में प्रत्यक्ष होता है अर्थात् दिखाई देता है। स्वामी दयानन्द जी के विचारों से स्पष्ट हुआ कि समाधी दशा में साधक को साकार परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है। वह परमात्मा साकार में बाहर एक देशिय है उसी का साक्षात् अर्थात् प्रत्यक्ष आत्मा में होता है। कोई कहे केवल आभाष ही होता है। जैसे वायु निराकार है। हाथ हिलाने से आभास होना ही प्रत्यक्ष है। यह बात भी स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास ग्यारह पृष्ठ 250 पर स्पष्ट किया है कि निराकार का आभास भी नहीं होता। आभास साकार वस्तु का होता है। स्वामी दयानन्द जी परमात्मा को निराकार मानते हैं। यहां पर साकार सिद्ध कर रहे हैं। समुल्लास नौ पृष्ठ 205 पर भी 'दर्शनीय परमात्मा' लिखा है। जिसका अर्थ है देखने योग्य अर्थात् साकार परमात्मा। स्वामी दयानन्द का निराकार परमात्मा वाला सिद्धांत भी गलत सिद्ध हुआ। ऐसी विरोधाभास मिथ्या कहानी भरी है इस 'सत्यार्थ प्रकाश' में।

इस सत्यार्थ प्रकाश के कहीं की ईट, कहीं का रोड़ा ज्ञान को अर्थात् गपोड़ों से भरपूर विवरण को गुरुकुल झज्जर (हरियाणा प्रांत) में ताम्र पत्रों पर लिखवा कर एक बहुत बड़े हाल में चारों ओर मेजों पर पुस्तकनुमा पृष्ठाकार में सुरक्षित रखा है। कहीं आने वाले समय में कोई पुस्तक में लिखे विवरण में फेर-बदल न कर दे। उसको ताम्र पत्रों पर लिखे लेख से तुलना करके शुद्ध किया जा सकेगा। अब क्या किया जाएगा ? अब इस सत्यार्थ प्रकाश के ताम्र पत्रों (ताम्बे की प्लेटों) को जिन पर यह ज्ञान खुदवा रखा है कबाड़ियों को बेचना पड़ेगा, क्योंकि यह सत्यार्थ प्रकाश तो पूरा 'मिथ्यार्थ प्रकाश' है। (उपरोक्त विचार संत रामपाल जी महाराज के हैं)।

संत रामपाल जी द्वारा दिया इस प्रकार का प्रमाण सहित सत्य विवरण भी तथाकथित सन्तों और आर्यसमाजियों को अच्छा नहीं लगा। उनके पास सन्त रामपाल जी के ज्ञान का जवाब न होने के कारण उन्होंने संत रामपाल जी की हत्या करने तथा प्रचार बंद करवाने का औच्छा हथकण्डा अपनाया। उन्होंने सन्त रामपाल

जी और उनके आश्रम की प्रसिद्धि को बदनाम करने के लिए गाँव-गाँव जाकर भजन मण्डलियों के द्वारा गन्दा, शर्मनाक व आधारहीन आरोपों का प्रचार किया और लोगों को सन्त रामपाल जी और आश्रम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 16 दिसम्बर, 2004 में आर्यसमाजियों ने सतलोक आश्रम को उखाड़कर फैंकने की धमकी दी और उसको क्रियान्वित करने के लिए 2 जनवरी, 2005 को गाँव करौंथा में असामाजिक तत्वों को इक्टड़ा करने की घोषणा की। इक्टड़ा करने के लिए इश्तिहार व अन्य प्रचार सामग्री बांटी। जिला प्रशासन ने इनकी बदनियती को भांपते हुए धारा 144 सी.आर.पी.सी. लगाने की घोषणा कर दी ताकि ये लोग वहाँ इक्टड़ा होकर किसी अप्रिय घटना को अन्जाम न दे सकें। उनकी इस सभा पर माननीय सिविल कोर्ट रोहतक ने भी रोक लगा दी। इन लोगों ने पहले तो धारा 144 के उल्लंघन करने की घोषणा की लेकिन प्रशासन का सख्त रवैया देख कर करौंथा गाँव में सभा करने की बजाए नजदीक डीघल गाँव में 2 जनवरी, 2005 को सभा की और वहाँ पर आम जन मानस को सन्त रामपाल जी और सतलोक आश्रम के खिलाफ भड़काया और सन्त रामपाल जी और आश्रम को उखाड़ने का आवाहन किया। इसके पश्चात् भी उन्होंने सन्त रामपाल जी के मान हनन का दुष्प्रचार जारी रखा और लोगों को सन्त रामपाल जी को खत्म करने के लिए भड़काने का क्रम जारी रहा। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रधान व महामंत्री के विरुद्ध मान-हानि का केस स्थानीय न्यायालय रोहतक में विचाराधीन है।

इसके पश्चात् इन लोगों ने वर्तमान सरकार में बैठे उच्च हस्तियों को भी काबू करने का प्रयास शुरू किया और हस्तियों को अपने गुरुकुल में किसी न किसी बहाने से आमन्त्रित करके सन्त रामपाल जी और आश्रम के खिलाफ भड़काया ताकि उनके इस बुरे इरादे को आसानी से अमलीजामा पहनाया जा सके। इन हस्तियों से इन लोगों को ऐसा इशारा मिला कि ऐसी स्थिति तैयार करो जिससे सतलोक आश्रम को खत्म करने का कार्य किया जा सके।

इसके पश्चात् ये लोग संत रामपाल जी को तथा सतलोक आश्रम को खत्म करने के मौके की तलाश में रहे और उन्होंने सन्त रामपाल जी के द्वारा निकाले हुए एक शिष्य को मोहरा बनाया। इस शिष्य को छुड़ानी धाम के एक महन्त ने अपना शिष्य बनाकर उसे जिला अम्बाला के किसी गाँव में एक कमरे वाले छोटे से आश्रम का महन्त बनाया हुआ था। इन लोगों ने उससे सन्त रामपाल जी के खिलाफ एक पुस्तक छपवाई। इस पुस्तक में सन्त रामपाल जी के खिलाफ अनैतिक व अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और उनके विरुद्ध आर्यसमाजियों की तर्ज पर बेहुदे, बेबुनियाद और अश्लील आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों ने इस किताब को करौंथा, डीघल तथा अन्य नजदीक गावों में बंटवाया। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात् गाँव डीघल के लोगों ने श्री जागेराम निवासी डीघल जो सन्त रामपाल के शिष्य भी हैं को बताया कि इस किताब में उनकी पुत्री के खिलाफ भी इशारा है। श्री जागेराम ने इस किताब की एक प्रति प्राप्त की और अपने परिवार के सदस्यों

के साथ विचार विमर्श किया। उनकी पुत्री ने भी किताब के लेखक से टेलीफोन पर सम्पर्क किया और उससे पूछा कि उसने इतनी गन्दी और अनैतिक बातें पुस्तक में क्यों लिखी? लेखक श्री कृष्ण दास उर्फ संजय ने उसको इस बारे में बात चीत करने के लिए दयालदास कोठी आश्रम छुड़ानी में आकर बात करने को कहा। वह अपने माता-पिता और पुत्र के साथ बात करने के लिए छुड़ानी आश्रम पहुंचे।

छुड़ानी पहुंच कर जैसे ही बात-चीत शुरू हुई छुड़ानी आश्रम के लोगों ने तथा उस पुस्तक के लेखक ने अभद्र भाषा में बोलना शुरू कर दिया और हाथापाई पर उतर आए। उन्होंने उस बहन के साथ भी दुर्व्यवहार किया और उसके कपड़े फाड़ दिए व छाती में हाथ मारकर धकेल दिया। किसी न किसी तरह वे बच कर भागे और दुलहेड़ा गाँव की पुलिस चौकी पर पहुंचकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने को कहा। पुलिस चौकी में उनको दो घंटे बैठाए रखा और रिपोर्ट दर्ज नहीं की और बाद में उनको बताया कि वो छुड़ानी गाँव में जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने छुड़ानी आश्रम में रहने वालों को पीटा है। छुड़ानी आश्रम के षडयन्त्र को भांपते हुए उन्होंने पुलिस चौकी को छोड़ दिया और पुलिस अधीक्षक झज्जर के कार्यालय में पहुंचे वहां पर पुलिस अधीक्षक उपस्थित नहीं थे इसलिए वो पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान पर भी अपनी बात कहने के लिए गए। पुलिस अधीक्षक घर पर भी नहीं मिले। इसी बीच किसी ने उनको सलाह दी कि वो अस्पताल में अपनी डॉक्टरी जाँच करवाएं। उसके पश्चात् वो सिविल अस्पताल डीघल पहुंचे और डॉक्टरी जाँच करवाई और एम.एल.आर. की प्रति प्राप्त की।

अगले दिन वो फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में छुड़ानी आश्रम के लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए गए और वहां उनको पता लगा कि उनके तथा सतलोक आश्रम के भक्तों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी थी। पुलिस अधीक्षक, झज्जर ने उनकी दरखास्त लेकर डी.एस.पी., बहादुरगढ़ के पास जाकर अपने ब्यान दर्ज करवाने को कहा।

डी.एस.पी., बहादुरगढ़ ने उनके ब्यान दर्ज करने के पश्चात् उनको यह आश्वासन दिया कि एक या दो दिन में एफ.आई.आर. दर्ज हो जाएगी लेकिन एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त, झज्जर से भी दोबारा प्रार्थना की गई लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। उसके पश्चात् आई.जी., रोहतक रेंज से भी मिलकर प्रार्थना की गई लेकिन फिर भी छुड़ानी आश्रम के निवासियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। लेकिन इसी बीच आर्यसमाजी, तथाकथित महन्तों, सन्तों ने जिला प्रशासन के आशीर्वाद से सतलोक आश्रम को नष्ट करने का षडयन्त्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न गाँवों के असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और विशेषकर सन्त रामपाल जी के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। झज्जर पुलिस ने भी सतलोक आश्रम के अनुयाइयों की अन्धाधुन्ध धर पकड़ शुरू कर दी। यहां तक कि पुलिस ने आश्रम के ऐसे तीन अनुयाइयों को भी आश्रम

के ट्यूबवैल से उठा लिया जो आश्रम में पीने के पानी का प्रबन्ध करने में व्यस्त थे। इन तीन अनुयाइयों में से एक तो नाबालिग था। सन्त रामपाल जी के भक्त इस विषय में पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त, झज्जर को भी मिले लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की।

उस बहन का पति बहुत शराब पीता था। फौज से सेवा निवृत्त था। पेंशन की शराब पी जाता था। गांव में आठ एकड़ जमीन है उसको भी ठेके पर दे कर प्राप्त राशि की भी शराब पी जाता था। ऐसे समय में उस बहन के पिता श्री जागेराम अहलावत जो गांव डीघल के गिने-चुने प्रतिष्ठित परिवारों में से एक हैं। अपनी बेटी के घर का खर्चा चलाते थे तथा अपनी बेटी के गम को भुलाने तथा परमात्मा में आस्था बढ़ाने के लिए सतलोक आश्रम में साथ लाया करते थे। उसी दौरान उस बहन को परमात्मा का अद्भूत करिश्मा हुआ कि उसके छोटे बेटे विक्की के दोनों गुर्दे बंद हो गए थे। रोहतक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। परमात्मा कबीर जी की कृपा से लड़का विक्की बिना दवाई लिए स्वस्थ हो गया। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में यही प्रमाण है कि परमात्मा अपने सच्चे उपासक का असाध्य रोग ठीक करके सौ वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। उसके पश्चात् बहन सरोज का अटूट विश्वास परमात्मा में हो गया। अधिक से अधिक समय सत्संग सुनने में लगाने लगी। उस गुरु द्रोही जैसे दुर्बुद्धि व्यक्तियों ने तो बहन मीरांबाई जैसी भक्तमतियों को भी नहीं छोड़ा था। यदि सीता जी (पत्नी श्री रामचन्द्र भगवान) वर्तमान में किसी आश्रम में अपने दुःख के समय को व्यतीत करती है तो उस बागी जैसे व आर्य समाजी कहलवाने वाले तथा वर्तमान के मीडिया वाले तो उस माता व ऋषि बाल्मिकि जी पर भी कीचड़ उच्छालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। त्रेतायुग में गर्भवती सीता जी श्री बाल्मिकि जी के आश्रम में रही। वहां लव नामक पुत्र को जन्म दिया। लव दो वर्ष की आयु का हुआ तो किसी कारण से ऋषि बाल्मिकि जी ने एक लड़का कुश (डाब) घास से अपनी सिद्धी से उत्पन्न कर दिया था। उस समय के व्यक्ति सभ्य थे। उन्होंने माता सीता पर कोई लांछन नहीं लगाया। वर्तमान के आर्य समाजी व गुरु द्रोही जैसे नकली संत व विवेक हीन मीडिया वाले तो आज उस सती सीता का भी दुष्प्रचार कर डालते हैं। परंतु सांच को आंच नहीं होती।

उस ढोंगी ने जिस प्रकार एक अच्छे खानदान की बहन के चरित्र पर कीचड़ उछाला है उसी प्रकार उस (संजय पुत्र श्री बलवान सिंह मिस्त्री गांव करौंथा) की बड़ी बहन (आयु 26 वर्ष) व माता भी उस कमरे में अन्य की तरह अपने गुरुदेव के दर्शन व चरण स्पर्श करती थी। क्योंकि उस समय केवल एक ही कमरा जो 12 गुणा 18 वर्ग फूट का था तथा एक रसोई तथा स्नान घर बना था जिसमें संत रामपाल जी महाराज विश्राम करते थे। एक बड़ा हाल था जिसमें आश्रम के स्थाई सेवक विश्राम करते थे। उस ढोंगी ने अपनी माता तथा बहन के विषय में क्यों नहीं लिखा। उसकी बहन तथा माता जी भी कभी-2 उसी रसोई घर में महाराज जी की

चाय आदि बना कर आती थी। यदि उसकी पुस्तक में लिखे मिथ्या लेख में सच्चाई थी तो उसी समय क्यों नहीं लिखा जब वह सन् 2000 में आश्रम से गया था।

बहन सरोज को बदनाम करने का कारण यह है कि एक बार उस संजय (कृष्ण दास) को भक्तों के फोन सुनने के लिए आश्रम का मोबाईल फोन दे दिया। उस महीने में चार हजार रूपए मोबाईल बिल का खर्चा हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने बिल देख कर पूछा कि इस बार इतना अधिक बिल कैसे आया है। पहले तो एक हजार या बारह सौ रूपए बिल आता था उस समय वह संजय (कृष्ण दास) उपस्थित नहीं था। बहन सरोज तथा तीन सेवक और संत रामपाल जी महाराज के पास बैठे थे। बहन सरोज ने कहा कि यह संजय तो अपने रिश्तेदारों के लिए विवाह के लिए गाड़ियां किराए के लिए आश्रम के फोन द्वारा करता है। एक दिन मैंने अपने कानों सुना और देखा। इसने चार बार फोन किया। एक बार लगभग दस व पन्द्रह मिनट बातें करता रहा। पूछ रहा था कि "मामा जी का क्या हाल है ? गाड़ियों की बुकिंग की चिंता मत करना, मैंने बुकिंग करवा दी है। एक दिन पहले मैं फिर उनसे बातें करके समय आदि बता दूंगा"। बहन सरोज ने कहा कि मैंने इसको उसी समय कहा था कि भाई तेरा यह कार्य अच्छा नहीं है। आश्रम के फोन से रिश्तेदारों की गाड़ियां बुक करवा रहा है। वह बोला बहन आज ही प्रयोग किया है। संत रामपाल जी महाराज ने उस संजय से फोन ले कर भक्त सोमबीर दास को दे दिया। अगले महीने फिर वही बारह सौ रूपए का बिल आया। उस संजय ने अन्य भक्तों को कहा कि मेरी शिकायत सरोज ने की होगी। समय आने पर इस सरोज को बताऊंगा कि निंदा करने का क्या परिणाम होता है? वही प्रतिशोध उस कपटी ने अब आर्यसमाजियों के उकसाने पर लिया है।

वास्तविकता यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने उस ढोंगी के ढोंग का पर्दाफाश करने के लिए भक्ति मार्ग पर शास्त्रानुकूल तर्क युक्त एक पुस्तक 'भक्ति और भगवान' जो दिसम्बर 2005 में लिखी थी। उस पुस्तक में पर्दाफाश होने के पश्चात् उसने आर्यसमाजियों के उकसाने पर संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोप लगाए। विचार करने की बात है कि बहन सरोज के माता-पिता भी सतलोक आश्रम में सत्संग सुनने व सेवा करने जाते रहे हैं। उन्हीं के साथ उनकी बेटी सरोज भी सतलोक आश्रम करौथा में सेवा करने तथा सत्संग सुनने के उद्देश्य से जाती रही है। जैसे उस ढोंगी संजय उर्फ कृष्ण दास की बहन (26 वर्ष) भी अपने माता तथा पिता श्री बलवान सिंह के साथ जाती रही है। कभी-2 अकेली भी जाती रही है। क्योंकि गुरु का दर्जा परमपिता का होता है। जहां निःसंकोच श्रद्धालु जाते हैं। एक और विचारणीय विषय है कि जिस आश्रम में कई सैकड़ों की संख्या में भक्त रहते हों तथा कई सैकड़ों प्रतिदिन उपदेश लेने या दर्शन करने आते हों और जिस आश्रम से जुड़े श्रद्धालुओं की संख्या लाखों हो, क्या वे सभी मूर्ख हैं और क्या वह एक ढोंगी ही सच्चा है ?

संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन जो सर्व भाई-बहनों में छोटी है वह भी सत्संग में साथ जाती थी। उस समय संत रामपाल जी महाराज के पास एक ही जीप थी जो संगत ने सेवा के लिए दे रखी थी। दोनों भाई-बहन तथा अन्य सेवक जीप में यात्रा करते थे। दुर्बुद्धि प्राणी जो उस संजय (कृष्ण दास) जैसे थे कहते थे कि देखो यह संत कैसा जो जवान लड़की को साथ रखता है। अन्य बहुत अभद्र व्यंग्य करते थे। जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है वह अन्य को भी वैसा ही जानता है। एक चोर किसी नेक पुरुष के घर रात्री को रूका। नेक पुरुष ने उस चोर को अपने घर के बीच में सोने के लिए स्थान दिया तथा वह नेक पुरुष सारी रात चैन से सोया। चोर उस नेक पुरुष के सौ रूपए चुरा कर भाग गया। एक दिन एक नेक पुरुष उस चोर के घर रात्री बिताने के लिए रूका। वह नेक पुरुष खाना खाते ही सो गया। वह चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं यह यात्री मेरे घर में चोरी न कर ले जावे। क्योंकि वह दोष उस चोर में था तो उस चोर को वह नेक पुरुष भी चोर ही नजर आ रहा था। ठीक इसी प्रकार उस संजय (कृष्ण दास) आर्य समाजियों व मीडिया तथा मीडिया में सूचना देने वालों की स्थिति जानें। क्योंकि जो दोष संत रामपाल जी महाराज तथा आश्रम में जाने वाली सभ्य समाज की बहन-बेटियों में देखा गया वह उन व्यक्तियों में उस चोर की तरह था जो एक नेक पुरुष को चोर जान कर रात्री में परेशान रहा। आश्रम के विषय में बुद्धिमान व्यक्तियों ने उसी समय जान लिया था जब पहले दिन खबर छपी थी कि तीस किलो सोना, सतरह बोरियां नोटों की भरी मिली तथा ए.के. 47 गन आदि मिली। फिर स्वयं लिखा कि आश्रम में कोई अवैद्य वस्तु नहीं मिली। न सोना, न नोटों की बोरियां और न ए.के. 47 मिली। बुद्धिमान व्यक्ति कहने लग गए थे कि संत को झूठा बदनाम किया जा रहा है। केवल एक षडयंत्र मात्र।

सतलोक आश्रम बनने के पश्चात सतलोक आश्रम करौंथा में संत रामपाल जी महाराज की सगी बहन भी साध्वी बन कर रहती थी। संत जी के माता-पिता भी आश्रम में भक्ति उद्देश्य से स्थाई रह रहे थे। क्या ऐसी परिस्थितियों में उस ढोंगी द्वारा लगाया गया झूठा आरोप संभव है? वास्तविकता यह है कि वह ढोंगी केवल आश्रम का भूखा था। उसकी यहां दाल नहीं गली। जिस महंत भगत राम जी को अब गुरु बना कर आश्रम प्राप्त किया है उस संत (श्री भगत राम महंत आश्रम कोटी दयालदास छुड़ानी) के विषय में कहा करता था कि भगत राम तो प्रत्यक्ष राक्षस है। एक औरत के साथ भगत राम जी के अवैध संबंध थे। वह औरत उनके साथ आश्रम छुड़ानी में रहने का आग्रह करने लगी तो भगत राम जी ने रात्री में उस औरत को मार कर आश्रम के पीछे डाल दिया तथा कह दिया कि यह पागल थी जो गिर कर मर गई। वह संजय उर्फ कृष्ण दास वर्तमान में उसी भगत राम जी को गुरु बना कर आगे नामदान कर रहा है उसके विषय में भी अभद्र टिप्पणी करता था। अब एक कोटड़ी वाला आश्रम उस संत से इस पाखण्डी को मिल गया। अब श्री भगत राम जी के भाट्ट की तरह गुणगान कर रहा है।

गांव छुड़ानी जिला झज्जर में दो आश्रम हैं। एक का नाम आश्रम छत्तरी साहेब तथा दूसरे का नाम आश्रम कोठी दयालदास है। जिस औरत के विषय में श्री भगतराम जी के अवैध सम्बन्ध बताता था। उसकी मृत्यु की कहानी बताई थी कि उन दोनों आश्रमों के संचालकों की आपस में जानी दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे पर मुकद्मा दर्ज करवाने की ताक में रहते थे। जब वह औरत छत्त से गिरा कर मारी तब उसे जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय दूसरे आश्रम के महंत ने बहादुरगढ़ थाना में सूचना दे दी कि एक औरत की हत्या करके जला रहे हैं। पुलिस ने आ कर शव को काबू कर लिया। उस स्त्री के शव को देखने के लिए आश्रम छत्तरी साहेब का एक व्यक्ति गया तो उसे देखते ही उसकी मृत्यु हो गई। तब भगतराम जी ने आश्रम छत्तरी साहेब वाले महंत की दरखास्त लिख दी कि एक व्यक्ति मार कर डाल रखा है। तब उन दोनों महंतों का पंचायत ने राजीनामा करवाया तथा दोनों को वहीं पर स्वाह कर दिया। वह संजय उर्फ कृष्ण दास अब भगतराम जी को श्रेष्ठ संत मानता है क्योंकि उसकी आश्रम प्राप्ति की हवस पूरी हो गई। पहले उसकी अत्यंत बुराई करता था।

पहले तो भगतराम जी पूर्ण संत नहीं था तथा चरित्रहीन था, अब आश्रम दे दिया तो वही भगतराम जी पूर्ण संत हो गया। ऐसा पाखण्डी व स्वार्थी व्यक्ति है संजय उर्फ कृष्ण दास जिसने पुस्तक 'शैतान बैण्या भगवान' लिखी है।

छुड़ानी महन्तों के बदमाशों व आर्यसमाज के असामाजिक तत्वों ने सतलोक आश्रम व सन्त रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के षडयन्त्र को अमलीजामा पहनाने के दुष्कृत्य की अनुमति लेने के लिए 09, जुलाई 2006 को मुख्यमन्त्री हरियाणा के साथ बहादुरगढ़ में एक मीटिंग की। हमें यह नहीं मालूम कि उस मीटिंग में उनकी मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेन्द्र जी से क्या वार्ता हुई। परंतु उनके होंसले अत्यधिक बुलंद हो गए तथा उनकी विनाशकारी गतिविधि अत्यधिक तेज हो गई। उन असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सहयोग से रोहतक-झज्जर सड़क पर आश्रम के दोनों तरफ से 09 जुलाई 2006 को ही जाम लगा दिया ताकि आश्रम में बहु संख्या में भक्त न आ सके और न ही कोई आश्रम से बाहर जा सके। इन्हीं दिनों में गुरु पुर्णिमा के अवसर पर 09, 10, 11 जुलाई 2006 को भारी संख्या में भक्तों को सतलोक आश्रम में आना था। 09, जुलाई 2006 से पहले 4-5 हजार श्रद्धालु पहुंच चुके थे। पुलिस प्रशासन के सहयोग से असामाजिक तत्वों ने आश्रम में खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी नहीं आने दिया। बिजली के कनेक्शन को भी काट दिया और पानी की व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया। गुरु पुर्णिमा के अवसर पर हजारों शिष्यों ने आना था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से आश्रम में नहीं आने दिया बल्कि पुलिस की मौजूदगी में पीटा गया और बेइज्जत किया गया। यहाँ तक कि जो बहनें आश्रम में आ रही थी, उनके साथ भी अश्लील हरकतें की गई, गहनें व पैसे छीन लिए गए। इस विषय में जिला प्रशासन को शिकायत की गई और मुख्यमन्त्री को भी 10 जुलाई,

2006 को एक डेलिगेशन मिलने गया और उस डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार प्रोफेसर विरेन्द्र सिंह से कहा कि हम करौथा से आए हैं। श्री विरेन्द्र सिंह जी ने सोचा कि ये करौथा गांव वाले हैं। तुरंत ही बोला मैं समझ गया, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई है, वहां आश्रम में गुण्डागर्दी होती है। उस पाखण्ड के अड्डे को अब समाप्त कर देंगे। तब शिष्ट मण्डल ने बताया कि हम आश्रम वाले हैं और रोहतक जिले के रहने वाले हैं। उस आश्रम में ऐसा कोई गलत कार्य नहीं होता है। यह बात सुन कर श्री विरेन्द्र सिंह जी का मुंह खुला का खुला रह गया, मायूस सा हो गया। फिर भी उनको सारी स्थिति से अवगत कराया गया। शिष्टमण्डल ने खास तौर से यह बताया कि आश्रम में औरतों, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों श्रद्धालु भूखे और प्यासे बैठे हुए हैं और असामाजिक तत्व वहां पर खाद्य सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं। उनको यह भी बताया गया कि इन तत्वों की मदद पुलिस कर रही है। उनसे प्रार्थना की गई कि जिला प्रशासन, रोहतक तथा झज्जर को तुरन्त निर्देश दिये जाएं कि उपरोक्त विषय में तुरन्त कार्यवाही करें, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि इन सब की मिली भक्त थी।

11 जुलाई, 2006 को भी यह स्थिति बनी रही और असामाजिक तत्वों को इकट्ठा किया जाता रहा। इसके साथ-साथ ही आश्रम पर आक्रमण करने का प्रबन्ध भी किया जाता रहा और हथियार, लाठियां, जेलियां, देशी कट्टे(पिस्टल), बन्दूकें, पेट्रोल बम्स इत्यादि का इन्तजाम किया जाता रहा। 11, जुलाई 2006 की रात को ये असामाजिक तत्व पुलिस की मौजूदगी में लाउड स्पीकर पर धमकी देते रहे कि 12 जुलाई, 2006 को आश्रम तथा आश्रम में उपस्थित व्यक्तियों को जला दिया जाएगा। गोलियों से मार दिया जाएगा। इस विषय में सभी अधिकारियों एस.पी., डी.सी., आई.जी. रेंज, ए.डी.जी.पी.(सी.आई.डी.) और डी.जी.पी. हरियाणा, मुख्यमंत्री तथा अन्य हस्तियों को फ़ैक्स सन्देशों तथा अन्य सन्देशों से सूचित कर दिया गया था और यह प्रार्थना की गई कि इस खतरनाक स्थिति को टालने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाए लेकिन इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

12, जुलाई 2006 को भारी संख्या में असामाजिक तत्वों को टैम्पो और ट्रकों के जरिये डीघल गाँव में इकट्ठा किया गया। इन तत्वों के हाथों में सतलोक आश्रम पर आक्रमण करने के लिए जेली, गंडासे, पेट्रोल बम्स, बन्दूकें तथा दूसरे हथियार थे। 12 जुलाई 2006 को लगभग दिन के 12:30 बजे इन लोगों ने सतलोक आश्रम की तरफ धावा बोल दिया। उस समय आश्रम के पास पुलिस उपस्थित थी। आक्रमणकारियों को रोकने की चेष्टा की। पहले पानी छोड़ा, फिर आँसू गैस के गोले दागे। फिर भी आक्रमण करने वाली भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने गोलियां चलाई। उधर से आक्रमणकर्ताओं ने भी गोलियां चलाई। जिस कारण से कई व्यक्ति घायल हो गए तथा एक की मृत्यु हो गई। आक्रमणकारी फिर भी बाज नहीं आए। पुलिस व प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आश्रम के सामने से दूर जाकर पुलिस व जिले

के वरिष्ठ अधिकारी मूक दर्शक बन कर खड़े रहे। इसके पश्चात आक्रमणकारी अत्यधिक बौखला गए और आक्रमणकारियों ने आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। वहां पर मौजूद पुलिस भी आश्रम के सामने से हट गई। असामाजिक तत्वों ने आश्रम पर पत्थर, पेट्रोल बम्स, बन्दूकों तथा अन्य हथियारों से आक्रमण शुरू कर दिया तथा उसको रोकने के लिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसको रोकने के लिए भक्तों ने टेलीफोन पर जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से भी प्रार्थना की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने को चारों तरफ से घिरा देखकर और आश्रम के अन्दर मौजूद औरतों, बच्चों और बूढ़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए आक्रमणकारियों को खदेड़ने के उद्देश्य से आश्रम के सुरक्षा दस्ते ने हवाई फायर किए। पुलिस व आक्रमणकर्त्ताओं के बीच हुई फायरिंग व पत्थराव से उपरोक्त दुर्घटना होने के पश्चात् जिला प्रशासन की नींद खुली और करौथा गाँव के आस-पास धारा 144 सी.आर.पी.सी. लगाई जो केवल एक नाटक था। यह सिलसिला 13 जुलाई 2006 सुबह दो बजे तक चलता रहा। बाद में भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई। प्रारम्भ में तो आश्रम के भक्तों ने यही समझा कि यह सारी कार्यवाही उनकी और आश्रम की सुरक्षा के लिए की जा रही है। लेकिन उनको यह देखकर हैरानी हुई कि ये सारे इन्तजाम आश्रम को खाली करवाने तथा सन्त रामपाल और भक्तों को गिरफ्तार करने के लिए किया जा रहा है। असामाजिक तत्व अपने हथियारों के साथ ज्यों के त्यों आश्रम के चारों तरफ कुछ दूरी पर खड़े रहे जबकि वहां धारा 144 लगी हुई थी, उन शरारती तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उनके खिलाफ आश्रम पर आक्रमण करने के लिए कोई एफ.आई.आर. दर्ज की गई। आश्रम खाली होने के पश्चात आक्रमणकारियों तथा पुलिस फोर्स के बीच डीघल गांव में झगड़ा हुआ क्योंकि आक्रमणकारियों ने पुलिस की कुछ गाड़ियों को आग लगाई। जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस स्टेशन बेरी में दर्ज की गई परंतु अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री हरियाणा का मेहर भरा पंजा उपद्रवियों के सिर पर है। बड़े शर्म की बात है कि प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को कितना हौसला दिया कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी समेत अन्य वाहनों को भी पुलिस के सामने जलाया और फिर भी पुलिस ने न तो उनको गिरफ्तार किया और न ही आश्रम के चारों ओर से खदेड़ा। इलैक्ट्रॉनिक मिडिया को भक्तों ने मोके पर आने के लिए प्रार्थना की ताकि वो इस सारे घटना चक्र की रिकार्डिंग कर ले और सलतोक आश्रम को नष्ट करने के षडयन्त्र का खुलासा कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस ने उनको ऐसा नहीं करने दिया और उनके हाथों से कैमरा छीन कर तोड़ दिया गया और उनको पीटा भी गया और यह कहा गया कि उन्होंने यदि दोबारा कोई इस घटना की कवरेज की तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। एक और आश्चर्य की बात है कि जिन असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया तथा शांति पूर्वक सत्संग सुन रहे श्रद्धालुओं व आश्रम के संचालक संत

रामपाल जी महाराज को जान से मारने के लिए आए और पुलिस व पब्लिक की गोलियों व पत्थरों से जो असामाजिक तत्व घायल हुए तथा मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनको सरकार की ओर से ग्रांट (सहायता राशी) दी गई। इससे सिद्ध है कि 9 जुलाई 2006 को बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ हुई मीटिंग में सर्व विनाशकारी कार्य की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी से प्राप्त हुई थी क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेन्द्र सिंह जी आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी होने की बात श्री भूपेन्द्र सिंह जी मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिनांक 8 अक्टूबर 2006 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में पृष्ठ संख्या तीन पर कहा है कि हमारा परिवार तीन पीढ़ी से आर्य समाजी है। आर्य समाज के व्यक्तियों ने भी करौंथा काण्ड में आहत हुए आक्रमणकारियों को धन राशी इनाम में दी है। समाचार पत्र दैनिक जागरण दिनांक 15 अक्टूबर 2006 तथा दैनिक भास्कर दिनांक 27 नवम्बर 2006 में छपा है कि करौंथा काण्ड में घायल हुआ को दयानन्द मठ रोहतक में वीर रत्न की उपाधी से नवाजा जाएगा वैसा ही किया गया और समाचार पत्र दैनिक ट्रिब्यून दिनांक 25 जनवरी 2007 में लिखा है कि 'करौंथा काण्ड' में भाग लेने वाले व्यक्ति जो पहले सम्मानित नहीं हो पाए वे 31 जनवरी 2007 को बलदेव भवन दयानन्द मठ रोहतक में आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आचार्य बलदेव की अध्यक्षता में सम्मानित किया जाएगा। 24 सितम्बर 2006, 26 नवम्बर 2006 तथा 31 दिसम्बर 2006 को भी करौंथा काण्ड में भाग लेने वाले आचार्य बलदेव की अध्यक्षता में सम्मानित किए गए थे। इससे स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार तथा आर्य समाज का करौंथा काण्ड करने व कराने में पूरा सहयोग है। जब रक्षक ही भक्षक हो गए तो गरीब जनता का क्या बनेगा ? क्या आश्रम में जाने वाले भारत देश के नागरिक व हरियाणा के वासी नहीं हैं? यदि करौंथा काण्ड को दो गुटों का झगड़ा माना जाए तो भी एक गुट वालों को ग्रांट देना भी सरकार की भूमिका पर अमित दाग है।

13 जुलाई, 2006 सुबह लगभग 2:30 बजे पुलिस द्वारा आश्रम को जबरदस्ती खाली करवाया गया और सन्त रामपाल जी और उनके कई अनुयाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने खाली करवाते वक्त यह वादा किया था कि जो अनुयायी जहां जाना चाहेगा उसे उसी स्थान पर बसों द्वारा भेजा जाएगा। जिला प्रशासन ने यह भी वादा किया था कि सन्त रामपाल जी और उनके सभी सेवकों को सतलोक आश्रम बरवाला में भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा न करके सन्त रामपाल जी महाराज व उनके कुछ श्रद्धालुओं को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया गया व अन्य श्रद्धालुओं को रोहतक व पानीपत बस स्टैण्ड पर छोड़ दिया। यह सारी प्रक्रिया इलैक्ट्रॉनिक मिडिया के नोटिस में नहीं आने दी गई और बाद में मीडिया को गलत और बदनामी भरी सूचनाओं से अवगत कराया गया। जिला प्रशासन ने गैर कानूनी ढंग से आश्रम में 145 सी.आर.पी.सी. में अटैच करके अपने नियन्त्रण में ले लिया और किसी भी भक्त को उसके बाद आश्रम तक नहीं पहुंचने दिया। तभी से छुड़ानी आश्रम, आर्यसमाजी तथा अन्य असामाजिक तत्वों

का इतना हौसला बढ़ गया कि उन्होंने सन्त रामपाल जी, उनके अनुयायी और आश्रम के विरुद्ध चरित्र हनन और बदनाम करने वाली अश्लील गलत कहानियाँ बनाकर समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिन्ट मीडिया से छपवाई हैं और मीडिया भी बिना तथ्यों की जांच किए इन शरारतपूर्ण खबरों को छापता रहा है। कुछ समाचार पुलिस तथा प्रशासन के स्रोतों से भी छपे हैं जो कि प्रशासन द्वारा आम पब्लिक को गुमराह करने के लिए छपवाए गए हैं लेकिन बाद में अपने बचाव के लिए उनको नाकारा भी है और कहा है कि आश्रम में ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। जो अनुयायी गिरफ्तार नहीं हुए उनको प्रैस से नहीं मिलने दिया गया और जिन्होंने मिलने का प्रयास किया उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन व असामाजिक तत्व सरकार की शह पर सन्त रामपाल जी के शिष्यों को अभी भी परेशान कर रहे हैं और जो भी भक्त कचहरी या अन्य स्थानों पर मिलता है उसको असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में पीटा जाता है। प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है जबकि धारा 144 लगाने का ऐलान हो चुका था।

उन सात लाख पचास हजार नागरिकों के आँसू पोंछने वाले संत को भी जेल में बंद कर दिया। सच्चाई को जितना दबाया जाता है वह उतने ही अधिक वेग से ऊपर आती है। सांच को आंच नहीं होती। यदि सरकार अब भी संभल जाएगी तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। संत रामपाल जी के विरुद्ध बनाए गए झूठे मुकद्दमें वापिस लिए जाएं तथा जब तक आश्रम वापिस प्राप्त नहीं होते तब तक संत रामपाल जी के सत्संगों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था सरकार करवाए। क्योंकि अब तो सरकार का भी भ्रम समाप्त हो गया होगा कि सतलोक आश्रम में कोई अवैध वस्तु नहीं थी। सर्व संगत की तरफ से पुनर् अनुरोध है कि संत रामपाल जी के सत्संग सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी सुरक्षा में करवाए जाएं। उनको संगत के खर्च से किया जाएगा। केवल सुरक्षा सरकार करे। यदि किसी व्यक्ति, आचार्य, महंत, संत या संस्था व पंथ को संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए सत्संग विचारों में आपत्ति है। यदि उन्हें लगता है कि संत रामपाल महाराज उनके संत, महर्षियों या पंथों के प्रवर्तक के विषय में गलत व्याख्यान कर रहे हैं तो वे भी लेख-प्रतिलेख द्वारा समाधान करा सकते हैं। कानून को हाथ में न लेकर न्यायालय में जा सकते हैं। यदि सरकार संत रामपाल जी के सत्संग करवाने की सुरक्षा व्यवस्था नहीं करती है तो सरकार की नियत साफ नहीं है। यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो संघर्ष का मार्ग अपनाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी बड़े मेहरबान हैं जो व्यक्ति कानून हाथ में लेकर उपद्रव करते हैं। यदि उनको हानि हो जाती है तो लाखों रूपए की ग्रांट दी जाती है।

जरा सोचिए

“जगत् गुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए गए मिथ्या व निराधार आरोपों के पीछे आखिर सच्चाई क्या है ?”

एक सज्जन पुरुष से पूछा कि आप निष्पक्ष निर्णय करना। उसने कहा कि क्या बात है ? उसको बताया कि सरकार ने उन व्यक्तियों पर कार्यवाही करनी चाहिए थी या नहीं जो निर्दोष आश्रम के श्रद्धालुओं को तथा संत रामपाल जी महाराज को मारने गए थे। उसका उत्तर था कि वह तो एक बवाल था। इतनी जनता में प्रशासन किस-२ को पहचाने और किस-२ पर केस करे। मैंने उस सभ्य पुरुष से कहा कि जो व्यक्ति वहां जख्मी हुए हैं उनको सरकार ने इक्यावन-२ हजार रूपए की ग्रांट दी है। वे तो स्वयं कह रहे हैं कि हम तो आश्रम वालों को मारने गए थे। उन पर केस करने की बजाय इनाम दिया गया। यह बात सुन कर उस व्यक्ति का नशा सा उतरा और बोला कि भाई जी - बात तेरी अनमोल है। यह तो सरेआम सरकार की गलती है। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते ? उनको तो सजा के लिए गवाहों की भी जरूरत नहीं है। वे तो स्वयं गवाह हैं कि हम आश्रम पर जान लेवा हमला करने गए थे। न्याय सबके लिए समान है। चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधान मंत्री है, यदि गलती करेगा तो अवश्य दण्डित होगा। आपने तो मेरी भी बुद्धि ठिकाने कर दी कि सचमुच जो व्यक्ति दूसरों को मारने गए उनको ग्रांट देना महा अपराध है।

करौंथा काण्ड करवाने के लिए पिछले कुछ दिनों से कुछ मीडिया द्वारा संत रामपाल जी महाराज व सतलोक आश्रम करौंथा के ऊपर अनर्गल आरोप लगा कर उनकी छवि खराब करने की कुचेष्टा हुई है और धर्म के नाम पर कुछ अनैतिक हो रहा था ऐसा प्रचार करने का प्रयास किया गया है। नादान लोगों को नारेबाजी तथा शोषेबाजी के लिए उकसाया और प्रशासन तथा समाज को जगतगुरु रामपाल जी के विरुद्ध गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

उत्तम तो यह होता कि पिछले कुछ वर्षों से ये औच्छे हथकंडे अपनाने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदार महाराज जी की तरह समाचार पत्रों में लेख-प्रतिलेख लिख कर अपनी बात को अपने धर्म को समाज के सामने साबित करते, फिर भी समाज के प्रबुद्ध व सम्माननीय पढ़े लिखे विद्वत जनों से आह्वान है कि वे एक बार संत श्री रामपाल जी के तर्कों को सुने, सच्चाई को जानें और इन अज्ञानी, लकीर के फकीर दम्भी व धर्म लोलुपों से सदियों से होते आ रहे शोषण से मनुष्य को मुक्त करवाएं। सतलोक आश्रम करौंथा में रखी विडियो सीडीज (Video C.D.) के बारे में कहा गया कि ब्ल्यू फिल्म की सी.डी. मिली। वास्तविकता यह है कि वे विडियो सीडीज 'परिभाषा प्रभु की' नाम से तथा 'तत्त्व ज्ञान संदेश' नाम से प्रमाणित शास्त्रों के आधार से सत्संग की हैं। मीडिया से हमारा अनुरोध है कि उन विडियो सीडीज

को इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाएं ताकि सभी आंखों देख सकें कि उन विडियो सीडीज में क्या भर रखा है? सब संसार आश्चर्य चकित रह जाएगा। उनमें ऐसा अद्भुत ज्ञान है कि उन विडियो सीडीज को मीडिया में चलाने का खर्चा भी भगत समाज देने को तैयार है। इन विडियो सीडीज को प्रसारित करने से मीडिया की छवि बरकरार रहेगी तथा सर्व संसार मीडिया का आभारी रहेगा।

आज से लगभग छह सौ वर्ष पूर्व जब परम पूज्य कबीर परमेश्वर आये थे और उन्होंने धर्मसमाज को आडम्बर और रूढ़ियों का परित्याग करने और भक्ति क्या होती है यह अपनी साखियों के द्वारा बताया। जरा सोचिए कबीर साहेब ने जब प्रत्येक धर्म में प्रचलित धार्मिक साधना में खोट बताया तो सही भक्ति भी बताई थी, उस वक्त के ये नकली धर्मगुरु उनसे छिपते फिरते थे और पीछे से उन पर मिथ्या आरोप व लांछन लगाकर उनको बदनाम करने का प्रयास करते थे इस बात का इतिहास गवाह है कि आज कबीर साहेब की परम्परा से संत श्री रामपाल जी महाराज पर वही षडयंत्र रचा जा रहा है पर यह नहीं जानते कि आज के समय में हर आदमी पढ़ा लिखा, विवेकी और सही गलत की समझ रखने वाला है।

करौथा काण्ड करने व करवाने के लिए इन ऊंची राजनीतिक पहुंच वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा नादान लोगों व शरारती तत्वों को संत रामपाल जी के विरुद्ध गुमराह करके उकसाया और भड़काया तथा पुलिस की मौजूदगी में ही 9 जुलाई से आश्रम में जाने व बाहर आने के सभी रास्ते बंद करवाकर जाम लगवा दिया। शरारती तत्वों व पुलिस द्वारा रास्ते में आश्रम में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं जिसमें ज्यादातर माताएं, बहनें और छोटे बच्चे भी शामिल थे, के साथ बुरी तरह मारपीट की गई जिसमें सैंकड़ों श्रद्धालुओं को तो काफी गहरी चोटें आईं जिसमें हड्डी टूटना व टांके आना आदि शामिल हैं तथा भविष्य में कभी आश्रम में न आने को कहकर माताओं, बहनों तक से अति अभद्र व्यवहार किया गया। सरकार द्वारा रोहतक व झज्जर के हस्पतालों को आश्रम के भक्तों का मैडिकल भी कराने से मना किया जो असामाजिक तत्वों द्वारा घायल किए गए थे। ऐसा अत्याचार श्रद्धालुओं पर किया गया।

शरारती तत्वों ने 9 जुलाई के बाद आश्रम में खाने पीने का सामान तक नहीं आने दिया तथा पुलिस की मौजूदगी में आश्रम के बिजली के कनेक्शन काट डाले व पानी की व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया गया। अगले चार दिन तक आश्रम के चार-पांच हजार श्रद्धालु जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे, महिलाएं तथा बूढ़े व्यक्ति भी थे, आश्रम में बंद रखकर भोजन-पानी-बिजली व चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरसाया व तड़पाया गया। इस पूरी घटना के दौरान मीडिया को आश्रम तक नहीं पहुंचने दिया गया और बाहर एस.पी. व डी.एस.पी. ने पत्रकारों को सारी स्थिति काबू में बताई जबकि उस वक्त आश्रम में चार से पाँच हजार श्रद्धालु भूखे-प्यासे रह रहे थे और बिजली व चिकित्सा जैसी सुविधाओं तक का अभाव था। बच्चे रो रहे थे और वृद्धों को दवाईयां तक समय पर नहीं मिल पा रही थी।

दिनांक 13-07-2006 सुबह लगभग 2:30 बजे भारी पुलिस बल द्वारा आश्रम में आकर भक्तों को हमारे बरवाला आश्रम में सुरक्षित छोड़ने की पेशकश की गई। बाहर आते वक्त दो लाइनें बनवा दी गई और प्रत्येक श्रद्धालु व उसके सामान की बड़ी गहनता से तलाशी लेकर मैन गेट पर खड़ी बसों में बिठाया गया ताकि कोई ऐसा-वैसा सामान आश्रम से बाहर न जा पाए। आश्रम खाली हो जाने के बाद पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया और भक्तों को डरा-धमका कर उनके पैसे, मोबाईल फोन आदि छीनकर पानीपत और रोहतक छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा आश्रम के वैध लाइसेंसी हथियारों को बरामद कर लिया गया और उन्हें अवैध बताकर आपत्तिजनक सामग्री मिलने की जानकारी मीडिया में दी गई। कथित आपत्तिजनक सामग्री को पुलिस ने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि वास्तव में आश्रम में न तो कोई आपत्तिजनक सामग्री थी और न ही कोई अवैध हथियार थे, लेकिन अब पुलिस क्या जवाब देती कि किस आधार पर ये कार्यवाही की गई? संत रामपाल जी महाराज के साथ उनके अनुयायियों को भी हवालात में बंद कर दिया गया और अन्य अनुयायियों के पैसे-मोबाईल आदि छीनकर मारपीट व अभद्र व्यवहार करते हुए छोड़ दिया गया। 13 जुलाई, 2006 से आश्रम को सी.आर.पी.एफ. व हरियाणा पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया।

इसके बाद रोहतक के कुछ अखबारों के पत्रकारों ने हरियाणा स्तर पर अपनी प्रसिद्धि व विशेषता सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से बढ़-चढ़कर रस्सी का सांप बनाकर छापना प्रारम्भ कर दिया, जैसे कि आश्रम में महिलाओं के वस्त्र मिलना, सुरंग मिलना, हथियारों का जखीरा मिलना, नकदी की भरी कई बोरियां मिलना, कई किलो सोना मिलना, हाइड्रोलिक आसन मिलना, लोगों की जमीन हथियाना आदि-आदि। इस तरह की प्रमाण रहित खबरों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खूब हवा दी। एक दो व्यक्तियों का इंटरव्यू भी दिखाया जबकि पुलिस प्रशासन तक स्पष्ट मना कर रहा था कि "आश्रम की पूर्ण रूप से तलाशी हो चुकी है लेकिन जिस तरह से मीडिया ऐसी प्रमाण रहित खबरें छाप रहा है वहां ऐसा कुछ नहीं मिला है। हाँ, यहां से ए.सी. गाड़ियां व आश्रम से ए.सी., कूलर, पंखे आदि जरूर मिले हैं।" यह विचार रोहतक के एस.पी. डॉ. सी.एस. राव के दिनांक 19 जुलाई 2006 के 'हरिभूमि' में और दिनांक 20 जुलाई 2006 दैनिक जागरण समाचार पत्र में हैं जो मीडिया में आ चुके हैं।

यहां सीमित स्थान होने के कारण इस पुस्तक में सारी बातें बता पाना संभव नहीं है फिर भी उन मिथ्या आरोपों को यहां जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्हें पढ़कर जनता स्वयं सही व गलत का फैसला करे कि क्या सच है और क्या झूठ? पूरे समाज को इस घटनाक्रम से अंधेरे में रखा जा रहा है जिस वजह से इन ईर्ष्यालु धर्मगुरुओं का दांव लगा हुआ है। जिस समय भक्त समाज सच्चाई से परिचित हो जायेगा इन लोगों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा और हम सारे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच की मांग करते हैं लेकिन सरकार जांच करवाने से क्यों डरती है?

यदि मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को आर्य समाजी मान कर उन उपद्रव करने वालों को ग्रांट दी है तो भी भेद-भाव स्पष्ट है। यदि विचार करें तो उन लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी के साथ दुश्मन का कार्य किया था। यदि सतलोक आश्रम के संत रामपाल जी महाराज तथा भक्तजन संयम से काम नहीं लेते तो वहां न जाने कितनी जन-हानि हो जाती। यदि करौथा काण्ड में 20-25 व्यक्ति बिगड़ जाते तो चीफमिनिस्ट्री धरी की धरी रह जाती। जो व्यक्ति भक्तों को मारने आश्रम में आए जिनको पुलिस मुठभेड़ में चोटें लगी, उनको तो ग्रांट दे दी तथा हमारा आश्रम छीन लिया और मुकदमे बना कर हमें जेल में डाल दिया गया। यह तो ऐसा न्याय कर दिया जैसा एक समय घोड़ी वाला यात्री किसी गांव में रात्री को एक व्यक्ति के घर ठहरा हुआ था। घोड़ी को अन्य पशुओं के साथ बांध दिया तथा खाना खा कर यात्री सो गया। रात्री में घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। घर वाला रात्री में जागा तो देखा कि घोड़ी ने बच्चे को जन्म दिया है। उसने उस घोड़ी के बच्चे को अपने बैल के पास बांध दिया। घोड़ी वाला उठा और उसने कहा कि यह मेरी घोड़ी का बच्चा है। घर वाला बोला कि यह बच्चा मेरे बैल ने दिया है। यह प्रतिवर्ष एक घोड़ी के बच्चे को जन्म देता है। पूरा गांव साक्षी है। घोड़ी वाले ने पंचायत बुलाई, सारी समस्या बताई। पंचायत बोली कि भाई इस व्यक्ति का बैल प्रतिवर्ष एक घोड़ी के बच्चे को जन्म देता है। इस बच्चे का तेरा अधिकार नहीं है। वह यात्री रोता हुआ अपनी घोड़ी पर सवार हो कर उन पंचायतियों से बोला कि भाई सरपंच और पंचों आपकी मृत्यु के पश्चात् इतना अच्छा न्याय कौन किया करेगा ? सर्व पंच व सरपंच बोले कि हमारी संतान किया करेगी। यात्री बोला कि ऐसे पापियों का वंश भी चलेगा क्या ? तुम्हारा तो बेड़ा गरक होगा। यह कह कर घोड़ी वाले ने घोड़ी को दौड़ा कर जान बचाई। ऐसा न्याय भक्तों के साथ किया गया है। परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेगा।

तुमने उस दरगाह का महल ना देख्या। धर्मराय के तिल-२ का लेख ॥

राम कहै मेरे साध को, दुःख ना दीजो कोए।

साध दुखाय मैं दुःखी, मेरा आपा भी दुःखी होय ॥

हिरण्यकश्यप उदर (पेट) विदारिया, मैं ही मार्या कंश।

जो मेरे साधु को सतावै, वाका खो-दू वंश ॥

सतगुरु जी इस वाणी में कहते हैं कि तुमने धर्मराज का दरबार नहीं देखा है। वहां पर एक-२ तिल का हिसाब लिया जाता है अर्थात् जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। राम जी कहते हैं कि मेरे साधु को दुःखी मत करना। उसको दुःखी करते हो तो समझो मुझे दुःखी कर रहे हो। मैंने ही हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा व कंश को मारा और जो मेरे साधु को दुःखी करेगा उसका वंश मिटा दुंगा। उन पापियों को निम्न सजा देता हूं -

अर्धमुखी गर्भवास में, हरदम बारम्बार। जूनि भूत पिशाच की, जब लग सृष्टी संहार ॥

जब तक सृष्टी प्रलय नहीं होती तब तक संत को दुःखी करने वालों को मैं

(राम) बार-२ मां के गर्भ में डाल कर दण्डित करता हूं और कष्टदाई भूत-पिशाच की योनियों में रखता हूं।

“समाचार पत्रों में छपे कुछ समाचारों पर टिप्पणी”

मिथ्या आरोप :- आश्रम में अवैध हथियार मिले।

झूठ छपा : दैनिक भास्कर 14 जुलाई 2006 में डीसी आर.एस. दून ने कहा है।

टिप्पणी :- प्रिंट मीडिया में यह छपना कि ‘आश्रम में अवैध हथियार मिले’ आदि आधारहीन झूठी खबरें चाहे वह किसी प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से छपी हैं या किसी अन्य व्यक्ति के कहने से छपी हैं और छपती रहती हैं। लेकिन इसकी पूर्ण रूप से जांच हुए बिना ऐसी खबर छपना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, क्योंकि आश्रम के सभी हथियार लाइसेंसी हैं। लाइसेंसी हथियार जिनमें एक एस.एल.आर. और स्टेनगन तो उन दो पुलिस गार्डों की हैं जिनकी ड्यूटी सदर थाने से सतलोक आश्रम में ही लगी हुई थी, और इसके अलावा जो राईफल 315, 31 प्वाइंट राईफल, एक सिंगल बैरल गन और 100 से अधिक जिन्दा कारतूस मिले हैं वे सभी लाइसेंसी हैं। ‘आश्रम के सभी हथियार लाइसेंसी हैं और पुलिस हथियार के मालिकों की तलाश कर रही है।’ फिर इस तरह की सच्ची खबर बाद में छपना यह सब किस प्रश्न की तरफ इशारा कर रही है, कृपया विचारें कि इस खेल के पीछे आखिर माजरा क्या था ?

मिथ्या आरोप :- आश्रम में महिलाओं के वस्त्र व फोन नम्बर मिले।

झूठ छपा : प्रसिद्ध हिन्दी मासिक पत्रिका ‘आऊट लुक’ के सितम्बर के अंक में। ‘दैनिक भास्कर’ 16 जुलाई 2006 में। ‘दैनिक जागरण’ 20 जुलाई 2006 में।

सच छपा : ‘न भूमिगत कमरे, न आपत्तिजनक सामग्री मिली’ -‘हरिभूमि’ 19 जुलाई 2006 में

टिप्पणी :- इन झूठे आरोप लगाने वालों से कोई पूछे कि आरोप लगाओ तो तार्किक तो लगाओ। जरा सोचिए सज्जन पुरुषों सतलोक आश्रम करौंथा में सत्संग के दिनों में पूरे भारत वर्ष से प्रतिमाह हजारों सभ्य-शिक्षित परिवार और भद्र पुरुष आते हैं और तीन-चार दिन तक आश्रम में ठहरते हैं। बारह जुलाई को रात्रि में जब पुलिस ने आश्रम खाली करवाया तो आश्रम में लगभग चार-पांच हजार श्रद्धालु जिनमें ज्यादातर महिलाएँ व बच्चे थे जो पिछले पांच-छः दिन से आश्रम में रह रहे थे। इतने भय के माहौल में रात्रि में करीब अढ़ाई बजे जब सभी को आश्रम से बाहर जाने के लिए कहा गया तो साधारण सी बात है कि उस भागदौड़ में बहुत से श्रद्धालु अपना सामान और कपड़े व जूते आदि आश्रम में छोड़ गए जिसको पुलिस व मीडिया ने इस तरह उछाल दिया कि “आश्रम में महिलाओं के वस्त्र मिले”। जब आश्रम में माताएं व बहनें भी रहती थी तो उनका सामान आश्रम में नहीं मिलेगा

तो क्या सड़क पर मिलेगा? और यदि ये सामान आपत्तिजनक माना जाएगा तो हमारे परिवारों में जो महिलाओं के कपड़े हैं उन्हें भी आपत्तिजनक माना जाये। किसकी बहन-बेटी हैं जो उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करती जिनका प्रदर्शन बेहुदे तरीके से सभ्य समाज में किया गया। जहां पर छोटे-मोटे सर्व परिवार के सदस्य टी.वी. देख रहे थे।

मिथ्या आरोप :- आश्रम में लिफ्ट, सुरंग व सुरंग में कैमरे, प्रवचन स्टेज व ए.सी. गाड़ियां मिली।

झूठ छपा : 'आश्रम में सुरंग और सुरंग में कैमरे' 'दैनिक भास्कर' 15 जुलाई 2006 में।

सच्च छपा : 'सुरंग' नहीं 'सब वे' जो एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ने का माध्यम मात्र है। सुरंग के नीचे दस तो क्या एक भी कमरा नहीं है। 'पंजाब केसरी' 19 जुलाई 2006 को प्रकाशित हुआ प्रमाण है। 'न भूमिगत कमरे, न आपत्तिजनक सामग्री', 'हरिभूमि' 19 जुलाई 2006 में।

टिप्पणी :- सतलोक आश्रम करौथा लगभग चार-पांच एकड़ में बना हुआ है जहां पर हजारों श्रद्धालुओं के सत्संग सुनने की व्यवस्था है जो सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं से खचा-खच भरा रहता है। इसके लिए कि आश्रम में ज्यादा श्रद्धालु बैठ सकें, एक नई दूसरी स्टेज बनाई गई जो महाराज जी के विश्रामालय से काफी दूर थी और भीड़ में स्टेज तक जाने का कोई और जरिया न देखते हुए आश्रम में बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने जमीन के नीचे से एक गलियारा (सब वे) बनाया ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को भी परेशानी न हो और सतगुरु रामपाल जी महाराज को भी। यह गलियारा सतगुरु देव के विश्रामालय से सीधा प्रवचन करने के स्टेज तक जाता है और वहां से भक्तों ने अपने गुरुदेव जी को ज्यादा कष्ट न हो यह समझते हुए लिफ्ट वाला आसन लगा दिया और साथ में पौड़ी भी बनवा दी ताकि एक विकल्प रहे। सत्संग करने वाली स्टेज पर तीनों तरफ ग्लास लगा रखे हैं ताकि महाराज जी श्रद्धालुओं को तीनों तरफ से नजर आयें। रात्री सत्संग के समय सत्संग करने की स्टेज वाली शीशे की कुटिया में 500-500 वाट की ट्यूब रोशनी के लिए लगाई गई हैं ताकि श्रोताओं को संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट दिखाई दें। जिस कारण कुटिया में गर्मी अत्यधिक हो जाती है। इसलिए उसमें ए.सी. का लगना भी अति आवश्यक है। वास्तविकता तो है यह, अब आप स्वयं विचार करें कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो पुलिस नहीं जानती।

इस बात को मीडिया ने तोड़-मोड़ कर वहां एक सुरंग मिली, सुरंग में दस कमरे मिले, हर कमरे में विडियो कैमरे मिले आदि पता नहीं क्या मिला, वहां पर यह होता था, वहां पर वह होता था, इस तरह की जानकारी मीडिया के द्वारा समाज को दी गई, जो सरासर गलत व झूठी हैं। यह भक्तों की इच्छा है कि वे अपने गुरु के लिए कुछ भी बनवाएं, इससे अन्य धर्मगुरुओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आश्रम के लाखों अनुयायी तो कुछ नहीं कह रहे।

जबकि सबसे अजीबो-गरीब दास्तां तो यह है कि बाद में प्रिंट मीडिया में ही यह खबर छपना कि -

।।आश्रम के अंदर का सच।।

रोहतक 18 जुलाई (पंजाब केसरी टीम) : बहुचर्चित संत रामपाल प्रकरण के दौरान 'जितने मुंह, उतनी बातें' वाली कहावतें भी खूब देखने को मिली, लेकिन हैरतअंगेज यह है कि 'सबसे पहले, सबसे अलग' जैसे वाक्यों का सहारा लेकर पाठकों तक मिसाईल की गति से समाचार पहुंचाने वाले कुछेक समाचार पत्र भी अफवाहों को आधार बनाकर सूत्रों के हवाले से खबरें छापते रहे। उदाहरण के लिए आश्रम के नीचे सुरंग व सुरंग में दस कमरे बने होने की बात प्राथमिकता से उछली।

पुलिस के आला अफसर भी चुप्पी साधे रहे और कोई टिप्पणी नहीं की। आए दिन अखबारों में तथ्यों से परे और सूत्रों के हवाले से प्रकाशित की जा रही खबरों के मद्देनजर रोहतक रेंज के आईजी शरद कुमार ने जिले के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज आश्रम का अंदर तक मुआयना करने की अनुमति दे दी। दिल्ली से आए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने भी आश्रम का दौरा किया। यथार्थ समाचार बताया कि जमीन के नीचे बने करीब डेढ़ सौ फीट लम्बे रास्ते को सुरंग का नाम दिया जा रहा है, वह सही मायनों में एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ने का माध्यम मात्र है। इतना जरूर है कि यह रास्ता बना जमीन के नीचे है। लेकिन सुरंग की परिभाषा यह नहीं है। चूंकि सुरंग उसे कहा जाता है जो रास्ता जमीन के नीचे-नीचे होते हुए किसी परिसर से बाहर निकाल दे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उदाहरण दें तो बुडैल जेल में कैदियों द्वारा सुरंग बनाई गई थी, जिसके माध्यम से वे जेल से बाहर निकल गए थे। आश्रम में बनी 'सुरंग' आश्रम में ही रह जाती है। सुरंग के नीचे जमीन में दस तो क्या एक भी कमरा नहीं बना हुआ है। इस बात को पुलिस अधिकारी व मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी जानते हैं। आश्रम पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी भी इस बात से खफा थे कि अखबारों में बिना तथ्यों की खबरें क्यों प्रकाशित की जा रही हैं।

(लेख समाप्त)

इस तरह उपरोक्त सच व वास्तविक खबरें छापना प्रिंट मीडिया की जन-मानस व समाज के प्रति अपनी सच्ची, निष्ठापूर्ण, न्याय संगत, समाज सेवा, देश भक्ति है तथा अपने पवित्र आचरण की नीति की अमिट छाप छोड़ता है जो अपने मौलिक अधिकारों का सौ प्रतिशत सच की खोज करके जनता के समक्ष रखने में प्रयोग करता है जो मीडिया का नैतिक कर्तव्य भी है और ऐसे मीडिया की हम प्रशंसा करते हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ छापे व दिखाए। यदि मीडिया ऐसे ही सच को सच रूप में ही जनता के समक्ष लाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा हिन्दुस्तान पूरे संसार में एक मिसाल के तौर पर जाना जाएगा जो हर देशवासी के दिल की तमन्ना है और होनी भी चाहिए।

लेकिन इसके विपरीत एक बड़े दुःख की बात यह है कि इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मीडिया ही सच्चाई की तह तक न जा कर 'सबसे पहले और सबसे अलग' वाली कहावत पर चलते हुए झूठी, आधारहीन व बेतुकी खबरें छापता है तो उनके कर्तव्यों पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि 'आखिर यह सब क्यों?'

मिथ्या आरोप :- आश्रम में नोटों की बोरियां व कई किलो सोना मिला।

झूठ छपा : आश्रम में मिला : तीस किलो सोना, नोटों की बोरियां (सोने व नोटों के चित्र भी छापे हैं) - 'दैनिक जागरण' 18 जुलाई 2006 में।

सच छपा : 'न सोना मिला और न ही नोटों की बोरियां' - 'हरिभूमि' 19 जुलाई 2006 में। 'एसपी ने फिर कहा, नहीं मिला सोना' - 'दैनिक जागरण' 20 जुलाई 2006 में। 'नहीं मिला धन, सोना व शराब : एसपी' - 'दैनिक जागरण' 23 जुलाई 2006 में।

टिप्पणी : आश्रम में नकदी व सोना मिलने की अफवाह को मीडिया ने काफी रूचि से बढ़ा-चढ़ा कर छपा कि आश्रम में रूपयों की भरी कई बोरियां व कई किलो सोना मिला है। इतना ही नहीं एक हजार व पांच सौ रूपए के नोट व सोने की तस्वीर भी छापी है वो भी दैनिक जागरण समाचार पत्र के प्रमुख पेज पर। स्वयं पुलिस अधीक्षक डॉ. सी.एस.राव. ने कहा कि 'इस तरह की कोई भी चीज आश्रम में नहीं मिली है और न ही कोई आपत्तिजनक चीज मिली है। यह सब मीडिया बेवजह उछाल रहा है।'

अब मीडिया से कोई पूछे कि आपने ये झूठी खबर क्यों छापी है? इस पर कहते हैं कि हमारे को जैसा किसी ने बताया हमने वैसा छाप दिया। चलो कुछ समय के लिए इनकी ही बात मान कर चलते हैं कि किसी ने इनको झूठी खबर दे दी होगी जो छाप दी। लेकिन क्या चित्र भी बताने वाले ने ही दिए हैं? यदि हां, तो फिर कौन है वो सख्स, उसको मीडिया सामने लाए और यदि नहीं तो फिर क्या है मीडिया ? क्या है इतनी हिम्मत मीडिया में? क्या इतना दम है मीडिया में कि दोषी को सामने लाए और सिद्ध करे कि इसे कहते हैं मीडिया। लेकिन नहीं, लाख छिपाने पर भी कायर अपनी कायरता दिखा कर ही रहता है, लाख कोशिशें करने पर भी गद्दार कभी देशभक्त नहीं कहलवा सकता है। ठीक इसी प्रकार कुछ मीडिया वाले अपने कर्तव्य से विमुख होकर सच्चाई को सामने न ला कर कायरता का परिचय दे रहे हैं जो एक कलंक है।

इस तरह की झलक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है। जब पुलिस प्रशासन ऐसी अफवाहों को स्वयं ही नकार रहा था तो मीडिया ने बेवजह ऐसी अफवाहों को हवा देने की क्या जरूरत थी और फिर स्वयं ही यह सब छापना कि 'एसपी ने फिर कहा, नहीं मिला सोना, 'नहीं मिला धन, सोना व शराब : एसपी'। मीडिया ने तो ऐसा कार्य कर दिया जैसे कि दैनिक समाचार पत्र 'क' वाले पत्रकार को सूचना दे कि दैनिक समाचार पत्र 'ख' के अमूक पत्रकार की माता

की मृत्यु हो गई। समाचार पत्र 'क' ने समाचार छाप दिया कि समाचार पत्र 'ख' के पत्रकार के नाती देश-विदेश से अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ कर शोक व्यक्त करने के लिए घर पहुंच गए। लाखों रूपए की हानि हुई। क्या समाचार पत्रकार वाले का कर्त्तव्य नहीं बनता कि वह उससे पूछे कि क्या आपकी माता जी की मृत्यु हुई है या नहीं ? फिर कुछ दिन बाद कहे कि उसकी माता जी की मृत्यु नहीं हुई। क्या बाद में छपी खबर से लाखों की हानि पूरी हो जाएगी। क्या मीडिया का यही फर्ज है कि बच्चों की तरह मिट्टी का घर स्वयं बनाओ और फिर स्वयं तोड़ दो? क्या एक लोकतंत्र देश के चौथे स्तम्भ मीडिया जो देश की नींव है का यही फर्ज है ? कृप्या अवश्य विचार कीजिए।

मिथ्या आरोप :- आश्रम में विदेशी शराब, सैक्स बढ़ाने वाले कैप्सूल आदि आपत्तिजनक सामग्री मिली।

झूठ छपा : 'सैक्स बढ़ाने वाले कैप्सूल मिले' - 'दैनिक भास्कर' 16 जुलाई 2006 में। 'विदेशी शराब, फोटो सहित' - 'दैनिक जागरण 18 जुलाई 2006 में।

सच्च छपा : 'न भूमिगत कमरे, न आपत्तिजनक सामग्री' - 'हरिभूमि' 19 जुलाई 2006 में।

टिप्पणी : यह झूठी खबर भी कुछ समाचार पत्रों के पत्रकारों ने अपने बुरे स्वभाव के क्रम को जारी रखते हुए छापने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन यह खबर भी बिना तथ्यों के प्रकाशित की गई जो बाद में अपने आप ही झूठ सिद्ध हो गई। ज्वर, खांसी, जुकाम आदि के कैप्सूल घर में रखे होते हैं ऐसे ही कैप्सूलों को सैक्स बढ़ाने वाला बताया है।

सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर लाखों श्रद्धालु सतमार्ग पर चलते हुए अपना आत्म कल्याण करवा रहे हैं। जिनमें लाखों की संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नाम उपदेश लेने के बाद बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना तो दूर रहा बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी नहीं करते हैं। जैसे आप सतगुरु रामपाल जी महाराज के किसी भी अनुयायी के घर अतिथि बन कर जाओगे और आप बीड़ी/सिगरेट, शराब, मांस, अण्डा आदि लाने के लिए कहोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं जी, हमारे गुरुदेव जी ने ऐसा करने के लिए मना कर रखा है कि न तो बुराई करनी और न ही बुराई में सहयोग देना है। सिगरेट पीने के लिए यदि माचिस भी आप मांगोगे तो भी आपको माचिस नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसा करने से हमारा नाम टूट जाएगा और फिर हम भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए कृप्या हमें माफ करना। यह उन्हीं नियमों में से एक नियम है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज नाम उपदेश लेने वाले हर भक्त को बताते हैं और पालन करने का वायदा करवाते हैं। जिनका गवाह एक नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं बल्कि लाखों शिष्य हैं। अब जो भगवान हजारों व्यक्तियों की शराब छुड़वाए और वे भगवान क्या विदेशी शराब के शौकीन हो सकते हैं? वैसे

भी मीडिया व प्रशासन ने स्वयं भी सिद्ध कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं मिला।

अब यदि सैक्स बढ़ाने वाले कैप्सूल मिले होते तो क्या पुलिस या कोर्ट को नहीं मिलते? वैसे भी मीडिया ने स्वयं यह भी सिद्ध कर दिया कि ऐसी आपत्तिजनक सामग्री कुछ नहीं मिली। अब आप स्वयं विचार करें। हाँ, यदि मीडिया चाहे तो सच्चाई को खोज कर जनता के समक्ष रख सकता है, इतनी मीडिया में ताकत है यदि ताकत का सदुपयोग करे तो।

मिथ्या आरोप :- ये संत है चार सौ कैंटर का मालिक।

झूठ छपा : 'नया खुलासा : पूना में है ट्रांसपोर्ट का कारोबार' - 'दैनिक भास्कर' 17 जुलाई 2006 में

टिप्पणी : यह खबर भी बिल्कुल गलत व झूठी है। संत रामपाल जी महाराज का ट्रांसपोर्ट तो क्या किसी भी प्रकार का कोई कारोबार नहीं है। जिसकी जांच पुलिस प्रशासन ने भी अच्छी तरह कर ली है और आगे भी कभी भी कर सकती है। लेकिन कम से कम बिना जांच किए ही ऐसी निराधार खबर तो नहीं छापनी चाहिए, इसमें चाहे प्रशासन हो या मीडिया यह सब उनके कर्तव्य के अनुरूप तो नहीं है और ऐसे जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

पूना में सतगुरु रामपाल जी महाराज का एक शिष्य है जिसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। अब यदि शिष्य की ट्रांसपोर्ट को ही संत जी की ट्रांसपोर्ट बोलते हैं फिर तो ऐसे भक्त भी हैं जिनकी एक छोटी सी दुकान ही थी और उस दुकान को ही शरारती तत्वों ने 11-12 जुलाई 2006 को आग लगा कर जला दी। अच्छा हुआ कि यह खबर नहीं आई कि जो दुकानें जली हैं हो सकता है उनमें संत जी का हिस्सा हो।

अब यदि अध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो लाखों भक्त अपना कोई न कोई कारोबार कर ही रहे हैं जो सारे सतगुरु देव जी के ही हैं। क्योंकि सभी भक्तों की यह हार्दिक भावना है कि यह सब छोटा-मोटा कारोबार मेरा नहीं है, सब सतगुरुदेव का ही है। भक्त तो यहां तक भाव रखते हैं कि कारोबार ही क्या यह शरीर ही गुरुदेव जी का दिया हुआ है।

मिथ्या आरोप :- संत जी को रईसी का नशा खूब छाया।

झूठ छपा : 'दैनिक भास्कर' 16 जुलाई 2006 में।

सच्च छपा : 'कर्ज में डूबे हैं रामपाल' - 'हरिभूमि' 19 जुलाई 2006 में।

टिप्पणी : यह बात भी बिल्कुल झूठी है कि संत जी एक रईसी के नशे में डूबे हुए थे क्योंकि एक तरफ रईसी तो दूसरी तरफ कर्जवान होना यह सब आपस में मेल नहीं खाता। क्योंकि रईसी के लिए संत रामपाल जी महाराज के बैंकों के खाते पुलिस प्रशासन ने चैक कर लिए हैं जिनमें लगभग पौने दो लाख रूपए की नकदी मिली है। इसके इलावा न तो कोई कारोबार मिला और न ही कोई कुबेर का खजाना।

हाँ, यह बात सही है कि बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट करौंथा पर लगभग तीस लाख का कर्ज है। यदि इसकी सूची चाहिए तो ट्रस्ट के पास आ कर ले सकते हो और लेनदारों से मिलवा भी सकते हैं।

मिथ्या आरोप :- तार मुंबई ब्लास्ट से तो नहीं जुड़े !

झूठ छपा : 'दैनिक भास्कर' 20 जुलाई 2006 में।

यह मन घड़ंत कहावत भी काफी लम्बे अर्से से चली आ रही थी कि 'सतलोक आश्रम के तार सी.आई.ए. और आई.एस.आई. से जुड़े हैं। सतलोक आश्रम की सी.बी.आई जांच हो। यहां पर संदिग्ध व्यक्तियों का आना-जाना लगा रहता है आदि-आदि'। अब 20 जुलाई को भी समाचार पत्र के मुख्य पेज पर बड़े मोटे शीर्षक में छपा था कि 'तार मुंबई ब्लास्ट से तो नहीं जुड़े !'

यह सब मन घड़ंत व विवेकहीन सोच है। अब तो पुलिस प्रशासन ने भी और खुफिया विभागों ने भी अपनी पूरी जांच कर ली है। लेकिन यह सब बोगस निकला। झूठ के पैर नहीं होते हैं और सच्च कभी छिप नहीं सकती।

मिथ्या आरोप :- मरने वाले की अस्थियां मंगवाई जाती थी आश्रम में।

झूठ छपा : 'दैनिक जागरण' 21 जुलाई 2006 में।

यह आरोप भी निराधार व बिल्कुल झूठा है कि मरने वाले की अस्थियां आश्रम में मंगाई जाती थी अपितु यह तो सच है कि मरने के बाद अस्थियों को गंगा जी में बहाना आदि हमारे गुरुदेव जी मना करते हैं क्योंकि वहां पर भोले व्यक्तियों को ठगा जाता है कि मृतक की गति हो जाएगी। संत जी कहते हैं कि जीवात्मा अपने कर्माधार से जहां जाना है वहां चली जाती है। शरीर तो पांच तत्व का था वह लीन हो गया। अब उन अस्थियों को किसी भी नदी/नहर में कहीं भी डाल दें या शमशान पर ही पड़ी रहने दें।

मिथ्या आरोप :- बाप रे बाप ऐसा बाप।

झूठ छपा : 'दैनिक भास्कर' 19 जुलाई 2006 में।

यह खबर भी रस्सी का सांप बनाने वाली ही है। यह तो जरूर कहा कि मैं अपने गुरुदेव/पिता जी से एक पिता की हैसियत से नहीं मिल पाता था और न ही मैं ऐसा चाहता था। केवल एक शिष्य के नाते से ही मिलता था और वह भी वैसे ही मिल पाता था जैसे अन्य सभी शिष्य मिलते थे। क्योंकि महाराज जी अपने परिवार के सदस्यों व सभी शिष्यों के साथ समान व्यवहार करते हैं जिससे कि कोई भी भक्तात्मा यह महसूस न करे कि यह गुरु जी के परिवार का है इसलिए मेरे से जल्दी मिल लिया अर्थात् दर्शन कर लिए। क्योंकि पूर्ण संत जो होते हैं वो अपने शिष्यों के साथ समान व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आदि लतीफेदार बात मीडिया को अच्छी तरह बनानी

आती हैं यह तो आप सभी को पता लग ही चुका होगा। इससे ज्यादा और क्या बताएं आपको?

एक व्यक्ति चपड़ासी की नौकरी करता था। उसने अपने पुत्र को अच्छा पढ़ाया। वह लड़का उसी कार्यालय में बड़ा अधिकारी लग गया। कुछ दिन पिता पुत्र एक ही कार्यालय में साथ-२ रहे। तब वह पिता अपने पुत्र अधिकारी को नमस्कार करता था। उस चपड़ासी को अन्य साथी कहते थे कि तुम भी अपने बेटे को नमस्कार करते (सैल्यूट लगाते) हो तुझे शर्म नहीं आती। वह पुरुष कहता था यहां कार्यालय में मैं एक नौकर हूं, यह मेरा अधिकारी है। घर पर यह बेटा मेरी बहुत सेवा करता है। मैं अब भी इसको डण्डा लगा देता हूं। इसी प्रकार संत रामपाल जी एक धार्मिक गुरु हैं तथा संत जी के पिता जी वहां विद्यार्थी हैं। इस नाते से भी वे अन्य शिष्यों की तरह ही संत जी के सामने पेश आते थे। जहां तक पिता पुत्र का नाता है वह भी पवित्र है तथा गुरु शिष्य का नाता भी इतना ही मान्य है। एक समय एक सैनिक का बेटा कैप्टन बन गया। वह उसी रजिमेंट में पोस्टिंग हो गया। प्रैड के समय सैनिक का पिता अपने पुत्र कैप्टन को सैल्यूट लगाता था। एक बार दोनों इक्ठ्ठे चले तो पिता अपने पुत्र कैप्टन लड़का अपने पिता सैनिक का पूरा सामान स्वयं उठा कर लाया तथा अपने पिता को आदर के साथ खाली अपने साथ लेकर चला। इसी प्रकार संत तथा शिष्य का नाता जानें।

मिथ्या आरोप :- संत रामपाल जी महाराज आस-पास के लोगों की जमीन हथियाना चाहते थे।

टिप्पणी : अब बात रहती है जमीन हथियाने की झूठी चर्चा की। जैसे कि मीडिया ने झूठी खबर फैलाई की महाराज जी तो आस-पास के खेतों को हथियाना चाहते थे। यह भी बिल्कुल झूठी है। सतलोक आश्रम करौथा सन् 1999 से स्थापित है। सात साल में कितनी जमीन हथिया ली है यह आपके सामने है। क्या किसी की जमीन हथियाई है? क्या कोई प्रमाण है? यदि है तो जनता के सामने लाओ। आश्रम की लगभग चार-पांच एकड़ जमीन है जिसकी रजिस्ट्री की हुई है।

मिथ्या आरोप :- संत रामपाल जी व आश्रम के भक्तों पर दादागिरी व अय्याशी करने का आरोप।

टिप्पणी : पाठक जन कृप्या सोचें और विचार करें कि क्या मीडिया ने कभी सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज व उनके किसी भी अनुयायी का कोई साक्षात्कार लेकर छापा व दिखाया? नहीं छापा तो क्यों नहीं छापा? आज इस घटना को हुए कितने दिन हो चुके हैं कारण चाहे प्रशासन हो या मीडिया लेकिन इस तस्वीर से साफ होता है कि मीडिया ने भी सौतेली माँ का रोल करते हुए पक्षपात का प्रमाण दिया है। समाज इस पूरे घटनाक्रम को ध्यानपूर्वक देखे और सोचे। पुलिस ने आश्रम में जो तथाकथित आपत्तिजनक सामग्री मिली बताई उसे

हाथों हाथ मीडिया को क्यों नहीं दिखाया गया कि क्या मिला है, झूठी अफवाहें क्यों फैलाई गई? क्योंकि आश्रम में ऐसा कुछ था ही नहीं और आश्रम से मीडिया को दूर क्यों रखा गया? क्योंकि पुलिस व प्रशासन को डर था कि समाज तक यह सच्चाई न पहुंच जाए। आश्रम के भक्तों व संत रामपाल जी ने क्या दादागिरी व अय्याशी की? संत रामपाल जी और उनके लाखों श्रद्धालु भक्ति करते थे, और सद्ग्रंथों में छिपे गूढ रहस्य को उजागर करने के लिए प्रमाण सहित प्रचार किया जाता था। आश्रम में रोज हजारों दीन, दुःखी व्यक्तियों की सेवा आदि की जाती थी। हाँ, एक अद्भुत कार्य किया कि संत रामपाल जी के सत्ज्ञान प्रचार से जनता की आँखें खुलनी शुरू हो गईं और कथित धर्म के ठेकेदारों की दुकाने बंद होनी शुरू हो गईं जो उन्हें नागवार हुईं और संत रामपाल जी और सतलोक आश्रम के खिलाफ ये षड़यंत्र रचा गया। क्या हजारों व्यक्तियों की रोज सेवा करना ही अय्याशी होती है?

मिथ्या आरोप :- संत रामपाल जी खुद को कभी हनुमान का अवतार बताते थे तो कभी कबीर का, खुद को जगतगुरु और भगवान बताते थे।

टिप्पणी : संत रामपाल जी के सत्संग की सैकड़ों विडियो सीडी, ऑडियो कैसेट्स व ऑडियो सीडी बनी हुई हैं और भक्त समाज में वितरित हो चुकी हैं और पांच-छः पुस्तकें भी छपी हुई हैं वो भी भक्त समाज में वितरित हो चुकी हैं। कोई भी व्यक्ति महाराज जी के मुख से कहा हुआ कि मैं भगवान हूँ, मैं जगतगुरु हूँ, या मैं स्वयंभू हूँ या मैं कबीर साहेब का अवतार हूँ या मैं हनुमान का अवतार हूँ आदि प्रमाणित करें और समाज के सामने लाये तो जाने। महाराज जी अपने आपको जगतगुरु, मैं भगवान हूँ आदि न बताकर अपने को कबीर साहेब का कुत्ता बताने का तो अनेकों जगह प्रमाण है लेकिन जैसे आरोप लगाये गये हैं ऐसा प्रमाण तो एक भी जगह नहीं मिलता। जगतगुरु का जो प्रकरण है वह महाराज जी स्वयं नहीं लिखते अपितु उनके शिष्य/अनुयायी अपने गुरुदेव के ज्ञान को देखते हुए जगतगुरु कहते हैं और कहते रहेंगे। वे इन्हें स्वयं कबीर साहेब आया हुआ मानते हैं और मानते रहेंगे जो अध्यात्मिकता के मार्ग में न्याय संगत है। क्योंकि कबीर साहेब कहते हैं कि :-

कबीर, गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काकै लागूं पाय।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविन्द दिया मिलाय।।

मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूप।

कबीर, गुरु गोविन्द कर जानियो, रहियो शब्द समाय।

मिले तो दण्डवत् बन्दगी, नहीं तो पल-पल ध्यान लगाय।।

अर्थात् यदि भगवान व गुरु दोनों साथ खड़े हों तो पहले प्रणाम गुरुदेव को करना है बाद में भगवान को प्रणाम करना है। यह बात स्वयं भगवान कहते हैं न कि कोई गुरु अपने पास से।

मिथ्या आरोप :- संत रामपाल जी हिन्दु देवी-देवताओं का अपमान करते व वेद, गीता, रामायण को झूठ बताते थे।

टिप्पणी : संत रामपाल जी की अनेकों किताबें व लगभग 250 से भी अधिक सत्संग की वीडियो सीडी समाज में वितरित हो चुकी हैं। उनमें से किसी में भी हमें लाकर दिखाओ कहीं भी उन्होंने अपने आपको जगतगुरु कहा हो या हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया हो या वेद, गीता, रामायण आदि को झूठ बताया हो। वे तो सभी संतों व पंथों की पुस्तकों की तुलना तक इन्हीं सद्ग्रन्थों को आधार बनाकर करते हैं। यह निर्णय करने के लिए कि भगत समाज सभी संतों के प्रवचन व किताबें अपने पवित्र उपरोक्त सद्ग्रन्थों से तुलना करके देखें जिसमें संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों व वीडियो सीडी, ऑडियो कैसेट्स भी अवश्य तुलना करके देखें फिर आपको पता लगेगा कि क्या सच है और क्या झूठ? यदि संत रामपाल जी गीता व अन्य सद्ग्रन्थों को झूठ बताते तो इन्हीं सद्ग्रन्थों पर आधारित उनकी पुस्तकें "गहरी नजर गीता में" तथा "परमेश्वर का सार संदेश" आदि समाज में वितरित नहीं होती। संत रामपाल जी ने अपने आपको "मैं भगवान हूँ" कहाँ पर कहा है? प्रमाण दें।

पूर्ण संत ही निर्भय वर्णन कर सकता है तथा झूठों को झूठा कह सकता है जो कटु सत्य होती है। लेकिन सतमार्ग पर चलने वाले किसी की परवाह नहीं किया करते वे अपनी सच्चाई कहते रहे हैं। समाज को सही दिशा देने वाले संत से केवल वे व्यक्ति दुःखी होते हैं जिनकी पोल खुल जाती है, वे ही जनता को गुमराह करके मरने व मारने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वास्तविकता से ध्यान हट जाए तथा सत्य प्रचार बंद हो जाए। इस बारे में स्वयं पूर्णब्रह्म कबीर साहेब जी कहते हैं कि -

कबीर, साच कहूं तो जग मार ही, पर झूठ कही न जाई हो।

सांच न पूरा पावतै, झूठे जग पतियाई हो।।

मिथ्या आरोप :- बलात्कार हुई औरतों को दूध में स्नान करवाकर शुद्ध किया जाता था।

टिप्पणी - कहां है वे बेहुदी औरतें ? एक को तो लाओ सामने। यह आश्रम तथा संत को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए थे। परंतु सांच को आंच नहीं होती। यदि सोने पर कीचड़ डाल दिया जाए तो उसकी कीमत नहीं घटती। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं तथा सतलोक आश्रम में जाने वाले श्रद्धालु आज भी अडिग हैं और रहेंगे।

मिथ्या आरोप :- संत रामपाल जी ने भोले-भाले ग्रामिणों को धर्म के नाम पर गुमराह किया और भक्ति के नाम पर पाखंड किया।

टिप्पणी : सच्चाई तो आश्रम के लगभग साढे सात लाख अनुयायी बताएंगे कि आश्रम में नामदान से पहले अन्य उपासना (इन नकली धर्म गुरुओं की बताई हुई) जब वे करते थे तो कितने दुखी थे और अब उनकी क्या हालत है? कोई भी मरणासन्न व्यक्ति जिसको ज्योतिषियों व डाक्टरों ने निश्चित मृत्यु बताई हो ये अन्य धर्मगुरु बचाकर दिखा दें और उन्होंने जब संत रामपाल जी से नामदान लिया तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं। संत रामपाल जी ने भक्ति के नाम पर क्या पाखंड किया जरा समाज को भी बताएं। इस बात की शिकायत संत रामपाल जी के साढे सात लाख अनुयायी जो शिक्षित, सभ्य और अच्छे परिवारों से हैं, उनमें से तो कोई नहीं कहता फिर बाहर के लोगों को आपत्ति क्यों है? आज के इस लोकतंत्रिक भारत देश में सभी को अपना धार्मिक मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है। लोगों की बुद्धि का विकास हो चुका है। उनकी भलाई किसमें है यह वे भली भांति समझते हैं। भेड़ चाल के दिन गये, ये नकली धर्मगुरु हमें हमारे शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं दे सकते फिर भी इन्होंने यथा सम्भव प्रयास किया। जरूरत है एक बार अपने शास्त्रों को दुबारा देखने की। यह निर्णय करने के लिए कि कौन संत है व कौन असंत है? उन्हें अपने सभी सद्ग्रंथों को साक्षी रखकर अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों व वीडियो सीडी, ओडियो कैसेट्स से तुलना करके देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन संत है और कौन असंत है। फिर सच्चे संतों के साथ ऐसा घटित होना जैसा कि संत रामपाल जी के साथ हुआ, आम बात है। भारत का अतीत बताता है, चाहे वे कबीर साहेब हो जिनके अवतरित होने के दिन से सशरीर सतलोक प्रस्थान दिवस तक पाखण्डी गुरुओं व आचार्यों ने उनको चैन की नींद नहीं लेने दी, उनके द्वारा प्रदत्त सच्चाई को इन्हीं नकली धर्मगुरुओं ने समाज तक नहीं पहुंचने दिया। चाहे ईसा मसीह जी को देखो उस समय की भोली जनता ने उन्हें क्रस करवा दिया क्योंकि वे सच बोलते थे। हजरत मुहम्मद साहेब जी को देखो, लोग उनको जगह-जगह पर पत्थर मार-मार कर उस जगह से भगा देते थे क्योंकि वे सच बोलते थे। गुरु नानक साहेब को देखो संसार क्या से क्या कहता था लेकिन नानक जी ने संसार की एक न सुनते हुए अपने सतमार्ग को नहीं छोड़ा तो आज नानक जी को बड़े आदर के साथ याद किया जाता है। संत घीसा साहेब के जीवन पर नजर डालकर देखो घीसा साहेब को गांव से निकलवाने व मारने के लिए गांव के व्यक्ति गये कि यह संत तो कुछ ठीक-ठाक नहीं लगता, यहां पर रात्रि में सत्संग सुनने के लिए औरतें आती हैं आदि-आदि। संत गरीबदास जी महाराज (छुड़ानी वाले) के जीवन को देखो कि इस भोली जनता ने उनको न समझ कर क्या सलूक किया यहां तक कि उनको जेल में डलवा दिया, ऐसे ही झूठी अफवाहें फैलाकर, झूठे लांछन लगाकर कि संत तो औरतों से पैर दबवाता है, जबकि यह नहीं बताते कि वे स्त्री व पुरुषों दोनों से पैर छुवाते हैं। वह रात्रि में सत्संग करता है आदि-आदि तरह-तरह की अफवाहें फैला दी और

उनको भी जेल में बंद करवा दिया। ठीक इसी तरह पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की लीलाएं उठाकर देखो तो आपका कलेजा ही फट जायेगा। उनके द्वारा प्रदत्त सत्ज्ञान को काशी व पूरे भारत वर्ष में पाखण्डी गुरुओं, महन्तों व धर्म के ठेकेदारों ने कबीर साहेब की निन्दा करनी शुरू कर दी कि कबीर तो हिन्दूओं को मुसलमान व मुसलमानों को हिन्दू बनाना चाहता है। वह सभी हिन्दू देवी देवताओं व मुसलमान धर्म की निन्दा करता है। इस तरह की भ्रमणा फैलाकर दिल्ली के बादशाह सिकन्दर लोधी को उसके धार्मिक पीर शेखतकी ने बहकाना शुरू कर दिया कि राजा जी यह कबीर आपके राज को चौपट कर देगा क्योंकि वह मुसलमान धर्म की निन्दा करता है। क्या निन्दा करता है यह कोई नहीं बताता। राजा ने शेखतकी से डरकर कि कहीं यह शेखतकी मुसलमानों को भड़का दे और मेरा राज चला जाये, यह सोचकर आदेश जारी कर दिया कि कबीर को पकड़कर लाओ। कबीर साहेब को पकड़कर लाने के बाद खूनी हाथी के आगे बांध-जूड़ कर डाल दिया। लेकिन कबीर साहेब का कुछ नहीं हुआ। ऐसे-ऐसे बहुत सारी यातनाएं दी जैसे कबीर साहेब को जेल में डालना, झरे कुएं में डालना, आठ पहर तक तोप के गोले बरसाना, गुण्डों द्वारा सोते हुए को तलवारों से छलनी करवाना, गाय को कटवाकर जीवित करवाने का हुक्म देना और यदि जीवित नहीं हो तो कबीर साहेब को ऐसे ही काटने का हुक्म देना आदि-आदि। लेकिन इन सबके चलते भी साहेब का बाल बांका नहीं हुआ तो कबीर साहेब की महिमा से परिचित होकर उनके 64 लाख शिष्य होना और फिर उनके द्वारा ली गई एक परीक्षा में सर्व अनुयाईयों का असफल होना आदि लीलाएं कबीर साहेब ने की। परीक्षा लेना इसलिए अनिवार्य समझा कि कबीर साहेब ने सोचा कि 64 लाख शिष्य हो गये इनमें सब देखा देखी शिष्य बने हुए हैं या वास्तव में ज्ञान समझकर मुक्ति के लिए बने हुए हैं। तो इस तरह की परीक्षाएं परमात्मा लेते रहते हैं कि वास्तव में कितने भक्त खरे हैं कितने खोटे। सो उसी का प्रमाण आज करौंथा वाले संत रामपाल जी महाराज के बारे में देख लो। लेकिन इस रहस्य युक्त लीला को सबसे अच्छी तरह लाल को जौहरी ही समझ सकता है, आम आदमी तो लाल को एक पुराना कंचा आदि जानकर ठोकर मार देता है। सो वही अब हो रहा है। देखते हैं कि इस परीक्षा के द्वारा कितने जौहरी लाल को परख पाते हैं?

संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिनके तत्व ज्ञान का लौहा पूरा विश्व मानेगा। इसकी भविष्यवाणी चार सौ वर्ष पूर्व हो चुकी है।

एक नैसत्रे दमस नामक भविष्य वक्ता था। जिसकी सर्व भविष्य वाणियां सत्य हो रही हैं जो लगभग चार सौ वर्ष पूर्व लिखी व बोली गई थी। उसने कहा है कि सन् 2006 में एक हिन्दू संत प्रकट होगा अर्थात् संसार में उसकी चर्चा होगी। वह संत न तो मुसलमान होगा, न वह इसाई होगा वह केवल हिन्दू ही होगा। उस द्वारा बताया गया भक्ति मार्ग सर्व से भिन्न तथा तथ्यों पर आधारित होगा। उसको ज्ञान

में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सन् 2006 में उस संत की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। (संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितम्बर सन् 1951 को हुआ। जुलाई सन् 2006 में संत जी की आयु ठीक 55 वर्ष बनती है जो भविष्यवाणी अनुसार सही है।) उस हिन्दू संत द्वारा बताए गए ज्ञान को पूरा संसार स्वीकार करेगा। उस हिन्दू संत की अध्यक्षता में सर्व संसार में भारत वर्ष का शासन होगा तथा उस संत की आज्ञा से सर्व कार्य होंगे। उसकी महिमा आसमानों से ऊपर होंगी। नैसत्रे दमस द्वारा बताया सांकेतिक संत रामपाल जी महाराज हैं जो अब सन् 2006 में विख्यात हुए हैं। भले ही अनजानों ने बुराई करके प्रसिद्ध किया है परंतु संत में कोई दोष नहीं है।



षडयंत्र

संत रामपाल जी महाराज से रिमाण्ड के दौरान एस. पी. रोहतक ने कहा कि तुमने छुड़ानी आश्रम के भगतों को पिटवाया। तुमने कानून को हाथ में क्यों लिया ? संत रामपाल जी ने बताया कि एक बहन व उसका परिवार उन आश्रम वालों के कहने पर वहां बातचीत करने गए थे, उनकी वहां पर कहा-सुनी हो गई, बहन के साथ उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। उस बहन की एफ.आई.आर. भी नहीं दर्ज की। एस.पी. झज्जर ने कहा कि किसी के घर पर जा कर मार-पीट करोगे तो वह गोली भी मार सकता है। उससे कोई मर जाए तो भी वह दोषी नहीं है। क्या यह बात एस.पी. झज्जर की न्याय संगत है ? तब एस.पी. रोहतक ने कहा कि एस. पी. झज्जर ने ठीक कहा। यदि कोई किसी के घर पर जाकर मार-पीट करता है तो घर वाला गोली मार दे। उससे हुई मृत्यु के लिए वह दोषी नहीं है।

संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि फिर हम आश्रम वालों को किस लिए गिरफ्तार किया है। जबकि आक्रमणकारियों ने आश्रम पर हमला बोला। पुलिस तथा आक्रमणकारियों के बीच संघर्ष में कुछ लोग घायल हुए तथा एक की मृत्यु हुई थी। जब आक्रमणकारी पुलिस से काबू नहीं आए थे। आश्रम वालों ने हवाई फायर किए थे। संत रामपाल जी ने एस.पी. रोहतक से कहा कि हमें किस लिए दोषी बना दिया गया। एस.पी. रोहतक निरुत्तर हो गए क्योंकि उनके ऊपर सरकार का दबाव था। एस.पी. रोहतक से संत रामपाल जी महाराज ने प्रश्न किया कि यदि आपके ऑफिस पर कोई आक्रमण करे तो आप क्या करोगे ? एस.पी. रोहतक हंसने लगे। क्योंकि वास्तविकता से दूर भागना उनकी मजबूरी थी। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि हमारे आश्रम को चारों ओर से घेर लिया था, हम तो भागने भी नहीं मिले। यदि भाग कर जान बचा लेते वह भी रास्ते बंद कर रखे थे और आप वहीं खड़े सर्व दृश्य देखते रहे।

उपरोक्त जानकारी उन भगतों ने दी है जो महाराज जी के साथ गिरफ्तार किए गए थे जो अब जमानत पर छूटे हैं।

जैसा कि उपरोक्त जानकारी के बाद आपको ज्ञात हुआ कि पुलिस प्रशासन ही असामाजिक तत्वों से मिल कर इस षडयंत्र में सहयोग दे रहा है और एक बड़ी साजिश के तहत इस विनाशकारी कार्य में हरियाणा की बड़ी-बड़ी हस्तियां, महन्तां, आचार्यों व संतों का हाथ है। जबकि इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक से लेकर सी.एम. तक को थी कि वहां इतनी खतरनाक स्थिति है कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है लेकिन समय रहते किसी ने भी कार्यवाही नहीं की।

7 जुलाई 2006 को लगभग दोपहर बारह बजे बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का एक शिष्टमण्डल सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा से मिला और हमारे साथ हो रहे अन्याय के बारे विस्तृत जानकारी दी तथा न्याय की गुहार लगाई। इस पर सांसद जी ने हमें न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। लेकिन हमारे को न्याय दिलवाने की बजाय उल्टा हमारे सतलोक आश्रम करौथा से आश्रम के तीन श्रद्धालुओं को झज्जर पुलिस

द्वारा उठवा दिया जिसमें कि एक नाबालिग सेवक भी था। यह उनका हमारे को न्याय दिलवाने का पहला कदम था।

इसी के चलते 10 जुलाई 2006 को हमारी ट्रस्ट का एक प्रतिनिधि मण्डल सांसद के पिता जी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से मिलने चण्डीगढ़ पहुंचा तो मुख्यमंत्री साहब ने अपने सलाहकार प्रो. विरेन्द्र सिंह से मिलने के लिए कहा। फिर श्री विरेन्द्र सिंह से मिले और बताया कि हम करौंथा से आए हैं। हमें करौंथा गांव वाले समझ कर झटाका से विरेन्द्र सिंह जी बोले कि उस पाखण्डी संत रामपाल जी को तो मैं वहां से निकाल कर ही दम लूंगा। तुम चिंता मत करो, दो-तीन दिन में ही मैं उस आश्रम को खाली करवा दूंगा और उस संत को जेल में डाल दूंगा। इतना कहने के बाद हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने बताया कि हम तो करौंथा आश्रम वाले हैं तो फिर कहा कि अच्छा तो आप करौंथा आश्रम वाले हैं। फिर कुछ जवाब न आने पर बहाना बनाते हुए कहा कि वहां पर अनैतिक कार्य होते हैं, यह होता है, वो होता है अर्थात् बेतुकी बात कहने लगे। इससे सिद्ध होता है कि इस करौंथा काण्ड करवाने में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा का खुले तौर पर सीधा हाथ है क्योंकि ये आर्य समाजी हैं, दूसरा कारण इनका क्षेत्र होने के कारण वोट बैंक भी है।

तीसरा प्रमाण यह है कि इसी दौरान डी.एस.पी.(आई.बी.) का एक नजदीकी जानकार हमारे आश्रम में उपस्थित था। उसको डी.एस.पी.(आई.बी.) ने बताया कि सरकार ने आपके आश्रम को खाली करवाने का आदेश दे दिया है। 9 से 11 जुलाई 2006 तक आपका सत्संग चलेगा और 12 जुलाई 2006 को हर हालत में आपके आश्रम को खाली करवाया जाएगा। इसलिए आप अपना जाम खोलकर अन्दर बैठ जाओ और कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे कि सरकार को कोई कार्यवाही करने का मौका मिले। हम इन परिस्थितियों से अवगत होकर अपना जाम खोलकर अन्दर बैठ गए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे सरकार को कोई कार्यवाही करने का मौका मिले। लेकिन इन सबके बावजूद वही हुआ जो पहले से ही नियोजित था अर्थात् 12 जुलाई 2006 को आश्रम जबरन खाली करवाया और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज व उनके लगभग चालीस श्रद्धालुओं को गिरफ्तार कर प्रजातंत्र का मजाक बनाते हुए एक इतिहास रच दिया कि किसी के घर पर हमला करो, घर वालों को ही जेल में डालो और हमलावरों को ईनाम में धनराशि बांटो। ऐसी घटनाओं से तो समाज में अशांति व अराजकता का गलत संदेश जाता है कि जैसे बैंकों, सरकारी दफ्तरों व अन्य फौकट्टियों आदि को लूटो और बैंकों आदि के मालिकों व कर्मचारियों को जेल में डालो और लूटेरे हरियाणा सरकार से ईनाम पाओ।

इन सभी पहलुओं पर नजर डालकर देखा जाये तो यह प्रतीत होता है कि यह एक धार्मिक रजिस्टर्ड संस्था बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट (रजि. 3955) की व संत रामपाल जी महाराज की ख्याति को धूमिल करने के कुंठित प्रयास के तहत एक बहुत बड़ा षडयंत्र रचा गया।

बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट व इससे जुड़े लाखों श्रद्धालु सच्चाई को दबाने के लिए ईर्ष्यावश रचे गए इस गंभीर षडयंत्र की घोर निन्दा करते हैं तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करवाने तथा करौंथा काण्ड की सी.बी.आई. से जांच करवाने का संकल्प करते हैं। अभी हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जितने भी आरोप संत रामपाल जी महाराज व सतलोक आश्रम पर लगाये गये हैं वे सब झूठे हैं। अभी हमारे सामने इतनी विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं कि पूरी सच्चाई को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में अभी समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें प्रमाण सहित समाज के सामने लाया जायेगा। क्योंकि सौ दिन बुराई के होते हैं तो एक दिन सच्चाई का भी होता है। इस सच्चाई को तो एक दिन सामने आना ही है, देखना यह है कि आज का शिक्षित, विवेकी और सही गलत की समझ रखने वाला सभ्य समाज इसे कितनी जल्दी समझ पाता है।

संत रामपाल जी महाराज पर प्रशासन ने झूठे केस बनाए हैं क्योंकि मिथ्या आरोपों के आधार पर प्रशासन को संत जी को फंसाने का मुद्दा नहीं मिला।

1. आश्रम की जमीन की रजिस्ट्री का 420 का मुकदमा :- वास्तविकता तो यह है कि जमीन वाले ने अपनी बहन के स्थान पर अपनी बुआ जी का अँगूठा व फोटो लगा दिया तथा उनके नम्बरदार ने सनाखत कर दी तो जमीन प्राप्त करने वालों को क्या पता कि यह कौन है? संत रामपाल जी के न तो कहीं हस्ताक्षर हैं तथा न कहीं नाम है। फिर भी संत रामपाल जी पर 420 का मुकदमा बना दिया। जमीन सन् 1999 में बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दान की गई थी। उसका इंतकाल भी हो चुका है।

2. छुड़ानी आश्रम में मारपीट में भी संत रामपाल जी व गन मैन बिजेन्द्र जी का नाम जोड़ दिया। जबकि उन दिनों संत रामपाल जी महाराज व गनमैन बिजेन्द्र जी व अन्य सेवकों सहित पूना सत्संग करने गए हुए थे। पूना के समाचार पत्रों में भी सत्संग की सूचना प्रकाशित हुई है तथा वहां सत्संग की सी.डी. भी बनी है। हाई कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज व अंगरक्षक बिजेन्द्र जी का नाम केस से निकालने के लिए प्रार्थना की है। माननीय हाई कोर्ट ने झज्जर पुलिस को लिखा है कि दोबारा जांच करें तथा सच्चाई बताएं।

3. संविधान की धारा 302 का मुकदमा संत रामपाल जी व अन्य अनुयाईयों पर बना दिया जबकि कानून को हाथ में लेकर आश्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं तथा संत रामपाल जी को मारने आए। वो न जाने किसकी गोलियों का शिकार हुए हैं क्योंकि आक्रमणकारी भी गोलियां चला रहे थे तथा पथराव कर रहे थे तथा पुलिस ने भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए फायरिंग की थी।

विचार करें कि मुदई द्वारा एफ.आई.आर. में संत रामपाल जी द्वारा गोलियां चलने का वर्णन नहीं है। लिखा है कि रामपाल महाराज के कहने से गोलियां चलाईं। बाद में प्रशासन ने गवाह द्वारा झूठे ब्यान दर्ज करवा लिए कि रामपाल

महाराज ने भी गोलियां चलाई। जब दो सरकारी गनमैन संत रामपाल जी के पास थे तो उन्हें बन्दूक उठाने की क्या आवश्यकता थी ? यह सब आश्रम के श्रद्धालुओं तथा रामपाल महाराज को समाप्त करने तथा सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान का पर्दाफाश होने से रोकने का षडयंत्र मात्र था। जब वे आक्रमणकारी संत रामपाल व श्रद्धालुओं को मारने में सफल नहीं हुए तो प्रशासन से मिलकर झूठे मुकदमे बनवा दिए। जबकि सच्च कभी नहीं मिट सकता। अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। निष्पक्ष और बुद्धिमान लोग आर्य समाज व प्रशासन के कुकर्त्तव्य को जान चुके हैं।

कृपया पाठक जन आगे और सच्चाई को जानने के लिए एक सज्जन पुरुष के विचार 'असली लूटेरे कौन' नामक पुस्तक से साभार।

पुस्तक : असली लूटेरे कौन।

(दूसरा संस्करण नवम्बर - 2006)

लेखक : हवासिंह सांगवान

पूर्व कमांडेन्ट सी.आर.पी.एफ.

मुद्रक : आचार्य प्रिंटिंग प्रैस

दयानन्द मठ, गोहाना रोड़, रोहतक -124001

फोन : 01262-276874, 277874

(‘असली लूटेरे कौन ?’ पुस्तक के पृष्ठ 87 से 93 तक का ज्यों का त्यों लेख)

शंकराचार्य ने नौवीं शदी के प्रारंभ में बौद्ध धर्म का विनाश करके हिन्दू (ब्राह्मण) धर्म की पुनः स्थापना की थी और भारत के चारों कोनों में हिन्दूओं की चार पीठ स्थापित की। यह हिन्दू धर्म की पुनः स्थापना पुरी तरह ब्राह्मणवाद पर ही आधारित थी। लेकिन कुछ सुधारों के साथ जब इन पीठों ने शंकराचार्य मनोनीत करने की बात आई तो उन्होंने चारों शंकराचार्यों का चुनाव दक्षिण भारत के ब्राह्मणों से किया, उनमें से दक्षिण की रामेश्वर पीठ में मध्य भारत से मंडन मिश्र उर्फ सुरेशाचार्य को बैठाया बाकी सभी सद्दूर दक्षिण भारत से थे। उत्तर में बदरिकाश्रम की पीठ का शंकराचार्य तोटकाचार्य केरल के नमुदरीपाद ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने उत्तरी भारत से अर्थात् ब्राह्मणों की पीठ काशी (काशी प्राचीन में बौद्ध धर्मियों का शहर था) से किसी भी ब्राह्मण को इस योग्य नहीं समझा क्योंकि वे उन्हें भ्रष्टाचारी समझते थे। वैसे पं. शंकराचार्य जी ने धर्म के साथ-साथ अर्थशास्त्र को भी नहीं भुलाया क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में पैदा होने वाले नारियल को देवी-देवताओं की उपासना में भेंट की प्रथा चलाई ताकि दक्षिण के लोगों को आर्थिक तौर पर फायदा हो सके। इन्होंने ही सबसे पहले गंगा के किनारे गंगोत्री मंदिर बनवाया और गंगा नदी को हिन्दुओं की पवित्र नदी घोषित किया, जिसमें डुबकी लगाने से सब पापों का अन्त होने लगा और आज इसी गंगा नदी के किनारे गंगोत्री मंदिर बनवाया और गंगा नदी को हिन्दुओं की पवित्र नदी घोषित किया, जिसमें डुबकी लगाने से सब पापों का अन्त होने लगा और आज इसी गंगा नदी के किनारे गंगोत्री से लेकर फराक्काबांध तक (बंगाल) भारत वर्ष के अधिक

निर्धन लोग रहते हैं जिनके पाप तो धूल गये लेकिन गरीबी नहीं धूल पाई। जब शंकराचार्य महाराज 32 वर्ष की अवस्था में ईश्वर को प्यारे हो गये तो उनकी मृत्यु के पश्चात् इस नवीन ब्राह्मण धर्म में फिर से भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई और यह धर्म फिर से अंधविश्वासों और कुरीतियों में फंसता चला गया। इस ब्राह्मणवादी धर्म की चपेट में राजपूत आदि कुछ जातियां पूरी तरह आगईं लेकिन जाटों के संस्कार हिन्दू प्रतीत होते हुए भी प्रछन्न बौद्धधर्मी थे, जिसमें कुछ संस्कार आज भी जाट चरित्र में स्पष्ट दिखते हैं। जाट व कुछ अन्य सहयोगी जातियों के चरित्र में जो आदर्शता प्रतीत होती है व सभी की सभी प्राचीन बौद्ध धर्म की देन हैं डॉ. धर्मकीर्ति ने अपनी एक शोध पुस्तक "जाट जाति प्रछन्न बौद्ध है" लिख कर इसे ऐतिहासिक धरा पर सिद्ध कर दिया है।

जब यह ब्राह्मण धर्म फिर से अपने पतन की तरफ लोट रहा था उसी समय 19वीं सदी में स्वामी दयानन्द जी प्रकट हो गये। जब उन्होंने सन् 1875 में बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की तो 96 सभासदों में से 39 ब्राह्मण, 24 अरोड़ा व खत्री, 13 गुजराती/मराठी बनिये तथा शेष 15 लोग वहाँ की स्थानीय जातियों से थे। स्वामी दयानन्द का उद्देश्य ब्राह्मण जाति में सुधार करना था जिसमें अनेक बुराइयां आ चुकी थीं। जबकि जाट जाति अपने बौद्धधर्मी संस्कारों के कारण इन बुराइयों से कोसों दूर थी, जैसे कि माँस-मिट्टी खाना, शराब पीना, अय्यासी करना व विधवा लड़कियों का पुनः विवाह न करना आदि-आदि। कहने का अर्थ है कि स्वामी दयानन्द का यह आर्यसमाज ब्राह्मणवाद के सुधार के लिए था न कि जाटों के सुधार के लिए। एक बार स्वामी जी जब रिवाड़ी में ठहरे थे तो उनसे कुछ जाट लोग मिलने गये तो उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि वे उनके यहाँ आकर प्रवचन करें इस पर स्वामी जी ने कहा था मैं आपको क्या प्रवचन करूँ, जाट लोग तो पहले से ही आर्यसमाजी हैं। लेकिन जाट इस उत्तर को गहराई से नहीं समझ पाये और अत्साहित होकर आर्यसमाज का झण्डा उठा लिया। जाट जाति बहुत ही ऊर्जावान जाति रही है। जाट का अर्थ ही एक जुट होना होता है अर्थात् बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करना। जाट तो एक शक्ति है, जाट बारुद के समान है। यदि इसी बारुद को कौने में डाल दिया जाये तो यह राख के समान प्रतीत होती है। वरना इसी बारुद से बड़े-बड़े पहाड़ तोड़कर सड़क और बांध बनाये जा सकते हैं और यदि बारुद गलत हाथों में (नेतृत्व) में पड़ जाये तो बड़े से बड़ा विध्वंस या सर्वनाश किया जा सकता है। इस ऊर्जावान जाति में हमेशा ऊर्जावान पुरुष और महापुरुष पैदा होते रहे हैं। आर्यसमाज का झण्डा भी इन्हीं ऊर्जावान जाटों ने उठा लिया। जबकि इस झण्डे से हम जाटों का किसी भी प्रकार को कोई सम्बन्ध नहीं था और न ही होना चाहिए था। लेकिन हमारे इन महान ऊर्जावान लोगों ने वैदिक धर्म व संस्कृत की पुनःस्थापना का अनचाहा ठेका ले लिया और जब जाट जाति को 'कॉनवैन्ट' स्कूलों (अंग्रेजी स्कूल) की परम आवश्यकता थी तो इन्होंने संस्कृत स्कूलों व गुरुकुलों की बाढ़ ला दी। जो कार्य ब्राह्मणवाद ने करना चाहिये था, वह कार्य हमने अपने हाथों में ले लिया। इस देश के चरित्र और वैदिक धर्म के हम ठेकेदार बन गये। जबकि इस ठेकेदारी से हमारा कोई भी लेना-देना

नहीं था।

दूसरी तरफ इसी सभा में जो 96 सदस्य थे उनकी संतान स्वामी दयानन्द के नाम पर अंग्रेजी पढ़ती रही और बड़े-बड़े सरकारी पदों पर पहुंचते रहे, इसका जीवंत अदाहरण है महात्मा हंसराज (हिन्दू पंजाबी खत्री) निन्होंने 'दयानन्द आर्य वैदिक' (डी.ए.वी.) स्कूलों व कॉलेजों की बाढ़ ला दी और वहाँ स्वामी दयानन्द के नाम पर आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जाती रही, वह अलग बात है कि इन्हीं लोगों ने जैसे कि ज्ञानप्रकाश अरोड़ा (हिन्दू पंजाबी अरोड़ा) जैसा ने इन संस्थाओं को जी भरकर लूटा भी। इस लूट पर 'पंजाब केसरी' ने सन् 2003 में धारावाहिक लेख लिखे। मैं लगभग दो साल दयानन्द कॉलेज हिसार का छात्र रहा। जहाँ मैंने सुना था कि हर शुक्रवार को हॉस्टल के पास कहीं हवन होता था। कॉलेज में सप्ताह में शायद एक या दो बार आध्यात्मिक पीरियड (Divinity period) होता था, जिसके लिए ये भी प्रचारित किया जाता था कि जब तक कोई विद्यार्थी आध्यात्मिक सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर लेता तो वह फाईनल परीक्षा में नहीं बैठ सकता। लेकिन व्यवहार में मैंने कभी ऐसा नहीं पाया और ना ही मैंने कभी हवन देखा, न आध्यात्मिक पीरियड और सर्टिफिकेट, लेकिन मैं अपनी क्लास में पास होता चला गया। मेरा कहने का अर्थ है कि जो लोग आर्यसमाज की स्थापना में सहायक थे उनका कोई भी बच्चा कभी गुरुकुल नहीं गया जबकि आज भी गुरुकुलों में 90 प्रतिशत जाटों के बच्चे हैं। जो काम हमारा नहीं था वह काम हमने अपने हाथों में लिया और वही आर्यसमाज साफ तौर पर लंगोट और चड्डी की संस्कृति में बंट गया। हमारे हाथ लंगोट आया और आज यही लंगोट इस चड्डी से बुरी तरह से पिछड़ रहा है। हमें कोई बतलाये कि गुरुकुलों में पढ़ने वाले कितने बच्चे सिविल सर्विसिज पास कर पाये ? इन गुरुकुलों की उपयोगिता केवल संस्कृत के मास्टर पैदा करने तक सीमित रही, ये कर्तव्य ब्राह्मणवाद का था हमारा नहीं। ये गुरुकुल गरीब तबके के जाट किसानों की लड़कियों को मास्टर बनाने तक ही सफल रहे, लेकिन जाट जाति एक के बाद एक निष्ठावान और कर्मठ आर्यसमाजी देती रही, फिर भी हमारे हाथ क्या आया? एक बार एक समय था कि कई अन्य जातियाँ भी अपने को राजपूत कहलाने में गर्व का अनुभव करती थी। इसी प्रकार यह भी एक फैशन बन गया था कि कोई भी जाट पुरुष विख्यात होने पर उसे आर्यसमाजी कहा जाने लगा। चौ. छोटूराम को भी लोगों ने आर्यसमाजी लिखा है, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने 1923 से ही मन से आर्यसमाजी विचार धारा को निकाल दिया था। इसी कारण वे कट्टर पंथियों को उनकी औकात बतलाने में सफल हुए और हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख और ईसाइयों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार इसी फैशन में जाट अपने घरों में स्वामी दयानन्द द्वारा लिखी पुस्तक 'सत्यार्थप्रकाश' की प्रतियां रखकर गौरव का अनुभव करने लगे। जबकि स्वामी दयानन्द की शिक्षायें कहीं भी व्यावहारिक, राष्ट्रवादी व आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं हैं। कुछ अदाहरण इस प्रकार हैं :-

(1.) 24 वर्ष की कन्या का विवाह 48 वर्ष के पुरुष से हो तो वह उत्तम विवाह है। (पृ. 54 स.प्र.) (यह साफ तौर गैर व्यावहारिक शिक्षा है - लेखक)

(2.) ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रीय वर्ण का क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का वैश्य और शूद्र वर्ण का शूद्र वर्ण के साथ विवाह करे। (पृ. 60 स.प्र.) यह स्पष्ट रूप से ब्राह्मणवादी विचारधारा है - लेखक

(3.) जच्चा अपने बच्चे को केवल 6 दिन तक दूध पिलाये, इसके बाद बच्चे को दूध दाई पिलाये जिसे उत्तम खाना दिया जाये। (पृ. 20 स.प्र.) स्वामी जी ने पूरे विज्ञान व मातृत्व को ही अमान्य कर दिया - लेखक।

(4.) आर्य वीर को भूरे नेत्रों वाली नारी से विवाह नहीं करना चाहिए आदि-आदि। (पृ. 53 स.प्र.) अर्थात् बेचारी भूरे नेत्रों वाली कन्यायें तो त्याग के योग्य हैं - लेखक।

(5) नीच, भंगी व चमार आदि का खाना न खाये। (पृ. 154 स.प्र.) - स्वामी जी का कहने का अर्थ यह निकलता है कि दलित समाज जाति के लोग तो होटलों/ढाबों में ही ना जायें - लेखक।

पूरा सत्यार्थ प्रकाश एवं दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थ ऐसी ही घृणित शिक्षाओं से अटे पड़े हैं। लिखा है शूद्रों का उपनयन न करें। उन्हें वेद न पढ़ायें, शूद्रों को जनेऊ पहनने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, चण्डालों को दूर बसाये, नीच जातियों से अनाज तक न लें आदि-आदि। इसी प्रकार इन्होंने कबीर व गुरुनानक जी आदि की बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गुरुनानक जी को तो मूर्ख तक लिखा है। रामदास को ढेढ कह कर लिखा और कबीर को तुम्बा बजाने वाला कहा अर्थात् सम्पूर्ण ब्राह्मणवाद के भूत को स्वामी जी ने एक नई बोटल में डालकर पेश कर दिया तथा इस भूत को जाटों पर छोड़ दिया और इस भूत ने जाटों को सौ वर्षों से भी अधिक समय से नचाये रखा है। लेकिन हम स्वामी जी के गुप्त एजेण्डे को अभी तक नहीं समझ पाये, उनका एजेण्डा था जाटों को सिक्ख व ईसाई धर्मी बनने से रोकना और हमेशा—हमेशा के लिए ब्राह्मणवाद का गुलाम रखकर हिन्दू जाट जाति को लुप्त कर देना। यह बात चाहे हमें कितनी भी अटपटी लगे लेकिन इसके अन्दर एक कटु सच्चाई छिपी है जिसे हमें कम से कम अब तो स्वीकार कर लेना चाहिए। सिक्ख धर्म उस समय फैलता हुआ पंजाब से अम्बाला की सीमाओं को पार कर गया था लेकिन स्वामी जी अपने उद्देश्य में सफल रहे और हम जाटों को सिक्ख नहीं बनने दिया। डॉ. धर्मकीर्ति अपनी शोध पुस्तक 'जाट जाति प्रछन्न बौद्ध है' में लिखते हैं कि "इसलिए परोक्ष रूप से सिक्ख धर्म पर बौद्ध महायान का प्रभाव पड़ा था। इस कारण सिक्ख धर्म अपनी प्रतिशीलता मार्ग पर चलता रहा। लगभग एक शताब्दी पूर्व महर्षि दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने सनातन धर्म की दकियानूसी विचारधारा और मूर्तिपूजा का खण्डन कर वर्ण-व्यवस्था और जाति की व्यापक और प्रतिशीलता के आधार पर व्याख्या की तो बची हुई जाट जाति आर्यसमाजी होगई।" यही विद्वान इस बारे में आगे लिखते हैं कि "आज के ब्राह्मणवाद ने इस महान जाति को आर्यसमाज का झुनझुना हाथ में पकड़ा दिया है, जिसे भोले-भाले जाट बजाते फिर रहे हैं और ब्राह्मणवाद के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं।"

जाट जाति में बहुत बड़ी तर्क शक्ति है और फिर जाट आर्यसमाजी हो तो सोने

पर सुहागा। इसलिए कहावतें चली कि '65वीं विद्या जाट विद्या है' दूसरी कहावत है 'अनपढ़ जाट पढ़े जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा'। सन् 1857 की क्रांति के पश्चात् दिल्ली के रजिडेंट पद पर मि. मैटकॉफ आये, जो ईसाई जाट थे। ('हरियाणा की लोक संस्कृति' नाम पुस्तक में भी डॉ. भारद्वाज मानते हैं कि मैटकॉफ तथा चार्ल्स इलियट जाट प्रतीत होते थे)। जब मैटकॉफ ने दिल्ली व उसके चारों ओर फैली अपनी जाट जाति का अध्ययन किया तो पाया कि उसकी जाति अशिक्षा और अन्धविश्वास में फंसे हुए बुरी तरह से ब्राह्मणवाद ने जकड़ी है। इस पर उसने जाटों का उद्धार करने के लिए इन्हें ईसाई बनाकर आधुनिक शिक्षा दिलाने की योजना बनाई। उन्होंने एक हिन्दी के जानकार पादरी डॉ. फिलेल को बुलाकर अपनी योजना समझायी तथा उसे कुछ दिन जाटों की भाषा व संस्कृति सीखने की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद डॉ. फिलेल ने अपना पहला प्रवचन एक जाट सभा बुलाकर इन शब्दों से आरंभ किया "जाट भाइयों आप ईसा-मसीह में विश्वास लायें वे खुदा के बेटे हैं, आपके सभी गुनाहों को माफ कर देंगे।" ये शब्द बोलते ही एक वृद्ध जाट खड़ा हो गया और पादरी को उसके शब्द फिर से दोहराने को कहा। जब पादरी ने उन्हीं शब्दों को दोहराया तो जाट ने पादरी से पूछा "खुदा मर गया या जिन्दा है?" इस पर पादरी ने कहा "खुदा जिन्दा है" तो वृद्ध जाट बोला "हमारे जाटों में तो यह रिवाज है कि जब तक बाप जिन्दा होता है तो बेटे की चौधर नहीं होती"। इसके उत्तर में पादरी को कुछ भी कहने के लिए नहीं सूझा तो वह सभा से चुपचाप चला गया। डॉ. धर्मचन्द्र विद्यालंकर तो लिखते हैं कि उस पादरी ने अपना ईसाई धर्म छोड़ दिया था। जिस प्रकार 'कश्मीरी ब्राह्मण सभा' की तर्क ने आज लगभग 600 वर्षों बाद कश्मीरी ब्राह्मणों को बेघर कर दिया, इसी प्रकार हमारे उस बूढ़े जाट ने हमारी आने वाली संतानों को आधुनिक शिक्षा से वंचित कर दिया और फिर से ब्राह्मणवाद के चुंगल में फंसा दिया।

इसी प्रकार पहले हमें दो बार सिक्ख धर्मी बनने का अवसर मिला और बाद में स्वामी जी ने हमें कट्टर हिन्दू बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी तथा हम जाटों को सदा-सदा के लिए ब्राह्मणवाद की गुलामी झेलने के लिए छोड़ दिया। अभी हम चींटियों के बिलों पर आटा डालते हैं तो चौराहों पर टूना-टंकन करते फिरते हैं या फिर गुरनामे के चक्कर में रात भर जागरणों में तालियाँ पीटते फिरते हैं। अब हम न तो आर्यसमाजी रहे और ना ही पूर्ण ब्राह्मणवादी। वही कहावत हुई "गंगा गया गंगादास तो जमना गया जमनादास"। इस बारे में गुरुनानक जी कहते हैं कि :-

'घट में है सुझत नहीं लानत ऐसी जिन्द ।

नानक इस संसार को हुआ मोतियाबिन्द ।।'

(लेख समाप्त)

जिन महापुरुषों ने समाज की उन्नति के लिए योगदान दिया है। वे वास्तव में श्रद्धा, सत्कार व पूजा के पात्र हैं और मानव जाति का फर्ज बनता है कि उनके योगदान को भुलाया न जावे, चाहे उनका योगदान धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक,

वैज्ञानिक किसी भी प्रकार का हो। परंतु कुछ लोग इतने महान नहीं होते और उनकी आड में अपनी दुकानदारी चलाने वाले उनको बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष स्वामी दयानन्द जी हैं जिन्होंने निष्काम भाव से समाज में फैली कूरीतियों को दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन उनको धार्मिक व सामाजिक ज्ञान पूरा न होने से उसे पूर्ण नहीं कर पाए। आओ जानें इस महापुरुष के बारे में उन्हीं के अनुयायियों द्वारा लिखित पुस्तकों के माध्यम से। हमारे समाज को ये पूछने का अधिकार है कि स्वामी दयानन्द जी ने समाज को क्या-क्या दिया। क्या वे अवतार थे, क्या चारों वेदों उन्हीं द्वारा लिखित हैं, क्या उन्हीं ने व्याकरण निघंटू आदि की रचना की थी, क्या स्वामी दयानन्द ने किसी गंभीर बीमारी की दवा की खोज की थी, क्या स्वामी जी ने शरीर को स्वस्थ रखने सम्बंधित कोई नई जानकारी दी थी ? यदि नहीं तो फिर उसकी आड में लोगों को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है ? किसी के कहने मात्र से न तो कोई महान बन सकता है और न ही छोटा बन सकता है और न ही कोई बुराई छोड़ सकता है। मानव की महानता उसके गुणों से की जाती है। बुराईयां छुड़वाने के लिए मानव को मन, बुद्धि व आत्मा से तैयार किया जाता है और ये काम ईश्वरीय शक्ति युक्त संत/गुरु ही कर सकता है। स्वामी जी के अनुयायियों की करनी व कथनी में अंतर है। वे इसलिए बुराईयों को नहीं छुड़वा सकते क्योंकि उनके पास ईश्वरीय शक्ति के गुण नहीं हैं और उनकी पूजा शास्त्रानुसार भी नहीं है। वे अपने घर में भैंस रखते हैं और दूसरों को गाय पालने की नसीयत देते हैं तथा गऊशाला के नाम पर धन एकत्रित करते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं धुम्रपान व शराब का सेवन करते हैं और दूसरों को नशा छोड़ने का उपदेश देते हैं, स्वयं अपने घर पर टी.वी. रखते हैं और दूसरों को अश्लीलता से दूर रहने का पाठ पढ़ाते हैं, स्वयं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और दूसरों को गुरुकुलों में बच्चे पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं जबकि उनमें से कितने बच्चे सफल होते हैं और कितने असफल होते हैं, इस बात से पाठकजन अवश्य परीचित हैं। केवल लोगों का ध्यान आक्रषित करने के लिए नित्य नए हथकण्डे अपना कर धरने व जलुस निकालते रहते हैं जिससे लोगों का कीमती समय व धन बर्बाद होता है। अतः मानव समाज से हमारा अनुरोध है कि अब इनकी चाल में न आवें और सतमार्ग को पहचानें जिस केवल मात्र से आत्म कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं।



आर्य समाज प्रवर्तक श्री दयानन्द सरस्वती जी की जन्म पत्री

पुस्तक:- “श्री मत् दयानन्द-प्रकाश”

लेखक:- श्री सत्यानन्द जी महाराज, प्रकाशक :- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा
3/5 महर्षि दयानन्द भवन, नई दिल्ली-2

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के जीवन पर उपरोक्त पुस्तक से निष्कर्ष रूप में यथार्थ भाव सहित संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है:-

स्वामी दयानन्द जी के पूज्य पिता जी का नाम कर्षनजी था। जो उदीच्य ब्राह्मण थे। उन्हें मोरवी राज्य से कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, कुछ सैनिक भी रखते थे। वे काठीयावाड़ देश के मोरवी नगर के ग्राम टंकारा में रहते थे तथा बड़े भूमीहारी भी थे।

➤ श्री दयानन्द जी का वास्तविक नाम मूल जी था। स्वामी जी का जन्म संवत् 1881 (सन् 1824) में हुआ। ब्राह्मण होने के कारण बचपन में पांच वर्ष की आयु में देवनागरी भाषा को पढ़ा तथा बन्धुजनों ने उन्हें बहुत से स्तोत्र, मंत्र, श्लोक और उनकी टिकाएँ कण्ठस्थ करा दी। आठ वर्ष की आयु में गायत्री तथा सन्ध्या की उपासना-विधि सिखाई गई। उदीच्य वंशीय होने के कारण सामवेद को परम्परागत पढ़ा करते तथा शैव (शिव के उपासक) होने के कारण रूद्राध्याय भी पढ़ा करते थे।

चौदह वर्ष की आयु में यजुर्वेद संहिता कण्ठस्थ याद हो गई अन्य वेदों का भी कुछ-2 अभ्यास कर लिया। व्याकरण के भी शब्दरूपावली आदि छोटे-छोटे ग्रन्थ पिता जी से पढ़ लिए। शिव प्रभु की पत्थर की प्रतिमा पर चूहे बैठे प्रभु को लगा भोग खा रहे थे। उस दिन से मूर्ति में आस्था नहीं रही (वैराग्य काण्ड पहला सर्ग पृष्ठ 1-6 तक उपरोक्त विवरण है)

➤ आयु के सोलहवें वर्ष में अपनी छोटी बहन की विशुचिका रोग के कारण अचानक मृत्यु देखकर संसार से विरक्त हो गए तथा सोचने लगे कि जन्म-मृत्यु के नाश की औषधी कहाँ मिले। अमर जीवन के लिए कौन से उपायों का अवलम्बन करना चाहिए। मुक्ति मार्ग में किसका भरोसा किया जाए? इत्यादि विचारों से वे रात-दिन निमग्न रहते। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो मुक्ति हस्तगत करूंगा तथा मृत्यु के दुःख से छुटकारा पाऊंगा। आयु के उन्नीसवें वर्ष में उनके प्रिय चाचा जी भी विशुचिका रोग से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस से स्वामी दयानन्द जी का मन संसार से उठ गया। विवाह से स्पष्ट मना कर दिया। काशी में विद्या ग्रहण करने के प्रस्ताव को पिता जी ने नहीं माना तो निकट ग्राम में एक पण्डित जी से व्याकरण आदि पढ़ा।

➤ बाईस वर्ष की आयु में घर त्याग कर मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए चल पड़े। (स्वामी दयानन्द जी के अनुयाई कहते हैं कि स्वामी जी गुरुडम अर्थात् गुरु बनाने के विरोधी थे। कृप्या पाठक जन देखें स्वामी दयानन्द जी ने कितने गुरु बनाए)

➤ (प्रथम गुरु) सायले नामक ग्राम में एक ब्रह्मचारी सन्त मिले जिन्होंने

स्वामी दयानन्द जी का मूल नाम बदल कर "शुद्ध चैतन्य" रख दिया। रात्री में स्वामी दयानन्द जी बाहर पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। पेड़ के ऊपर से अनोखी आवाज आई जिसे भूत (प्रेत) जान कर डर कर मठ में चले गए।

➤ (दूसरा गुरु) वहाँ से चलकर तत्त्वदर्शी सन्त की खोज में अहमदाबाद के बड़ौदा नगर में एक ब्रह्मानन्द नामक ब्रह्मचारी से मिले। जिसने स्वामी दयानन्द जी को वेदान्ती बना दिया तथा "अहम् ब्रह्मास्मि" का नाम जाप मन्त्र दिया।(उपरोक्त विवरण वैराग्य काण्ड का दूसरा तथा तीसरा सर्ग पृष्ठ 7 से 19 तक पर है)

➤ उसके बाद वह प्यासी आत्मा तृप्त न होकर अन्य पूर्ण संत की खोज में चला। जहाँ भी कोई साधु सन्त मिलता उसी से ज्ञान ग्रहण करता रहता।

➤ (तीसरा गुरु) चाणोद करनोली में जिज्ञासु शुद्धचैतन्य अर्थात् दयानन्द जी ने श्री चिदाश्रम नामक व्यक्ति को सच्चा विद्वान मान कर ज्ञान ग्रहण किया। अन्य विद्वान पंडितों से भी ज्ञान ग्रहण किया।

➤ (चौथा गुरु) एक परमानन्द नामक साधु से कई मास तक वेदांत-परिभाषा, आर्य हरिमीडेतोटक, आर्य हरिहरतोटक आदि ग्रंथ पढ़े।

➤ (पांचवां गुरु) चाणोद से डेढ कोस दूर जंगल में दण्डी स्वामी पूर्णानन्द सरस्वती को पूर्ण ज्ञानी जान स्वामी दयानन्द जी ने दीक्षा तथा ज्ञान ग्रहण किया। उनका नाम शुद्धचैतन्य से बदल कर "दयानन्द सरस्वती" रख दिया तथा हाथ में दण्ड(डण्डा) थमा दिया।

➤ (छठे गुरु) एक योगानन्द नामक महात्मा से योग विद्या सीखी।

➤ (सातवां गुरु) ग्राम छिन्नड़े में कृष्ण शास्त्री से व्याकरण पढ़ी।

➤ (आठवां गुरु) वापिस चाणोद में आकर एक राजगुरु से वेदाध्ययन किया।

➤ (नौवें गुरु) दो योगियों (1.श्री ज्वाला नन्द पुरी 2.शिवानन्द गिरी) से योग शास्त्र सीखा।

➤ (दसवें गुरु) उपरोक्त दोनों योगियों से भी कहीं अधिक आगे बढ़े हुए अन्य योगियों से भी योग तत्त्वों की प्रप्ति की। उस समय श्री दयानन्द जिज्ञासु की आयु 32 वर्ष की थी।

➤ (ग्यारहवें गुरु) हरिद्वार में अपनी परख से उत्तमोत्तम सन्तों से ज्ञान व योग साधनाएं सीखी।

(उपरोक्त विवरण पूर्वोक्त पुस्तक वैराग्य काण्ड तीसरा तथा चौथा सर्ग पृष्ठ 20 से 24 पर है)

➤ (बारहवें गुरु) फिर भी पूर्ण सन्त के अभाव से प्यासे स्वामी दयानन्द जी जोशी मठ पहुँचे वहाँ एक महाराष्ट्र के सन्यासी से नवीन भेद प्राप्त किया फिर भी प्यासे रहे(पृष्ठ 29 पर) तथा बद्दीनारायण पहुँच गए वहाँ से फिर पूर्ण सन्त की खोज में महाकष्ट उठाते हुए एक नदी को पार कर के सर्दी के कारण मृत्यु के निकट पहुँच गए। फिर भी साहस करके वापिस बद्दीनारायण लौट आए।

➤ द्रौणासागर नगर में निवास के समय आत्महत्या करने का विचार किया परन्तु पूर्ण ज्ञान प्राप्त न होने के कारण हिमालय में समाधी लेने(देह त्याग) का विचार बदल दिया। (उपरोक्त विवरण पृष्ठ 33 तक है।)

➤ एक शव को चीर फाड़ कर देखा। उसमें कोई चक्र(नाभी चक्र, मूल चक्र आदि) नहीं पाए। इसी परिक्षण से जिज्ञासु दयानन्द स्वामी जी ने निर्णय कर लिया कि जिन पुस्तकों में चक्रों का वर्णन है वे सर्व झूठी तथा काल्पनिक हैं। उनको फाड़ कर गंगा जी में फेंक दिया। (वैराग्य काण्ड छठा सर्ग पृष्ठ 33-34 पर उपरोक्त विवरण है)

➤ तीन वर्ष नर्मदा नदी के तीर पर भटकते रहे। सन्तों-ऋषियों का सत्संग सुनते रहे। तत्पश्चात् एक श्री विरजानन्द जी की महिमा सुनकर मथुरा पहुँचे।

➤ (तेरहवें गुरु) श्री विरजानन्द जी अन्धे थे। जिनकी आँखें पाँच वर्ष की आयु में शीतला के कारण समाप्त हो गई थी। श्री दयानन्द जी के तेरहवें गुरु श्री विरजानन्द जी "श्री विष्णु जी" के उपासक थे। श्री विरजानन्द जी सारस्वत ब्राह्मण थे। "विष्णु स्तोत्र" का नित्य पाठ किया करते थे। श्री विरजानन्द जी उत्तम कोटी के दण्डी सन्यासी थे। उस समय दण्डी स्वामी विरजानन्द जी की आयु 81 वर्ष थी। जब श्री दयानन्द जी जिज्ञासु उनके शिष्य हुए तथा व्याकरण निघट्ट, निरुक्त तथा अष्टाध्यायी आदि ग्रन्थों की शिक्षा ग्रहण की उस समय श्री दयानन्द सरस्वती की आयु 36 वर्ष की थी (सम्बत् 1917)।

स्वामी विरजानन्द जी दण्डी सन्यासी के शिष्य बन कर श्री दयानन्द जी भाल पर विभूति (राख) रमाया करते गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे। सिर पर उपरना बांधते थे तथा हाथ में लम्बा मोटा दण्ड (सोटा) रखते थे (पूरा ढोंग करते थे) जो दण्डी सन्यासी की वेशभूषा होती थी।(पृष्ठ 44, 45) पर श्री विरजानन्द जी के सानिध्य में कठिन साधना करके व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। उस समय श्री दयानन्द जी की आयु 36 वर्ष थी।

➤ एक दिन साधना काल में एक स्त्री ने उनके चरणों में सिर रख दिया। "श्री दयानन्द जी माता-2 कह कर उठकर जंगल में चले गए। वहाँ एक मन्दिर में तीन-दिन तथा तीन रात निराहार रहे अर्थात् अपने मन को वश किया (पृष्ठ 48) पर।

➤ श्री विरजानन्द जी दण्डी स्वामी कभी-2 श्री दयानन्द जी को लाठी से भी पीटते थे। कई बार कुटिया में आना बन्द कर देते थे(क्योंकि बार-बार गुरु मर्यादा का उल्लंघन करते थे)। इस प्रकार ढाई वर्ष श्री विरजानन्द जी दण्डी सन्यासी से वेदान्त सूत्र आदि अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया (उपरोक्त विवरण वैराग्य काण्ड सातवें से दसवें सर्ग पर पृष्ठ 40 से 52 तक है)

तत्पश्चात् अपने आप को पूर्ण ज्ञानयुक्त मान कर स्वामी दयानन्द जी देश-देशान्तर में घूम कर तेरह अधूरे गुरुओं तथा ज्ञानहीन अन्य सन्यासियों से संग्रह किये (कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा) ज्ञान का प्रचार करने लगे जिसका प्रमाण उनके द्वारा रची पुस्तक "सत्यार्थ प्रकाश" है जिसमें सत्य का नामोनिशान भी नहीं है, कोरी बकवाद भरी है।

"गीता प्रक्षिप्त नहीं है"

स्वामी दयानन्द जी ने पृष्ठ 162 पर कहा है कि गीता प्रक्षिप्त नहीं है यदि किसी को संस्य है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करे तथा पृष्ठ 55, 213 पर गीता जी के श्लोकों का आंशिक अनुवाद भी किया। (श्री आत्मानन्द जी झज्जर गुरुकुल के आचार्य ने गीता जी के सात सौ श्लोकों में से आधे से अधिक को प्रक्षिप्त बताया है। जो श्री दयानन्द जी के विचारों की अवहेलना है।)

➤ पृष्ठ 61 पर दो बार लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी गीता आदि ग्रन्थों का प्रकरण सुना कर कृतार्थ किया करते थे।

➤ पृष्ठ 66 पर लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी से पूछा कि ईश्वर का नाम क्या है? श्री दयानन्द जी ने ईश्वर का नाम "सचिदानन्द" बताया।

➤ पृष्ठ 75 पर लिखा है स्वामी दयानन्द जी दोसाला ओढते थे, पाँव में जुराब तथा गले में स्फटिक की माला भी पहनते थे।

➤ पृष्ठ 75 पर लिखा है कि अन्नक भस्म आदि कई प्रकार की भस्में खाते थे।

➤ पृष्ठ 79-80 पर लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी ने त्याग किया। स्वर्ण मुहरें व शाल स्वामी विरजा नन्द जी के आश्रम में मथुरा भिजवा दिए तथा सारे उपकरण हरिद्वार में त्याग दिए, सर्व पुस्तकें भी त्याग कर सारे तन पर राख रमा कर कौपीन मात्रधारी-मौनावलम्बी हो गये।

➤ पृष्ठ 436 पर लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी की मृत्यु के कुछ समय पूर्व एक कल्लु नामक सेवक छः- सात सौ रूपये लेकर चम्पत हो गया। आज से 123 वर्ष पूर्व उस समय (सन् 1883) के सात सौ रूपयों का मूल्य वर्तमान (सन् 2006) के पांच लाख से भी अधिक है अब श्री दयानन्द जी के त्याग का ढोंग पर्दा फास हो गया।

➤ पृष्ठ 89 पर शास्त्रार्थ की झलकः- गंगा कांड, आठवां सर्ग पृष्ठ 89 पर ज्यों का त्यों लेखः-

तीन दिन तक, प्रतिसायं कृष्णानन्द जी और स्वामी जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानन्द जी से साकारवाद का अवलम्बन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी का तो यह मन-चाहता विषय था। उन्होंने धाराप्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धान्त पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी पिरोदी, और कृष्णानन्द जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानन्द कोई प्रमाण न दे सका। केवल गीता का यह श्लोक "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत" लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी ने गर्ज कर कहा कि "आप वाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिये।" परन्तु उसके तो विचार ही उखड़ गये थे, वह चौकड़ी ही भूल चुका था। मुख में झाग आ गए। गले में घिग्घी बँध गई। चेहरा फीका पड़ गया। किसी प्रकार लाज रह जाए, इससे उसने तर्क-शास्त्र की शरण लेकर स्वामी जी को कहा कि "अच्छा, लक्षण का लक्षण बताइये?" स्वामी जी ने उत्तर दिया कि "जैसे कारण का कारण नहीं वैसे ही लक्षण का लक्षण भी नहीं है।" लोगों ने अपनी

हंसी से कृष्णानन्द की हार प्रकाशित कर दी और वह घबड़ाकर वहाँ से चलता बना।

➤ स्वामी दयानन्द जी शुद्धों को भक्ति योग्य नहीं मानते थे। गंगा काण्ड प्रथम तथा नौवां सर्ग पृष्ठ 56 से 94 पर।

“समाज सुधार का दावा करने वाले श्री दयानन्द
सरस्वती समाज बिगाड़ करते थे”

➤ पृष्ठ 138 पर लिखा है कि स्वामी दयानन्द जी (तम्बाकू सूंघा करते) नसवार लिया करते थे, कहते थे शरीर स्वस्थ करने के लिए तम्बाकू सूंघना पाप नहीं।

➤ राजाओं को विशेष आदर देते थे। अपने बराबर बैठाया करते क्योंकि राजा यशवन्त सिंह जोधपुर ने सौ रूपये तथा पाँच स्वर्ण मुद्रायें भेंट की थी। (पृष्ठ 426-427 पर उपरोक्त प्रमाण है)

“स्वामी दयानन्द जी की मृत्यु”

(सम्बत् 1940 अर्थात् सन् 1883 में 59 वर्ष की आयु में एक महीने तक चारपाई पर पड़ा रह कर, महान पीड़ा सहन करके, दुर्दशा से मृत्यु हुई। उनका मल-मुत्र वस्त्रों में निकल जाता था, उनकी जीभ पर छाले पड़ गए थे, पूरे शरीर पर, कंठ, मुंह के अन्दर, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए थे इस प्रकार अपने किए कर्म (मिथ्या भाषण रूप पाप) का दण्ड भोगते हुए दुर्दशा से मृत्यु हुई।)

पृष्ठ 437 से 451 पर:- स्वामी दयानन्द जी का स्वास्थ्य दो-चार दिन से कुछ शिथिल था अर्थात् वे अस्वस्थ थे। आश्विन (आसौज) वदी चतुर्दशी सम्बत् 1940 को रात्री में जगन्नाथ नामक रसोईये से दूध लेकर पीया। कुछ निद्रा लेने के पश्चात् उल्टी तथा दस्त प्रारम्भ हो गए। पेट में प्रबल पीड़ा हो रही थी। मुंह सूख रहा था। डा. ने दवाई दी कोई आराम नहीं हुआ। जो भी दवाई डा. देता उल्टा ही प्रभाव होता था। दवाई लगना बंद हो गई तथा दवाई दुष्प्रभाव करने लगी। स्वामी दयानन्द जी का शरीर जीर्ण-शीर्ण होने लगा। चार पांच दिन बाद एक सद्धर्म प्रचारक समाचार पत्र ने छापा की एक जगन्नाथ नामक ब्राह्मण ने स्वामी जी को विष दे दिया जो उन्हीं का रसोईया था। स्वामी जी ने जगन्नाथ रसोईया को कुछ रूपये देकर वहाँ से निकाल दिया कि कहीं इसे कोई मार ने दे। जगन्नाथ भी ब्राह्मण था। स्वामी दयानन्द जी को कोई भी औषधी काम नहीं कर रही थी। उनके पूरे शरीर तथा कण्ठ, जीभ पर मुख में तथा माथे व सिर में छाले पड़ गए थे। पानी की घूट भी गले नहीं उतर रही थी। मल-मुत्र भी समय-कुसमय वस्त्रों में निकल जाने लगा। श्वास-प्रश्वास की क्रिया बहुत तेज थी। उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था, श्वास-प्रश्वास की गति बहुत तेज हो गई थी। सारी देह में दाह (आग) सी लगी थी।

संवत् 1940 आश्विनी वदी (कृष्णा) 14 से कार्तिक अमावस्या तक (एक मास तक) महा पीड़ा को भोग कर स्वामी दयानन्द जी का देहान्त हो गया।

पृष्ठ 453-454 पर लिखा है कि अन्तिम संस्कार करके भगवान दयानन्द जी की अस्थियों को उठाकर (फूल चुनकर) एक बाग में (उद्यान) गाड़ दिया।

